PREFACE

I am delighted to submit my 3rd Annual Report as the Lokayukta, Rajasthan, to the Hon'ble Governor of Rajasthan in conformity with sub-section (4) of Section 12 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973. According to Section 12 of the Act, the Lokayukta has the obligation to submit an annual report to the Governor, detailing his performance and functions. This report covers the Lokayukta Institution's actions from January 1st, 2023, to December 31st, 2023.

The Rajasthan Lokayukta Institution was founded on February 3rd, 1973, and it has commemorated its 50th anniversary this year on February 3rd, 2023. For the past 50 years, the institution has worked diligently to achieve its objective of addressing citizens' grievances. Since its foundation, the institution has pledged to carry out its responsibilities in the best interests of the public at large. This year, in all 2063 complaints are received and out of them, 1958 complaints are resolved with fruitful results.

Efficacy of the Lokayukta institution is clearly demonstrated from the graphs showing encouraging numbers of complaints received by this office every year. Thereby, it is

clear and unequivocal that faith reposed by the public in the institution is strengthening day-by-day. The awakened citizens of Rajasthan are espousing every cause, wherein they are experiencing any corrupt, high handed or total inaction on the part of public servants, and this institution is also paying utmost attention to such complaints for facilitating appropriate relief(s) to the aggrieved persons.

Further, a noteworthy accomplishment is that the Institution's prompt and effective actions have achieved good results in recovery of substantial amount from the indicted public servants. This year, a sum of Rs. 56,46,000/- (in words Rupees Fifty Six Lac Forty Six Thousand) is recovered from the erring/corrupt public servants making heftier gains for the exchequer. That apart, throughout the year, Institution in furtherance of investigation, indicted 109 public servants for serious omissions and commissions. During investigation, it was found that these public servants were either involved in corrupt practices, high handed actions or responsible for total apathy in discharge of their duties.

After proving delinquency, the Institution has also recommended appropriate disciplinary action against 51 public servants to their respective disciplinary authority u/s 12(1) of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973.

Apart from the aforementioned data, this institution has also made genuine efforts to strengthen/vitalize the State's current laws by studying and implementing better existing rules and regulations as compared to the other Indian states. One such opportunity to improve the legal lacuna existing in the state law was dealt with in File No. F.35(90)/LAS/2021, wherein, after diligent examination of the file, it was felt necessary to take due care towards the circumstances arising under Section 174(3) of the Cr.P.C., more specifically ensuring preservation of viscera(s) in peculiar circumstances of unnatural death, as mandated in other states such as Haryana, Bihar, and Pudducherry. The Principal Secretary (Home), Rajasthan, Jaipur, as well as the Additional Chief Secretary, Medical Department, Govt. of Rajasthan, were sent a letter, urging them to take cognizance of the situation and issue necessary guidelines/notifications/circulars in this regard.

In the same breathe, in yet another complaint, during the investigation, it was revealed that the Executive Magistrates in various districts of Rajasthan acted at their whims and fancies while dealing with the matters concerning law & order in exercise of powers conferred under Sections 106 to 111 of the Cr.P.C. In fact, while apprehending someone, allegedly guilty of breach of public tranquility, the Executive Magistrates', while

releasing them on bail, imposed onerous and stringent bail conditions like demanding heavy bail bonds or asking the delinquent to furnish surety of a Gazetted officer or of a Government officer. This Sachivalaya noticed that this act of the Executive magistrates was not only arbitrary and unreasonable, but the same was also *de-hors* the law laid down by the Apex Court in some of the authoritative pronouncements which are "**Moti Ram & Ors vs State Of M.P." 1978 AIR 1594 & "Madhu Limaye Vs. Sub-Divisional Magistrate, Monghyr & ors."** **(1971 AIR 2486)**. Therefore, taking cognizance of this grim situation, a communication was sent to the Government/Competent Authority to issue necessary instructions for the Executive Magistrates so as to ensure compliance of the verdict of the Apex Court. Moreover, this exercise was also undertaken to mitigate the hardships of the citizens, who are apprehended in exercise of the powers of the Police as preventive measures to maintain public peace and ensure effective steps for preventing commission of cognizable offences.

This report incorporates the history and background of the Lokayukta Institution, the jurisdiction of the investigation, the method of the enquiry, and a summary of the complaint's disposition. In various reports, numerous recommendations

and suggestions have been given to the respective authorities under relevant provisions of the Act.

This year, it was an honour to have a discussion about the functioning and accomplishments of the Lokayukta in the State of Himachal Pradesh, when Hon'ble Mr. Justice C. B. Barowalia, visited the institute of the Lokayukta, Rajasthan. It was indeed a friendly gesture. Similarly, Lokayukta(s) of all the states of India could work in consonance to strengthen the objectives of the Lokayukta institution to eradicate corruption from the Country, paving the way for citizens' access to good governance, and ensure improvement in their standard of living.

Also, in order to achieve the cherished object of combating corruption within the State of Rajasthan, various government departments have provided assistance and it would not have been possible for this Institution alone to carry out its onerous and demanding duties in a healthy and efficient manner. It would be pertinent to mention here that the Office of Accountant General, Rajasthan, through its Principal Accountant General (Audit-I) Shri K. Subramaniam (IAAS), extended invite to include undersigned, in becoming a part of the Audit Week. Principles of good governance with professional ethics were discussed during the celebration. It

was also felt that such Ombudsman Institutions should be aligned together to combat corruption, high-handed actions and deliberate inactions on the part of public servants/administration.

Before I conclude, I must state that it would not have been possible for me to accomplish the objectives of this Institution without the constant support of the disciplined staff members of this Institution. My avowed goal to meet the objectives of this Institution and to discharge duties successfully and efficiently would not have been possible without their commitment/dedication in doing so. Without the unabated support of staff members and the assistance of government authorities/establishments, the Institution could not have been able to successfully carry out its obligations. In future also, active involvement of these stake-holders is necessary to facilitate effective functioning of the Institution and affirmative results.

Place : Jaipur
Date : January 01, 2024

(P.K. Lohra)
Lokayukta, Rajasthan

अनुक्रमणिका

			पृष्ठ संख्या
	विवरण		पृष्ठ संख्या
लोकायुक्त संस्था का परिचय			1–20
	इतिहास एवं पृष्ठभूमि		1
	अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ		4
	जाँच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया		5
	प्रशासनिक स्थिति एंव बजट		9
	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ		11
	तुलनात्मक विवरण		12
	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संस्था के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताएं व अपेक्षाएं		14
अध्याय–1	सम्पादित कार्य		21–42
		सम्पादित कार्य	21
	1.1	लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण	24
	1.2	धारा 12(1) के प्रकरणों का विवरण	26
	1.3	अन्वेषण प्रकरणों का विवरण	27
	1.4	प्रारिम्भक जाँच प्रकरणों का विवरण	28
	1.5	विभागवार अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों की संख्या	29
	1.6	धारा 12(1) में दोषी पाये गये लोकसेवकों की सूची	31
	1.7	दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर की गई अनुशासनिक कार्यवाही की सूची	34

	1.8	विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या	40
	1.9	इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप आरोपी लोकसेवकगण से वसूल करवाई गई राशि का विवरण	42
अध्याय–2	अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गतं प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण		**43–64**
अध्याय–3	अनुतोष के प्रकरण		**65–186**
विविध			**187–193**
	लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि		187
	सचिव की पदस्थापन अवधि		190
	लोकायुक्त सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा		191
	परिवादीगण से प्राप्त आभार पत्र		192–193

लोकायुक्त
संस्था
का परिचय

- इतिहास एवं पृष्ठभूमि
- अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ
- जांच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया
- प्रशासनिक स्थिति एवं बजट
- आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ
- तुलनात्मक विवरण
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संस्था के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताएं व अपेक्षाएं

लोकायुक्त संस्था का परिचय

इतिहास एवं पृष्ठभूमि

विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को 'ऑम्बुड्समैन' कहा जाता है, उसे भारत में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस संस्था को लोकपाल या लोकायुक्त नाम मशहूर कानूनविद् डॉ.एल.एम. सिंघवी ने वर्ष 1963 में दिया था। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक (लोगों) और पाल (संरक्षक) से बना है।

लोकपाल या ऑम्बुड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है। सर्वप्रथम इस संस्था की अवधारणा स्वीडन में की गई जहाँ वर्ष 1713 में किंग चार्ल्स XII ने कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने के लिए अपने एक सभासद को नियुक्त किया। स्वीडन में जब नया संविधान बना तो इस हेतु गठित संविधान सभा के सदस्यों का आग्रह रहा कि इस सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था से भिन्न उनका ही एक अधिकारी जाँच का कार्य करे जो किसी भी स्थिति में सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। इस पर वर्ष 1809 में स्वीडन के संविधान में 'ऑम्बुड्समैन फॉर जस्टिस' के रूप में सर्वप्रथम इस संस्था की व्यवस्था की गयी। इस संस्था का मुख्य कार्य लोक सेवकों द्वारा विधि, नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन तथा अपालना से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच करना था।

स्वीडन के बाद धीरे–धीरे आस्ट्रिया, डेनमार्क तथा अन्य स्केण्डीनेवियन देशों और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं यूरोप के कई देशों में भी 'ऑम्बुड्समैन' संस्था का गठन किया गया। संस्था की लोकप्रियता दिनों–दिन बढ़ते जाने पर फिनलैण्ड में वर्ष 1919, डेनमार्क में 1954, नार्वे में 1961 व ब्रिटेन में 1967 में भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की गई। अब तक 135 से अधिक देशों में 'ऑम्बुड्समैन' की नियुक्ति की जा चुकी है।

'ऑम्बुड्समैन' स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ लोगों का प्रतिनिधि या एजेन्ट होता है। वस्तुतः 'ऑम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे पारदर्शिता के साथ कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्ब, अकुशलता, अकर्मण्यता एवं पद के

दुरूपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है। 'ऑम्बुड्समैन' को ब्रिटेनिका–विश्वकोश में नागरिकों द्वारा नौकरशाही की शक्तियों के दुरूपयोग के सम्बन्ध में की गयी शिकायतों की जाँच करने हेतु व्यवस्थापिका द्वारा नियुक्त 'आयुक्त' बताया गया है।

विभिन्न देशों में 'ऑम्बुड्समैन' को भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता है। उदाहरणार्थ – ब्रिटेन, डेनमार्क एवं न्यूजीलैण्ड में यह संस्था 'संसदीय आयुक्त' (Parliamentary Commissioner) के नाम से जानी जाती है। रूस में इसे वक्ता अथवा प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है।

इस संस्था की आवश्यकता व उपादेयता के बारे में देश के कई न्यायाधीशगण व चिन्तकों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उदाहरण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गड़कर ने अपनी पुस्तक ''लॉ, लिबर्टी एण्ड सोशियल जस्टिस'' में यह उल्लेख किया कि जब तक हम भारत में 'ऑम्बुड्समैन' जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को सांविधिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकेगा।

भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है और आज प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। इसे समाप्त करने के लिए समय–समय पर अनेक प्रयास किये गये हैं। राजस्थान में वर्ष 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में 'ऑम्बुड्समैन' जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी, जिसका कार्य, कार्यपालिका की कार्यवाहियों पर नजर रखना तथा ऐसे मामलों, जिनमें सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही जो अवैध, अन्यायपूर्ण या मनमानी हो, विद्यमान नियमों या स्थापित प्रक्रिया से विपरीत या इनके उल्लंघन में हो, पर कार्यवाही करते हुए उन शिकायतों जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया गया हो, के सम्बन्ध में समुचित अन्वेषण करना हो।

हमारे देश में 5 जनवरी, 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने ''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेसल

ऑफ सिटीजन्स ग्रीवन्सेज'' से सम्बन्धित अपने प्रतिवेदन में व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जन आकांक्षाओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशून्यता के विरूद्ध प्रायः उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की थी कि जन अभियोग निवारण हेतु तथा दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जाँच के लिए केन्द्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक सांविधिक संस्था की स्थापना की जाये किन्तु इस सिफारिश को लम्बे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। अब इसे स्वीकार तो किया गया है किन्तु वस्तुतः इसकी क्रियान्विति अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी है।

जहाँ तक हमारे देश में लोकायुक्त संस्था का प्रश्न है, सर्वप्रथम ओडिशा में वर्ष 1971 में लोकायुक्त की स्थापना हुई, जहाँ वर्ष 1995 में पुनः नया 'लोकायुक्त अधिनियम' बना और तदुपरान्त ओडिशा विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावी प्रावधानों को समाहित करते हुए ओडिशा लोकायुक्त बिल 2014 पारित कर दिया है। वर्ष 1971 में महाराष्ट्र और वर्ष 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। इसके उपरान्त लगभग 20 से अधिक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई। इसके पूर्व भी राजस्थान में जन अभियोगों की निगरानी के लिए जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग कार्यरत था, किन्तु सरकार के इस तन्त्र में किसी ऐसी संस्था का समावेश नहीं था जिसके माध्यम से मंत्रियों, सचिवों और लोक सेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता की शिकायतों की जांच तथा अन्वेषण किया जा सके। फलस्वरूप जनता में विश्वास और सन्तोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिये तथा स्वच्छ, ईमानदार, सक्षम और संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने हेतु मंत्रियों, सचिवों और लोक सेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता आदि की शिकायतों को देखने एवं उनमें अन्वेषण करने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया और इस उद्देश्य की अभिप्राप्ति हेतु वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रभाव में लाया गया। इसे 26 मार्च, 1973 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और तब से यह 'लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973' के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।

अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अन्तर्गत लोकायुक्त को राज्य–सरकार के मंत्रियों, सचिवों, अधिकारियों तथा अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध निम्न अभिकथनों के अन्वेषण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं :

1. लोकसेवक ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुँचाने के लिए ऐसे लोकसेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग किया है;
2. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत में कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट हेतुओं से प्रेरित था;
3. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत में भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी है;

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 में ''मंत्री'', ''सचिव'', ''अधिकारी'' एवं ''लोकसेवक'' को परिभाषित किया गया है।

"मंत्री'' से राजस्थान राज्य की मंत्री परिषद का कोई सदस्य (मुख्यमंत्री के अतिरिक्त) अभिप्रेत है, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य–मंत्री या उप–मंत्री;

"सचिव'' से राजस्थान सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसमें विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव सम्मिलित हैं।

"अधिकारी'' से राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

"लोकसेवक'' से तात्पर्य निम्न में से किसी भी प्रकार के व्यक्ति से है:–

1. प्रत्येक मंत्री;
2. प्रत्येक सचिव एवं अधिकारी;
3. जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख/उप–प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान/उप–प्रधान एवं पंचायती राज अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थाई समिति का अध्यक्ष;

4. नगर निगम का प्रत्येक महापौर/उप–महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी समिति का अध्यक्ष।
5. निम्नलिखित की सेवा में या वेतनभोगी के रूप में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति :–
   (i) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है;
   (ii) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित एवं राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो);
   (iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है;
   (iv) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज–पत्र में सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।

जाँच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया

इस सचिवालय में विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र सहित प्राप्त प्रत्येक परिवाद पर सम्बन्धित विभाग के उच्च/उच्चतर अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणी आवश्यक अभिलेख सहित मँगवाई जाती है। इसके बाद उसका गहन परीक्षण करने पर यदि यह पाया जाता है कि रिपोर्ट/टिप्पणी अधूरी है या अन्य सुसंगत दस्तावेज भी आवश्यक हो तो पुनः पूर्ण रिपोर्ट/टिप्पणी मय सुसंगत

दस्तावेज/अभिलेख मँगवाई जाती है। तदुपरान्त परिवाद के सन्दर्भ में प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी व अभिलेख/दस्तावेज आदि का पुनः परीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक होने पर विभाग से प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में परिवादी से उसकी टिप्पणी/आपत्ति माँगी जाती है।

यदि विभाग द्वारा किन्हीं लोकसेवकों को दोषी पाया जाना सूचित किया जाता है तो उनके विरूद्ध की गई/प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु लिखा जाता है। यदि इस सचिवालय द्वारा पाया जाता है कि परिवाद में लगाए गए आरोप परीक्षणोपरान्त प्रमाणित नहीं हो या कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तो परिवादी को सूचित करते हुए परिवाद नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। यदि प्रथमदृष्ट्या यह पाया जाता है कि किसी लोकसेवक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग अथवा भ्रष्टाचार का कोई कृत्य या कार्यवाही की गई है या अकर्मण्यता की गई है तो इस हेतु प्रारम्भिक जाँच की जाती है। प्रारम्भिक जाँच में परिवादी व अन्य आवश्यक समझे जाने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है तथा उनसे आवश्यक अभिलेख या दस्तावेज भी मँगवाये जाते हैं।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जाँच/अन्वेषण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियाँ लोकायुक्त को प्राप्त है जैसेः–

1. किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे हाजिर करना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;
2. किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;
3. शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
4. किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक–अभिलेख की या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;
5. साक्षियों या अभिलेखों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;
6. अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जायें।

प्रारम्भिक जाँच के परिणामस्वरूप यदि किसी लोकसेवक के विरूद्ध आरोप के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य पाई जाती है तो लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। इस कार्यवाही में उस अपचारी लोकसेवक/लोकसेवकों एवं सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को परिवाद/प्रारम्भिक जाँच की रिपोर्ट व अन्वेषण के आधारों का विवरण भेजा जाता है। अपचारी लोकसेवक/लोकसेवकों को इन पर अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जाता है। तत्पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही में ऐसे अपचारी लोकसेवक को, अपने बचाव में स्वयं की साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वह साक्ष्य जिसे वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहता है, प्रस्तुत करने व परिवादी व उसके साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर भी दिया जाता है।

इसके पश्चात् दोनों पक्षों को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है एवं अन्वेषण की इस समस्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड/साक्ष्य/अभिलेख का परिशीलन के उपरान्त विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए अन्वेषण की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है तो परिवादी को सूचित करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने का आदेश दिया जाता है। यदि किसी आरोप के सम्बन्ध में अन्वेषण के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि ऐसे आरोप को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो धारा 12 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित लिखित प्रतिवेदन द्वारा अपना निष्कर्ष तथा सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है। प्रतिवेदन प्राप्ति के दिवस से 03 माह के भीतर प्रतिवेदन के आधार पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से माँगी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की गई सिफारिश के अनुरुप है तो प्रकरण नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं और इसकी सूचना परिवादी, सम्बन्धित लोकसेवक एवं सक्षम प्राधिकारी को दी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की गई सिफारिश के अनुरुप/सन्तोषजनक नहीं पाई जाती है तो धारा 12 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत प्रकरण में माननीय राज्यपाल महोदय को

''**विशेष प्रतिवेदन**'' भेजा जाता है। इसकी सूचना सम्बन्धित परिवादी को भी दिये जाने का प्रावधान है।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (4) के अन्तर्गत लोकायुक्त द्वारा सम्पादित कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय को ''**वार्षिक प्रतिवेदन**'' प्रस्तुत किया जाता है। धारा 12 की उप–धारा (5) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उप–धारा (3) के अधीन ''**विशेष प्रतिवेदन**'' एवं उप–धारा (4) के अधीन प्राप्त ''**वार्षिक प्रतिवेदन**'' की एक प्रतिलिपि को स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवाये जाने का प्रावधान है।

यह भी उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत उनके समक्ष होने वाली कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही मानी गई है।

प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

लोकायुक्त सचिवालय में प्रतिवेदनाधीन अवधि में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :–

कालावधि दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	रिक्त पद
1	सचिव	1	1	0
2	उप सचिव	1	1	0
3	संयुक्त विधि परामर्शी	1	1	0
4	सहायक सचिव	2	1	1
5	निजी सचिव	2	2	0
6	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	0
7	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	1	1	0
8	अतिरिक्त निजी सचिव	3	3	0
9	अनुभाग अधिकारी	5	4	1
10	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	1	1	0
11	जन सम्पर्क अधिकारी	1	0	1
12	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	0
13	सहायक अनुभागाधिकारी	6	2	4
14	निजी सहायक	3	3	0
15	आशुलिपिक	3	3	0
16	सहायक प्रोग्रामर	3	3	0
17	सूचना सहायक	5	1	4
18	लिपिक ग्रेड–प्रथम	10	7	3
19	लिपिक ग्रेड–द्वितीय	16	13	3
20	वाहन चालक	6	6	0
21	जमादार	2	2	0
22	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	21	18	3
23	प्रोसेस सर्वर	4	4	0
कुल		99	79	20

वित्तीय वर्ष 2023–2024 में लोकायुक्त सचिवालय हेतु मूल आवंटित/संशोधित बजट एवं इसके मुकाबले 01.01.2023 से 31.12.2023 तक हुए वास्तविक व्यय का मदवार विवरण नीचे दिया जा रहा हैः–

क्र.सं.	बजट शीर्ष	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन	दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक व्यय	दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक व्यय
1	01–संवेतन	72000000	–	16624585	52140331
2	03–यात्रा भत्ता	100000	–	188819	12935
3	04–चिकित्सा भत्ता	400000	–	115931	298904
4	05–कार्यालय व्यय	1200000 (–) 140000	–	549737	858448
5	06–वाहनों का क्रय	1000	–	–	–
6	07–कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	120000	* 180000 अतिरिक्त	49456	238963
7	08–वृतिक एवं विशिष्ट सेवाएँ	50000	–	900	–
8	11–विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	15000	–	–	–
9	14–सत्कार/आतिथ्य/उपहार व्यय आदि	30000	–	7668	22046
10	19–विद्युत प्रभार एवं जल व्यय	(+) 140000	–	–	82754
11	20–कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों का संचालन एवं संधारण	120000	–	136855	87432
12	21–अनुरक्षण एवं मरम्मत	244000	–	–	–
13	31–पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	50000	–	36462	5170
14	36–वाहनों का किराया	1000	–	–	–
15	37–वर्दियां तथा अन्य सुविधाएँ	46000	–	–	45600
16	41–संविदा व्यय	1800000	–	450000	1350000
17	62–कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बंधी संचार व्यय	300000	–	–	–
	कुल राशि	**76477000**	**180000**	**18160413**	**55142583**

* कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण हेतु राशि रुपये 180000/– का अतिरिक्त बजट आवंटित करवाया गया।

आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ

1. वर्ष 2022 से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन देशपर्व पर लोकायुक्त सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण को पूरे वर्ष के दौरान किये गये उल्लेखनीय कार्य के लिए विशिष्ट योग्यता प्रशस्ति–पत्र देकर माननीय लोकायुक्त महोदय के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाना निश्चित किया गया। वर्ष 2023 में लोकायुक्त सचिवालय के निम्न 12 कार्मिकों (अधिकारी व कर्मचारीगण) को माननीय लोकायुक्त महोदय के कर कमलों से 15 अगस्त 2023 को विशिष्ट योग्यता प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया :–

    1. श्री नवरत्न गहलोत, सहायक सचिव
    2 श्री राजेन्द्र वर्मा, निजी सचिव
    3 श्री राजेश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I
    4 श्री देवेन्द्र सिंह खीचीं, अनुभाग अधिकारी
    5 श्रीमती शकुन्तला आनन्द, अति निजी सचिव
    6 श्री यशवन्त लखेरा, निजी सहायक
    7 श्री मुकेश शर्मा, लिपिक ग्रेड–I
    8 श्री रोहित कुमार शर्मा, सहायक प्रोग्रामर
    9 श्री तोशिफ खान पठान, लिपिक ग्रेड–II
    10 श्री बच्चू सिंह गुर्जर, वाहन चालक
    11 श्री केशव राज शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
    12 श्री पवन कुमार शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

2. गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस का पर्व सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की उपस्थिति में माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा उनके निवास पर झंडारोहण कर सामूहिक रूप से मनाया गया।

3. माननीय लोकायुक्त महोदय के नवाचारों की कडी में इस सचिवालय के संज्ञान में आये प्रकरणों में जांच के लिये सचिवालय के अनुभवी अधिकारियों को आवश्यकता समझने पर मौके पर जाकर जांच सम्पन्न कर लम्बित पत्रावलियों में रिपोर्ट लिया जाना प्रारम्भ किया गया।

तुलनात्मक विवरण

	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022	दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023
परिवाद का विवरण	दिनांक 01.01.2022 को 4767 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 31.12.2022 की अवधि में 2200 नवीन परिवाद प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 6967 परिवादों में से 3031 परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 31.12.2022 को 3936 परिवाद लम्बित रहे।	दिनांक 01.01.2023 को 3936 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 31.12.2023 की अवधि में 2063 नवीन परिवाद प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 5999 परिवादों में से 1958 परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 31.12.2023 को 4041 परिवाद लम्बित रहे।
अनुतोष के प्रकरण	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में 378 प्रकरणों में परिवादीगणों को अनुतोष दिलाया गया।	दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में 241 प्रकरणों में परिवादीगणों को अनुतोष दिलाया गया।
प्रारम्भिक जाँच प्रकरण	दिनांक 01.01.2022 को 25 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में 02 और प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई। इस प्रकार कुल 27 प्रकरणों में से 06 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 01 प्रकरण में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार कुल 07 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.12.2022 को 20 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।	दिनांक 01.01.2023 को 20 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में 01 और प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई। इस प्रकार कुल 21 प्रकरणों में से 02 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 05 प्रकरण में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार कुल 07 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.12.2023 को 14 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।

अन्वेषण प्रकरण	दिनांक 01.01.2022 को 28 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में 22 और प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार उक्त कालावधि में अन्वेषण के कुल 50 प्रकरणों में से 03 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 15 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंषा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 18 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12. 2022 को 32 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा।	दिनांक 01.01.2023 को 32 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में 28 और प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार उक्त कालावधि में अन्वेषण के कुल 60 प्रकरणों में से 04 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 17 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंषा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 21 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.2023 को 39 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा।
अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अनुशंषा प्रतिवेदन के प्रकरण	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में कुल 15 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंषा–प्रतिवेदन प्रेषित किये गये।	दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में कुल 17 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंषा–प्रतिवेदन प्रेषित किये गये।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संस्था के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताएँ व अपेक्षाएँ

कुप्रशासन एक दीमक की तरह है जो धीरे–धीरे राष्ट्र की नींव को नष्ट कर देता है और प्रशासन को अपना कार्य पूरा करने से रोकता है। भ्रष्टाचार इस समस्या का मूल कारण है जिसका हमारा देश सामना कर रहा है। हालांकि भारत में कई भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ विद्यमान हैं लेकिन इनमें से अधिकांश भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ मुश्किल से स्वतंत्र हैं। यहां तक कि सीबीआई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "**पिंजरे का तोता**" और "**मालिक की आवाज**" के रूप में लेबल किया गया है।

वास्तव में अगर देखा जाए तो इन एजेंसियों में से कई तो केवल सलाहकार निकाय मात्र हैं, जिनके पास भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कोई प्रभावी शक्ति ही नहीं है और उनके मार्गदर्शन का शायद ही कभी पालन किया जाता हो। आंतरिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की समस्या भी मौजूद है और इसके अलावा, इन पर नियंत्रण रखने के लिए कोई प्रभावी और अलग तंत्र भी नहीं है।

यह एक सामान्य अनुभव है कि आम नागरिकों को अक्सर सरकारी एजेंसियों के साथ व्यवहार करने में अनुचित देरी, भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए दर–दर भटकने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन लोकायुक्त संस्था ही एक ऐसी संस्था है जो सामान्य रूप से प्रेषित की गई शिकायत/पत्रादि पर भी ध्यान देती है। यह संस्था एक ओर भ्रष्टाचार, पद का दुरूपयोग या अकर्मण्यता बरतने वाले लोकसेवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक साक्ष्य जुटाती है और पीड़ित को त्वरित और सस्ती

राहत/न्याय दिलाने में मदद करती है, वही दूसरी ओर दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही भी करती है।

राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और इससे व्यापक रूप से पीड़ित जनमानस को समुचित राहत प्रदान करने के उद्‌देश्य से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में किए गए विभिन्न प्रावधान तत्समय की परिस्थितियों में प्रांसगिक और पर्याप्त हो सकते थे, किन्तु लगभग 49 वर्ष पश्चात् आज की परिवर्तित परिस्थितियों में ये सर्वथा अपर्याप्त है। अतः समय की मांग है कि लोकायुक्त संस्था को एक अनुशंषा निकाय के आवरण से बाहर निकालकर, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम और सुदृढ बनाया जावे। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र को व्यापक किया जावे और उसे आवश्यक संगठनात्मक संरचना और वित्तीय स्वायत्तता उपलब्ध कराई जावे।

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान की स्थापना से लेकर अब तक निरन्तर रूप से, प्राप्त शिकायतों की संख्या में बहुगुणा वृद्धि हुई है। वर्ष 1973–83 के दशक में जहां लगभग 600 नई शिकायतें औसतन प्रतिवर्ष प्राप्त हुई, वहीं वर्ष 2021 में लगभग 1,500 वर्ष 2022 में लगभग 2200 एवं वर्ष 2023 में 2063 नवीन शिकायतें इस सचिवालय में प्राप्त हुई। अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1973–83 के दशक में औसतन प्रतिवर्ष प्राप्त शिकायतों की तुलना में वर्तमान में लगभग 3½ गुणा से भी अधिक नई शिकायतें प्रतिवर्ष प्राप्त हो रही हैं, लेकिन इन अधिक शिकायतों की तुलना में इस सचिवालय के स्टॉफ और संरचना में आनुपातिक वृद्धि नगण्य ही रही है।

संगठनात्मक वृद्धि के अलावा, इस सचिवालय का सीमित क्षेत्राधिकार भी लोकसेवकों द्वारा कारित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की प्रभावी रोकथाम में प्रमुख बाधा साबित हो रहा है। विगत अनुभव एवं आंकड़े इस ओर इंगित करते हैं कि गंभीर दुराचरण में लिप्त लोकसेवक या अपने कर्तव्य निर्वहन में गंभीर कोताही बरतने वाले

लोकसेवक, क्षेत्राधिकार के अभाव में लोकायुक्त की जांच और दाण्डिक कार्यवाही से, न केवल बच निकलते है अपितु अन्य लोकसेवकों के लिए उदाहरण बन जाते है। उदाहरणार्थ, पंचायती राज विभाग की विभिन्न लाभकारी एवं जन–कल्याणकारी योजनाओं में प्राप्त होने वाली धनराशि का पंचायत स्तर पर दुरूपयोग करने की अनेकानेक शिकायतें इस सचिवालय में प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच में लोकसेवकों/जनप्रतिनिधियों द्वारा गंभीर अनियमितताएं बरतने और राजकोष को हानि पहुंचाने के ठोस सबूत होने के बावजूद भी, आरोपियों के विरूद्ध क्षेत्राधिकार के अभाव में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही न करने की बाध्यता रही है, जिससे न केवल दोषी लोकसेवकों को अनुचित प्रोत्साहन मिल रहा है अपितु गबन/वित्तीय अनियमितता की राशि की प्रभावी वसूली भी उनसे संभव नहीं हो पा रही है।

लोकायुक्त संस्था की राज्य सरकार से प्रमुख अपेक्षाएं

(क) संगठनात्मक संरचना में सुधार

(ख) क्षेत्राधिकार का विस्तार

(ग) प्रबन्धकीय और वित्तीय स्वायत्तता

(क) संगठनात्मक संरचना में सुधार

लोकायुक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं विधिवत परीक्षण और अन्वेषण के लिए, संगठन को निम्नलिखित चार कार्यात्मक विंगों में विभाजित किया जाना चाहिए :–

(1) प्रशासनिक और पूछताछ अनुभागः

अनुभाग का नेतृत्व सचिव द्वारा किया जाता है। जो सम्पूर्ण संगठन के लिए विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। उसकी सहायता के लिए उप

सचिव, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, लेखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं।

(2) **परीक्षण/जांच अनुभागः**

परिवादों के परीक्षण व जांच हेतु लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त की सहायता के लिए, जिला न्यायाधीश के स्तर के अधिकारियों को विशेषाधिकारी के रूप में तैनात किया जाना चाहिए और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश स्तर के अधिकारियों को उसके सहायक के रूप में तैनात किया जाना चाहिए। ये अधिकारी उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्ति पर लिये जा सकते हैं।

(3) **विशेष पुलिस स्थापना (Special Police Establishment [SPE]):**

ऐसे अपराधों की जांच के लिए एसपीई का गठन किया जाना चाहिए, जो लोक प्रशासन को प्रभावित करते हैं और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। इसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी करें। उनकी मदद पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक, और अन्य रैंक के पुलिसकर्मी हो। एसपीई द्वारा की जाने वाली जांच की निगरानी सीधे रूप से लोकायुक्त के पास होनी चाहिए।

(4) **तकनीकी सेलः**

तकनीकी सेल, तकनीकी प्रकृति की शिकायतों के परीक्षण/जांच से संबंध रखती है। उक्त परीक्षण/जांच अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की जाकर अधीनस्थ के बतौर सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियन्ता और तकनीकी सहायक नियुक्त किये जा सकते हैं।

सार रूप में, भ्रष्टाचार की प्रभावी रोकथाम हेतु वर्तमान परिस्थितियों में उक्त संगठनात्मक संरचना का सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है और इस हेतु लोकायुक्त, राजस्थान को विद्यमान स्टॉफ के अलावा, निम्न अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपलब्ध कराये जाने वांछनीय है–

क्रस	विवरण	वर्तमान संख्या	प्रस्तावित संख्या	वृद्धि
(अ)	**प्रशासनिक और पूछताछ अनुभागः**			
1.	वरिष्ठ उप सचिव	0	1	1
2.	उप सचिव	1	2	1
3.	सहायक सचिव	2	3	1
4.	अनुभाग अधिकारी	5	6	1
(ब)	**परीक्षण/जांच अनुभाग :**			
1.	निदेशक (जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर का अधिकारी)	–	1	1
2.	सीनियर सिविल जज रेंक का अधिकारी	–	2	2
3.	सिविल जज रेंक का अधिकारी	–	2	2
(स)	**विशेष पुलिस स्थापना (एस.पी.ई.)**			
1.	पुलिस अधीक्षक	–	1	1
2.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	–	1	1
3.	उप पुलिस अधीक्षक	–	2	2
4.	पुलिस निरीक्षक	–	3	3
5.	सहायक पुलिस निरीक्षक	–	5	5
6.	हैड कांस्टेबल/कांस्टेबल	–	15	15
(द)	**तकनीकी सेल :**			
1.	अधिशाषी अभियन्ता	–	1	1
2.	सहायक अभियन्ता	–	2	2
3.	कनिष्ठ अभियन्ता	–	2	2
4.	सहायक नगर नियोजक/तकनीकी सहायक	–	2	2

(ख) क्षेत्राधिकार का विस्तार

(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम में परिभाषित '**लोकसेवक**' की परिभाषा को और व्यापक बनाया जाना चाहिए तथा इसमें निम्न को सम्मिलित किया जाना चाहिए–

(अ) सरपंच एवं उप सरपंच।

(ब) को–ऑपरेटिव सोसायटियों व नगर निगम के चैयरमेन, उप–चेयरमेन, प्रबन्ध निदेशक और सदस्य।

(स) नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम इत्यादि स्थानीय निकायों के पार्षद।

(द) राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार व स्टॉफ।

(य) सरकार द्वारा वित्तपोषित समस्त गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) के समस्त पदाधिकारी

(2) विद्यमान प्रावधानों के अनुसार एक लोकसेवक इस सचिवालय में शिकायत प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। अतः लोकसेवकों को भी लोकायुक्त में शिकायत करने हेतु सक्षम बनाया जाना चाहिए। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में ऐसा प्रावधान है।

(3) देश के अन्य लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानानुरूप लोकायुक्त, राजस्थान को भी सम्पत्ति एवं दस्तावेजों के सर्च एण्ड सीजर हेतु वारण्ट जारी करने की शक्तियां प्रदत्त की जानी चाहिए।

(4) केरल लोकायुक्त अधिनियम की भाँति लोकायुक्त, राजस्थान को भी सीपीसी के प्रावधानानुसार मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निषेधाज्ञा पारित करने हेतु सक्षम बनाया जाना चाहिए।

(5) महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं केरला लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानानुरूप लोकायुक्त, राजस्थान द्वारा की गई जाँच उपरान्त लोकसेवकों के सम्बन्ध में की गई या अन्य सुधारात्मक सिफारिशें भी बाध्यकारी की जानी चाहिए।

(स) प्रबन्धकीय और वित्तीय स्वायत्तता

उक्त प्रशासनिक एव संगठनात्मक संरचना का सम्पूर्ण प्रबन्धन और नियन्त्रण एकल रूप से लोकायुक्त में निहित किया जाकर, स्वायत्तता होनी चाहिए। इस हेतु समय–समय पर आवश्यक वित्तीय संसाधनों की मांगनुरूप तत्काल उपलब्धता राज्य सरकार स्तर पर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अध्याय – 1

सम्पादित कार्य

- **परिवादों का विवरण**
- **परिशिष्ट** 1.1 लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.2 धारा 12(1) के प्रकरणों का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.3 अन्वेषण प्रकरणों का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.4 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.5 विभागवार अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों की संख्या
- **परिशिष्ट** 1.6 धारा 12(1) में दोषी पाये गये लोकसेवकों की सूची
- **परिशिष्ट** 1.7 दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
- **परिशिष्ट** 1.8 विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या
- **परिशिष्ट** 1.9 इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप आरोपी लोकसेवकगण से वसूल करवाई गई राशि का विवरण

अध्याय–1

सम्पादित कार्य

इस अध्याय में प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023) में सम्पादित कार्यों का विवरण दिया जा रहा है।

परिवादों का विवरण

दिनांक 01.01.2023 को 3,936 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 31.12.2023 की अवधि में 2,063 नवीन परिवाद प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल परिवादों 5,999 में से 1,958 परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 31.12.2023 को 4,041 परिवाद लम्बित रहे।

इनका विभागवार विवरण परिशिष्ट–1.1 में दिया गया है।

अन्वेषण पश्चात् धारा 12(1) में सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अनुशंषा प्रतिवेदन के प्रकरण

दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में कुल 17 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंषा–प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकरणों का **संक्षिप्त विवरण अध्याय 2** में दिया गया है।

अन्वेषण प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट–1.2 में दिया गया है।

अन्वेषण प्रकरण

दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित अन्वेषण प्रकरणों का विवरण दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 01.01.2023 को कुल 32 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में 28 और प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

इस प्रकार उक्त कालावधि में अन्वेषण के कुल 60 प्रकरणों में से 04 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 17 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंषा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 21 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.2023 को 39 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा।

अन्वेषण प्रकरणों का सांख्यिकी विवरण परिशिष्ट–1.3 में दिया गया है।

प्रारम्भिक जाँच प्रकरण

दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 01.01.2023 को 20 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में 01 और प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई।

इस प्रकार उक्त कालावधि में प्रारम्भिक जाँच के कुल 21 प्रकरणों में से 02 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 05 प्रकरण अन्वेषण प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरणों के शीर्ष में अन्तरित किया गया। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 07 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.12.2023 को 14 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।

प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का सांख्यिकी विवरण परिशिष्ट–1.4 में दिया गया है।

इस सचिवालय की कार्यवाही पर विभागों द्वारा विभागीय स्तर पर लोकसेवकों के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही

प्रतिवेदन अवधि के दौरान इस सचिवालय की कार्यवाही पर 69 प्रकरणों में विभागों द्वारा 109 दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही की गई।

परिशिष्ठ–1.5 में जिन लोकसेवकों पर अनुशासनिक कार्यवाही की गई है, उनके विभागों का शीर्ष अनुसार विवरण दिया गया है।

परिशष्ट–1.6 में इस सचिवालय द्वारा धारा 10 के अन्तर्गत किये गये अन्वेषण पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) में दोषी पाये गये लोकसेवकों की सूची दी गई है।

परिशष्ट–1.7 में जिन लोकसेवकों पर विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है उनके नाम, पदनाम एवं विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

इस सचिवालय की कार्यवाही पर परिवादीगण को प्राप्त अनुतोष के प्रकरण

दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में 241 प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। जिनका संक्षिप्त विवरण **अध्याय 3** में दिया गया है।

इनका विभागवार विवरण परिशिष्ट–1.8 में दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप आरोपी लोकसेवकगण से वसूल करवाई गई राशि कुल लगभग 0.56 करोड़ रुपये ।

विवरण परिशिष्ट–1.9 में दिया गया है।

परिशिष्ट 1.1

लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023

हैड	Department Name	विभाग का नाम	31.12.2022 तक कुल लम्बित शिकायतें	01.01.2023 से 31.12.2023 तक प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें	01.01.2023 से 31.12.2023 तक निस्तारित की गई शिकायतें	दिनांक 31.12.2023 को लम्बित शिकायतें
2	Agriculture	कृषि	17	9	26	12	14
3	Police	पुलिस	232	308	540	236	304
4	Co-Operative	सहकारिता	28	22	50	22	28
5	Education	शिक्षा	96	59	155	49	106
6	College Education	महाविद्यालय शिक्षा	12	2	14	8	6
7	Food & Civil Supply	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	23	9	32	15	17
8	Medical & Health	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	67	55	122	45	77
9	P.W.D.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	32	21	53	20	33
10	R.R.V.V.N.Ltd.	रा0रा0वि0वि0 निगम लि0	43	39	82	56	26
11	Revenue	राजस्व	489	344	833	401	432
12	Panchayat & Development	पंचायती राज	864	464	1328	401	927
13	Famine & Relief	आपदा प्रबन्धन	-	2	2	1	1
14	Transport	परिवहन	9	7	16	11	5
15	Forest	वन	26	12	38	10	28
16	L.S.G.	स्वायत्त शासन विभाग	795	252	1047	210	837
17	U.D.H	नगरीय विकास एवं आवासन	165	101	266	79	187

18	Excise	आबकारी	7	8	15	11	4
19	Industries	उद्योग	12	13	25	10	15
20	Printing & Stationary	मुद्रण	-	-	-	-	-
21	Animal Husbandary	पशुपालन	2	5	7	3	4
22	Govt. Enquiries	राजकीय जॉच	11	0	11	0	11
23	Irrigation	सिंचाई	8	11	19	11	8
24	I.G.N.P	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	1	0	1	0	1
25	Mines Allotment Enquiry	खान आवंटन जॉच	592	0	592	0	592
26	Colonnization	उपनिवेशन	3	2	5	1	4
28	Judiciary	न्याय	1	7	8	8	0
29	Jails	कारागार	-	5	5	4	1
30	Labour	श्रम	8	7	15	7	8
31	P.H.E.D.	जन स्वा0 अभियांत्रिकी	46	18	64	39	25
32	Social Welfare	सामाजिक न्याय अधिकारिता	18	14	32	22	10
33	Settlement	भू–प्रबन्ध	4	1	5	3	2
34	Secretariat	शासन सचिवालय	18	3	21	15	6
35	Miscellaneous	विविध	193	186	379	161	218
40	AC Department	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	5	4	9	0	9
41	Ayurved	आयुर्वेद	5	3	8	1	7
42	Devsthan	देवस्थान	7	4	11	4	7
43	R.S.R.T.C.	रा0रा0पथ परिवहन निगम	3	10	13	5	8
44	Commercial Taxes	वाणिज्यिक कर	2	5	7	3	4
45	Mines & Geology	खान एवं भूविज्ञान	37	14	51	12	39
46	Sanskrit Education1	संस्कृत शिक्षा	1	1	2	2	0
47	Insurance	बीमा	52	34	86	57	29
48	Technical Education	तकनीकी शिक्षा	2	2	4	3	1
Total			**3936**	**2063**	**5999**	**1958**	**4041**

परिशिष्ट–1.2

धारा 12(1) के प्रकरणों का विवरण जिनमें सक्षम प्राधिकारियों को अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के लिए अनुशंषा की गई।

कालावधि – दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023

क्र.सं.	विवरण
1	35(152)लोआस / 2016
2	16(365)लोआस / 2015
3	16(77)लोआस / 2013
4	16(144)लोआस / 2019
5	16(776)लोआस / 2014
6	3(120)लोआस / 2022
7	3(678)लोआस / 2017
8	3(114)लोआस / 2020
9	16(410)लोआस / 2014
10	16(214)लोआस / 2018
11	17(110)लोआस / 2018
12	17(9)लोआस / 2019
13	3(167)लोआस / 2019
14	16(68)लोआस / 2014
15	16(82)लोआस / 2018
16.	19(9)लोआस / 2019
17.	16(484)लोआस / 2018

परिशिष्ट–1.3

अन्वेषण प्रकरणों का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023

क्र. सं.	विवरण	प्रकरण संख्या
1	दिनांक 01.01.2023 को लम्बित	32
2	दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की कालावधि में संस्थित प्रकरण	28
3	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	60
4	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के आधार पर नस्तीबद्ध	0
5	विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण नस्तीबद्ध	0
6	अन्वेषण के पर्याप्त आधार होना नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध	0
7	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध	0
8	आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध	04
9	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	0
10	सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण	17
11	कुल निस्तारित अन्वेषण प्रकरण (योग क्रम संख्या 4–10)	21
12	दिनांक 31.12.2023 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	39

परिशिष्ट–1.4

प्रारम्भिक जांच प्रकरणों का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023

क्र.सं.	विवरण	प्रकरण संख्या
1	दिनांक 01.01.2023 को लम्बित	20
2	दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि में संस्थित	01
3	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	21
4	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के कारण नस्तीबद्ध	0
5	विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण	0
6	अन्वेषण के पर्याप्त आधार होना नहीं पाये जाने से नस्तीबद्ध	02
7	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध	0
8	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	0
9	प्रारम्भिक जांच से अन्वेषण में अन्तरित	05
10	राज्य सरकार को सुझाव भेजकर नस्तीबद्ध	0
11	सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित सुझाव/अनुशंषा के प्रकरण	0
12	कुल निस्तारित प्रारम्भिक जांच (योग क्रम संख्या 4–11)	07
13	दिनांक 31.12.2023 को लम्बित प्रारम्भिक जांच	14

परिशिष्ट–1.5

विभागवार अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों की संख्या
कालावधि दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023

हैड	**Department Name**	विभाग का नाम	संख्या
2	Agriculture	कृषि	-
3	Police	पुलिस	4
4	Co-Operative	सहकारिता	-
5	Education	शिक्षा	2
6	College Education	महाविद्यालय शिक्षा	-
7	Food & Civil Supply	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	-
8	Medical & Health	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	2
9	P.W.D.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	-
10	R.R.V.V.N.Ltd.	रा0रा0वि0वि0 निगम लि0	2
11	Revenue	राजस्व	5
12	Panchayat & Development	पंचायती राज	32
13	Famine & Relief	आपदा प्रबन्धन	-
14	Transport	परिवहन	-
15	Forest	वन	-
16	L.S.G.	स्वायत्त शासन विभाग	4
17	U.D.H	नगरीय विकास एवं आवासन	2
18	Excise	आबकारी	-
19	Industries	उद्योग	-
20	Printing & Stationary	मुद्रण	-
21	Animal Husbandary	पशुपालन	-

22	Govt. Enquiries	राजकीय जॉच	-
23	Irrigation	सिंचाई	-
24	I.G.N.P	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	-
25	Mines Allotment Enquiry	खान आवंटन जॉच	-
26	Colonnization	उपनिवेशन	-
28	Judiciary	न्याय	-
29	Jails	कारागार	-
30	Labour	श्रम	-
31	P.H.E.D.	जन स्वा0 अभियांत्रिकी	1
32	Social Welfare	सामाजिक न्याय अधिकारिता	-
33	Settlement	भू–प्रबन्ध	-
34	Secretariat	शासन सचिवालय	-
35	Miscellaneous	विविध	15
40	AC Department	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-
41	Ayurved	आयुर्वेद	-
42	Devsthan	देवस्थान	-
43	R.S.R.T.C.	रा0रा0पथ परिवहन निगम	-
44	Commercial Taxes	वाणिज्यिक कर	-
45	Mines & Geology	खान एवं भूविज्ञान	-
46	Sanskrit Education1	संस्कृत शिक्षा	-
47	Insurance	बीमा	-
48	Technical Education	तकनीकी शिक्षा	-
Total			**69**

परिशिष्ट–1.6

प्रतिवेदन अवधि के दौरान इस सचिवालय द्वारा धारा 10 के अन्तर्गत किये गये अन्वेषण पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) में दोषी पाये गये कुल 51 लोकसेवकों की सूची। (01.01.2023 से 31.12.2023 तक)

क्रसं	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम	पदनाम
01.	35(152)लोआस / 2016	श्री सोहनलाल (RAS)	तत्कालीन उपायुक्त
		श्रीमती कविता चौधरी	तत्कालीन उपायुक्त
		श्री रामरतन शर्मा (RAS)	तत्कालीन उपायुक्त
		श्री धर्मचंद सोनी	तत्का. कनिष्ठ अभियंता
		श्री कमल कांत बैरवा	तत्का. कनिष्ठ अभियंता
		श्री मुकेश कुमार	तत्का. कनिष्ठ अभियंता
		श्री राजेन्द्र सैनी	गजधर (नगर निगम, विधाधर नगर जोन, जयपुर)
02. 03.	16(77)लोआस / 2013 संलग्न– 16(365)लोआस / 2015	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	तत्कालीन अमीन, जयपुर विकास प्राधिकरण
04.	16(144)लोआस / 2019	श्री रजत जैन	तत्का. कार्यकारी अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीमाधोपुर
		श्री कैलाश चंद शर्मा	तत्का. कार्यकारी अधिशाषी अधिकारी, (क.सहायक) नगरपालिका, श्रीमाधोपुर
05.	16(776)लोआस / 2014	श्री राजकुमार मीणा श्री रामनिवास मीणा	तत्का.प्रवर्तन अधिकारी–जोन 5 जेडीए
06.	3(120)लोआस / 2022	श्री रामनिवास	हैड कानि. थाना सामोद सीसीए नियम 17 के अंतर्गत विचाराधीन विभागीय कार्यवाही में ''एक वार्षिक वेतन वृद्वि अंसचयी प्रभाव'' के दण्ड से दण्डित किया गया ।

07.	3(678)लोआस / 2017	श्री मोहनलाल वर्मा	तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत लालसोट
08.	3(114)लोआस / 2020	श्री अर्जुन सिंह	सहायक उप निरीक्षक, थाना सदर, जिला बून्दी
09.	16(410)लोआस / 2014	श्री पंकज मीणा	तत्का. कनि. अभियन्ता
		श्री अमरीश मीणा	तत्का. कनिष्ठ अभियन्ता
		श्री जितेन्द्र शर्मा	तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी
		श्री राकेश शर्मा	तत्का. तकनीकी अधिकारी
		श्री संजय अग्निहोत्री	तत्का.कनिष्ठ अभियन्ता
		श्री जुगल किशोर	तत्का. स्टोर कीपर
		श्री नरसिंह मीणा	तत्का.कनिष्ठ अभियन्ता
		श्री लक्ष्मीकांत बालोत (RAS)	तत्का.उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग भरतपुर ।
		श्री सौरभ जिन्दल	तत्कालीन आयुक्त
10.	16(214)लोआस / 2018	श्री सुबोध नादेश्वरी	सहायक अभियन्ता, नगर निगम हैरिटेज
		श्री अमित कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम ग्रेटर
11.	17(110)लोआस / 2018	श्री कैलाश चौधरी	तत्का. प्रवर्तन अधिकारी, जोन–5,जेडीए, जयपुर (सहायक आबकारी अधिकारी)
12.	17(9)लोआस / 2019	श्री कैलाश चौधरी	तत्का. प्रवर्तन अधिकारी, जोन–7,जेडीए, जयपुर
		श्री सुरेश कुमार	तत्का.प्रवर्तन अधिकारी–7
13.	3(167)लोआस / 2019	श्री चांद सिह राठौड	तत्का.थानाधिकारी
		श्री सुरताराम	सहायक उप निरीक्षक
14.	16(68)लोआस / 2014	श्री करणी सिंह	तत्कालीन उपायुक्त, नगर निगम जयपुर ।

15.	16(82)लोआस / 2018	श्री सूर्यकांत शर्मा, श्री फतेह सिंह मीणा, श्री विशाल यादव, श्री सलीम खान	तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नीमकाथाना
		श्री सुनील कुमार, श्री मनीष कुमार सिंह	सहायक अभियंता
		श्री राजेश कुमार वर्मा, श्री सत्यपाल जितरवाल,	कनिष्ठ अभियन्ता
		श्री महेश कुमार,	तत्का.अतिक्रमण प्रभारी
16.	19(9)लोआस / 2018	श्री सुधीर लोहिया,	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको
17.	16(484)लोआस / 2018 /	श्री प्रशान्त कुमार, श्री वाजिद खान श्री नवनीत कुमार श्री सीताराम कुमावत श्री नूर मोहम्मद, श्री रघुनाथ प्रसाद श्री देवेन्द्र कुमार सैनी श्री मो.रियाज अहमद, श्री सुमित कुमार	तत्कालीन अधिशाषी अधिकारीगण सहायक अभियंता, सहायक अभियन्ता तत्का.कनिष्ठ अभियन्ता तत्का.कनिष्ठ अभियन्ता

परिशिष्ट–1.7

प्रतिवेदन अवधि के दौरान इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप विभागों द्वारा कुल 109 दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर की गई अनुशासनिक कार्यवाही की सूची। (01.01.2023 से 31.12.2023 तक)

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम / पदनाम	विवरण
1.	16(427) / लोआस / 2018	• श्री सतीश शारदा, सहायक अभियंता	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
2.	5(174) / लोआस / 2017	• श्री शिवराज बैरवा, पूर्व सहायक परियोजना समन्वयक RTE, SSA,	एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
3.	5(3) / लोआस / 2021	• श्री राजेश कुमार जैफ, कनिष्ठ सहायक	दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
4.	16(22) / लोआस / 2020	• श्री शंकरलाल पूंनिया, कनिष्ठ सहायक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
5.	35(316) / लोआस / 2015	• हरेन्द्र सोलंकी, कनिष्ठ लिपिक	एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
6.	35(342) / लोआस / 2015	• सुरेश मीणा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी • भरतकुमार हरितवाल, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी • राकेश कुमार रागेरा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
7.	35(58) / लोआस / 2017	• भरतलाल मीणा, तत्कालीन ग्रामसेवक, • नेमीचंद मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक	दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
8.	35(220) / लोआस / 2017	• नारायण लाल सालवी, कनिष्ठ सहायक, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
9.	35(221) / लोआस / 2017	• श्रीमती नैना चौधरी, तत्कालीन बीडीओ	सीसीए नियम 16 में आरोप पत्र जारी किया गया

10.	35(346)/लोआस/2017	• श्री सतानन्द मीना, व्याख्याता • श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता, सचिव • श्री राजेन्द्र कुमार महावर, वरिष्ठ अध्यापक • श्रीमती नीरज मीणा, वरिष्ठ अध्यापक • श्री अशोक कुमार शर्मा, अध्यापक • श्री रेखसिंह मीणा, अध्यापक • श्री जयसिंह मीनाा, पीटीआई • श्री भीमसिंह डागुर, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
11.	35(435)/लोआस/2018	• जीवणराम, अधीक्षण अभियंता	विनियम संख्या 6 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गयी
12.	35(6)/लोआस/2021	• श्रीमती तारा वर्मा, अध्यापिका, • आशीष कुमार, प्रधानाध्यापक	सीसीए नियम 1958 के नियम 14 द्वितीय एवं वेतन वद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने से दंडित
13.	35(17)/लोआस/2021	• आलोक श्रीवास्तव, तत्कालीन आयुक्त,एक्सईएन • अशोक शर्मा, सहायक निरीक्षक • विनय बोडा, तत्कालीन एईएन • जोधाराम विश्नोई, तत्कालीन आयुक्त	आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी
14.	35(102)/लोआस/2022	• डॉ0 विजयपाल सिंह, तहसीलदार	सीसीए नियम 1958 के नियम 13 निलम्बित किया गया
15.	35(131)/लोआस/2021	• श्रीमती कनक जैन, तत्कालीन उप पंजीयक	विभागीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया
16.	35(132)/लोआस/2021	• श्री हनुमान तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी • श्री ओमप्रकाश, वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
17.	35(19)/लोआस/2022	• छगनलाल गहलोत, कनिष्ठ अभियंता, • श्री भैराराम, उपभोक्ता शाखा लिपिक	ए एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

18.	35(172) / लोआस / 2022	• श्री बजरंगलाल, तत्कालीन नायब तहसीलदार, • तारांचंद जाट, आरआई • सुरेन्द्र कुमार नेहरा, पटवारी	सीसीए नियम 16 में आरोप पत्र जारी किया गया
19.	10(31) / लोआस / 2020	• श्री सीताराम जांगिड, एईएन	विभागीय कार्यवाही लंबित है
20.	3(31) / लोआस / 2022	• श्री महेश चन्द्र फौजदार, कानि 731	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
21.	3(302) / लोआस / 2022	• श्री सलीम मोहम्मद, उप निरीक्षक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
22.	16(73) / लोआस / 2022	• श्री सुनिल कुमार मेघवाल, तत्कालीन लेखाकार • श्री विजय प्रताप सिंह, ईओ • श्री पंकज अग्रवाल, ईई,	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
23.	16(227) / लोआस / 2022	• श्री राजपाल चौधरी, उप नगर नियोजक	आरएसआर नियम 13(1) के तहत निलंबित किया गया
24.	12(164 / लोआस / 2022	• श्री रामपाल चौधरी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
25.	12(173) / लोआस / 2022	• श्री रामपाल चौधरी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
26.	12(271) / लोआस / 2022	• श्री रामपाल चौधरी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
27.	12(257) / लोआस / 2022	• श्री रामपाल चौधरी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
28.	12(283) / लोआस / 2022	• श्री रामपाल चौधरी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
29.	12(222) / लोआस / 2022	• श्री रामपाल चौधरी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
30.	12(41) / लोआस / 2022	• श्री मनोज कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, • श्री भागीरथ सिंह, कनिष्ठ सहायक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
31.	12(125) / लोआस / 2022	• श्री कजोडमल गवारिया, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
32.	12(184) / लोआस / 2022	• श्री भैराराम, कनिष्ठ सहायक, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही

33.	12(457) / लोआस / 2022	• श्री बरकत अली, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी,	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
34.	12(13) / लोआस / 2022	• श्री दिलीप सिंह, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 1958 के नियम 13 निलम्बित किया गया
35.	12(303) / लोआस / 2021	• श्री कपिल दवे, सहायक अभियन्ता • श्री परसराम, कनिष्ठ तकनीकी सहायक	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
36.	3(151) / लोआस / 2021	• श्री कृष्ण देव, हैड का. 2026	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
37.	3(180) / लोआस / 2022	• श्री गोपाल, सहायक उप निरीक्षक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
38.	10(40) / लोआस / 2020	• श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, सहायक अभियंता • श्री राजीव चिराणा, सहायक अभियंता	सीएस–656 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
39.	11(207) / लोआस / 2021	• श्री हरि सिंह शेखावत, तहसीलदार • श्री जीतू सिंह, पटवारी,	सीसीए 17 में वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई
40.	12(131) / लोआस / 2019	• सुरेश सिंह रावत, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए 17 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई
41.	12(433) / लोआस / 2019	• श्री कन्हैयालाल मीणा, कनिष्ठ सहायक	सीसीए 17 में परिनिदां के दण्ड से दण्डित
42.	12(27) / लोआस / 2020	• गोविंद प्रसाद तंबोली, ग्राम विकास अधिकारी,	सीसीए 17 में मौखीक चेतावनी
43.	12(102) / लोआस / 2020	• श्री रामलाल अमन, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए 16 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से राकी गई।
44.	12(161) / लोआस / 2020	• श्री रवि कुमार, कनिष्ठ सहायक	सीसीए 16 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई
45.	12(164) / लोआस / 2020	• श्री रवि कुमार, कनिष्ठ सहायक	सीसीए 16 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई
46.	12(24) / लोआस / 2022	• श्री दिनेश कुमार सैनी, ग्राम विकास अधिकारी,	सीसीए 17 के तहत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी

47.	12(43)/लोआस/2022	• श्री सीताराम जाखड, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए 17 में एक वतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई
48.	12(234)/लोआस/2022	• श्री अशोक कुमार पारीक, ग्राम विकास अधिकारी,	सीसीए 17 में परिनिदां के दण्ड से दण्डित
49.	35(303)/लोआस/2017	• श्री संजय लाल मीणा, पटवारी • श्री कानाराम, तत्कालीन भू अभिलेख निरिक्षक	सीसीए 17 में एक वतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई
50.	12(320)/लोआस/2018	• श्री दिलीप कुमार, ग्राम विकास अधिकारी,	अनुशासनिक कार्यवाही
51.	12(533)/लोआस/2018	• श्री अनुराग पमरार, कनिष्ठ सहायक अभियंता • श्री बनवारी लाल, कनिष्ठ तकनीकी सहायक	अनुशासनिक कार्यवाही
52.	12(311)/लोआस/2018	• श्री प्रताप सिंह सांचोर, सहायक लेखाधिकारी • श्री विष्णुकुमार जाट, कनिष्ठ अभियंता • श्री परशुराम राय, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए के तहत कार्यवाही
53.	12(116)/लोआस/2018	• श्री रामनिवास कुम्हार, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए के तहत कार्यवाही
54.	12(42)/लोआस/2021	• श्री रामपाल चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए के तहत कार्यवाही
55.	12(43)/लोआस/2021	• श्री सुमेरराम मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए के तहत कार्यवाही
56.	12(19)/लोआस/2019	• श्री भंवर सिंह चौहान, ग्राम विकास अधिकारी • श्री विजय सिंह मीणा, कनिष्ठ सहायक	17 सीसीए के तहत कार्यवाही
57.	12(191)/लोआस/2018	• श्री अभिमन्यु सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, • श्री कैलाश जाणी, ग्राम विकास अधिकारी • श्री जेठाराम, कनिष्ठ सहायक • श्रीमती लीलावती मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, • श्री उमरासिंह, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए के तहत कार्यवाही

		• श्री बजरंग सिंह, ग्राम विकास अधिकारी • श्री बालूराम, ग्राम विकास अधिकारी • श्री सीताराम, कनिष्ठ सहायक • श्री भजन लाल, ग्राम विकास अधिकारी, • श्री गुलाब चन्द सोनी, ग्राम विकास अधिकारी • श्री बालूरा गौड, ग्राम विकास अधिकारी	
58.	12(274)/लोआस/2018	• श्री रामनिवास कुम्हार, ग्राम विकास अधिकारी	17 सीसीए के तहत कार्यवाही
59.	12(436)/लोआस/2016	• श्री सुनिल द्विवेदी, कनिष्ठ अभियंता	17 सीसीए के तहत कार्यवाही
60.	12(657)/लोआस/2017	• श्री मुकेश कुमार बैरवा, ग्राम विकास अधिकारी,	17 सीसीए के तहत कार्यवाही
61.	8(40)/लोआस/2020	• डॉ निर्मला सिंह, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी	17 सीसीए के तहत कार्यवाही
62.	8(48)/लोआस/2017	• श्री राजराज शर्मा, औषधि नियंत्रक • श्री राकेश वर्मा, सहायक औषधि नियंत्रक	16 सीसीए के तहत कार्यवाही
63.	17(153)/लोआस/2018	• श्री अमरसिंह, पटवारी	16 सीसीए के तहत कार्यवाही
64.	31(80)/लोआस/2017	• श्री ओम प्रकाश, कार्यप्रसारित सहायक	16 सीसीए के तहत कार्यवाही
65.	17(5)/लोआस/2019	• श्री सतीश कुमार शारदा, सहायक अभियंता	17 सीसीए के तहत कार्यवाही
66.	11(312)/लोआस/2018	• सुश्री पूजा यादव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	अनुशासनिक कार्यवाही
67.	11(122)/लोआस/2020	• श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर, तहसील राजस्व लेखाकार	16 सीसीए के तहत कार्यवाही
68.	11(382)/लोआस/2021	• श्री धर्मेन्द्र कुमार स्वामी, उप पंजीयक	अनुशासनिक कार्यवाही
69.	11(42)/लोआस/2022	• श्री मंजूर अली, उप पंजीयक	17 सीसीए के तहत कार्यवाही

परिशिष्ट–1.8

विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या

कालावधि – दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023

हैड	Department Name	विभाग का नाम	संख्या
2	Agriculture	कृषि	0
3	Police	पुलिस	17
4	Co-Operative	सहकारिता	2
5	Education	शिक्षा	4
6	College Education	महाविद्यालय शिक्षा	0
7	Food & Civil Supply	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	6
8	Medical & Health	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	6
9	P.W.D.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	1
10	R.R.V.V.N.Ltd.	रा0रा0वि0वि0 निगम लि0	8
11	Revenue	राजस्व	42
12	Panchayat & Development	पंचायती राज	31
13	Famine & Relief	आपदा प्रबन्धन	0
14	Transport	परिवहन	0
15	Forest	वन	2
16	L.S.G.	स्वायत्त शासन विभाग	35
17	U.D.H	नगरीय विकास एवं आवासन	14
18	Excise	आबकारी	0
19	Industries	उद्योग	2
20	Printing & Stationary	मुद्रण	0
21	Animal Husbandary	पशुपालन	0

22	Govt. Enquiries	राजकीय जॉच	0
23	Irrigation	सिंचाई	0
24	I.G.N.P	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	0
25	Mines Allotment Enquiry	खान आवंटन जॉच	0
26	Colonnization	उपनिवेशन	0
28	Judiciary	न्याय	0
29	Jails	कारागार	0
30	Labour	श्रम	0
31	P.H.E.D.	जन स्वा0 अभियांत्रिकी2	3
32	Social Welfare	सामाजिक न्याय अधिकारिता	1
33	Settlement	भू–प्रबन्ध	0
34	Secretariat	शासन सचिवालय	0
35	Miscellaneous	विविध	18
40	AC Department	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	0
41	Ayurved	आयुर्वेद	0
42	Devsthan	देवस्थान	1
43	R.S.R.T.C.	रा0रा0पथ परिवहन निगम	0
44	Commercial Taxes	वाणिज्यिक कर	0
45	Mines & Geology	खान एवं भूविज्ञान	0
46	Sanskrit Education1	संस्कृत शिक्षा	0
47	Insurance	बीमा	47
48	Technical Education	तकनीकी शिक्षा	1
Total			**241**

परिशिष्ट–1.9

इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप आरोपी लोकसेवकगण से वसूल करवाई गई राशि का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023

क्रम	पत्रावली संख्या	वसूल की गई राशि (लाखों में)
1.	16(538)/LAS/2018	2.57
2.	16(75)/LAS/2020	10.77
3.	16(103)/LAS/2021	13.04
4.	35(225)/LAS/2019	1.07
5.	35(161)/LAS/2021	13.35
6.	35(12)/LAS/2022	0.87
7.	12(18)/LAS/2022	0.73
8.	11(162)/LAS/2020	1.33
9.	12(780)/LAS/2016	0.34
10.	12(431)/LAS/2017	2.17
11.	12(241)/LAS/2018	2.57
12.	12(242)/LAS/2018	0.30
13.	12(417)/LAS/2018	0.02
14.	12(326)/LAS/2019	0.27
15.	12(287)/LAS/2022	0.02
16.	12(635)/LAS/2017	2.23
17.	12(16)/LAS/2021	2.20
18.	12(38)/LAS/2021	0.69
19.	12(42)/LAS/2021	0.46
20.	12(43)/LAS/2021	1.46
	कुल राशि	**56.46**

अध्याय - 2

अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण

अध्याय–2

अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण

एफ 35(152)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार अरोडा, निवासी प्लॉट संख्या 53/13, प्रताप नगर, सांगानेर, जिला जयपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की निवारू रोड, जयपुर स्थित डिफेन्स कॉलोनी योजना में उसकी क्रयशुदा दुकान के पीछे स्थित प्लॉट संख्या 3 के स्वामी श्री योगेश शर्मा एवं श्रीमती कृष्णा शर्मा द्वारा अपनी जमीन के पीछे के हिस्से (दक्षिण दिशा) से प्रार्थीया की दुकानों की जमीन एवं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बिना अनुमति के कॉम्पलेक्स एवं बेसमेन्ट आदि का निर्माण कर लिया है, जबकि उसकी दुकानों के पिछले हिस्से में दक्षिण दिशा की ओर 200 फीट सड़क ही स्वीकृति हैं। परिवादी द्वारा आयुक्त, जेडीए एवं उपायुक्त, जोन संख्या 6 व 7 एवं प्रवर्तन शाखा को भी लिखित में शिकायत की गई, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिवाद के संबंध में विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट से प्रथमदृष्टया नगर निगम, जयपुर के विद्याधर नगर जोन में उपायुक्त के पद पर पदस्थापित लोक सेवकों द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्य का पालना नहीं करने और अवैध निर्माण को रोकने बाबत समुचित प्रयास नहीं करना पाये जाने पर उनके विरूद्ध

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोक सेवकों को अपने–अपने प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्षः–

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य एवं तर्क, विवेचन तथा लोकसेवको के स्पष्टीकरण में प्रकट स्थिति के आधार पर अपचारी लोकसेवक (1) **श्री सोहनलाल** (तत्कालीन उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम, जयपुर), (2) **श्रीमती कविता चौधरी (**तत्कालीन उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम, जयपुर), (3) **श्री रामरतन शर्मा** (तत्कालीन उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम, जयपुर), (4) **श्री मुकेश कुमार** (तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम, जयपुर) (5) **श्री धर्मचंद सोनी** (तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम, जयपुर), (6) **श्री कमलकांत बैरवा** तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम,जयपुर) एवं (7) **श्री राजेन्द्र सैनी** (तत्कालीन गजधर, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम, जयपुर) के विरूद्ध पदीय दायित्व/कर्त्तव्य निर्वहन में उपेक्षा, लापरवाही एवं अकर्मण्यता का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 16(365)लोआस / 2015

एफ 16(77)लोआस / 2013

परिवादी श्रीमती रजनी यादव, निवासी 61 / 175, प्रताप नगर, सांगानेर, जिला जयपुर (भूखण्डधारी, भूखण्ड संख्या 196, मल्हौत्रा नगर,जयपुर) द्वारा इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया गया कि गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. एस.डी.191, शांति नगर, जयपुर (रजि.नं. 2564–एल) के पदाधिकारियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के जोन–2 एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के अधिकारियों / कर्मचारियों से मिलिभगत कर समिति की मल्हौत्रा नगर, सीकर रोड, जयपुर में स्थित आवासीय योजना के भूखण्डो में अत्यधिक फर्जीवाड़ा किया और मामले में जांच अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने एवं दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया।

इसी तरह का एक अन्य परिवाद संख्या **एफ 16(365)लोआस / 2015 / *u/s-12*** परिवादी श्रीमती रेशम देवी जरिए मु.आ.श्री अरविन्द यादव दत्तक पुत्र श्री कंवर सिंह ने अपने भूखण्ड संख्या 207, क्षेत्रफल 300 वर्गगज, गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति प्रा.लि., शांति नगर, जयपुर की आवासीय योजना मल्होत्रा नगर, सीकर रोड, जयपुर बाबत प्रस्तुत किया।

परिवाद संख्या **एफ 16(365)लोआस / 2015 / u/s-12** को **पत्रावली संख्या एफ 16(77)लोआस / 2013 / u/s-12** के साथ समेकित कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से प्रथमदृष्टया भू–प्रबन्ध विभाग में अमीन के पद पर पदस्थापित लोक सेवक द्वारा अपनीपदीय शक्ति का दुरूपयोग करना प्रकट होने से, उसके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा

उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोक सेवक को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्षः–

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य एवं तर्क विवेचन तथा लोकसेवको के स्पष्टीकरण में प्रकट स्थिति के आधार पर अपचारी लोकसेवक **श्री महेन्द्र कुमार शर्मा**, तत्कालीन अमीन, (सेवानिवृत्त भू–मापक, भू–प्रबन्ध विभाग) के विरूद्ध भ्रष्ट आचरणपूर्वक अपनी पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 16(144)लोआस / 2019

परिवादी श्री नरेन्द्र बिजारणिया पुत्र श्री बंशी सिंह, निवासी नया कुंआ, वार्ड संख्या 5, श्रीमाधोपुर, द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथित किया गया कि श्री सालगराम चौधरी द्वारा खटोड बाजार, श्रीमाधोपुर में बिना निर्माण स्वीकृति, मास्टर प्लान व सी.टी. सर्वे में रास्तें की भूमि पर सेटबैक छोड़ेबिना अवैध रूप से व्यवसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कर लिया गया। इस सम्बन्ध में विभाग को शिकायत करने के उपरान्त भी अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीमाधोपुर द्वारा यथोचित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई।

इस संबंध में उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को परिवाद की प्रति प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई जिस पर उनके द्वारा इस सचिवालय को रिपोर्ट प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि नगरपालिका, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा कोई निर्माण स्वीकृति नहीं दी गई एवं प्रश्नगत अवैध निर्माण नियम विरूद्ध किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि मौका निरीक्षण उपरान्त आगे अवैध निर्माण न होने देने के लिए तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को पाबन्द नहीं किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट से प्रथमदृष्टया श्री कैलाश चंद शर्मा (तत्कालीन कार्यकारी अधिशाषी अधिकारी) एवं श्री रजत जैन (कार्यकारी अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीमाधोपुर) के विरूद्ध पदीय कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन नहीं कर, भू–स्वामी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से अवैध निर्माण होने देने में सहयोग कर पद का दुरूपयोग करना प्रमाणित होने से उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 (1)(क) के अंतर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

दौराने अन्वेषण आरोपी लोकसेवक श्री रजत जैन द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया एवं अन्य आरोपी लोकसेवक श्री कैलाश चंद शर्मा द्वारा अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

निष्कर्षः–

परिवादी के आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य,तर्क विवेचन एवं संबंधित लोकसेवक के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए अपचारी लोकसेवक (1) **श्री रजत जैन,** तत्कालीन कार्यकारी अधिशाषी अधिकारी, (राजस्व निरीक्षक) नगरपालिका, श्रीमाधोपुर एवं (2) **श्री कैलाश चंद शर्मा,** तत्कालीन कार्यकारी अधिशाषी अधिकारी, (कनिष्ठ सहायक) नगरपालिका, श्रीमाधोपुर के विरूद्ध पदीय

कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन नहीं कर, भ्रष्ट आचरणपूर्वक पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 16(776)लोआस/2014

परिवादी श्री रोहित शर्मा, निवासी प्लाट नं. 15ए, नरेन्द्र नगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि भूखण्ड संख्या 9, श्रीरामपुरम कॉलोनी, गुर्जर की थड़ी पर नियम विरूद्ध निर्माण करवाया जा रहा है, जबकि 30 फीट रोड पर इस प्रकार के फ्लेट का निर्माण नहीं किया जा सकता। परिवादी द्वारा विवादित स्थल के फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये। अतः जिम्मेदार कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

इस संबंध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को परिवाद की प्रति प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में लोकसेवक **श्री राजकुमार मीणा**, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जोन 5, जेडीए (हाल थानाधिकारी पुलिस थाना मलारना डूँगर) एवं **श्री रामनिवास मीणा**, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जोन 5, जेडीए (हाल–थानाधिकारी, पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर) के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर, उन्हें अपना लिखित स्पष्टीकरण सचिवालय में प्रस्तुत किये जाने बाबत नोटिस जारी किये गये जिसके क्रम में उक्त लोकसेवकों द्वारा अपने लिखित स्पष्टीकरण सचिवालय में प्रस्तुत किये गये।

<u>निष्कर्षः–</u>

विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं परिवादी के आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य, तर्क विवेचन एवं संबंधित लोकसेवक **श्री राजकुमार मीणा**, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जोन–5, जेडीए (हाल थानाधिकारी, पुलिस थाना, मलारना डूँगर) एवं **श्री रामनिवास मीणा**, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जोन 5, जेडीए (हाल–थानाधिकारी, पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर) के विरूद्ध भ्रष्ट आचरणपूर्वक भू–स्वामी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से अवैध निर्माण को प्रश्रय देकर पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 3(120)लोआस / 2022

परिवादी श्री दीपक योगी पुत्र श्री चतुर्थीलाल योगी, निवासी चिथवाड़ी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि उसकी पत्नी श्रीमती रेणू योगी ने उसके विरूद्ध एक इस्तगासा उपखण्ड अधिकारी, चौमूं के समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी जांच श्री रामनिवास, हैड कानि. 424, पुलिस थाना, सामोद द्वारा की गई जिसमें श्री रामनिवास द्वारा पत्नी श्रीमती रेणू से मिलकर गलत एवं झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अतः श्री रामनिवास हैड कानि. के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

परिवाद के संबंध में पुलिस विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट से पुलिस थाना, सामोद में पदस्थापित हैड कास्टेबल श्री रामनिवास के विरूद्ध प्रथमदृष्टया श्रीमती रेणू योगी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से अपनी पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रकट होने से, उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त

तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोक सेवक ने अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया तथा परिवादी व उसके गवाहान के बयान लेखबद्व किये गये जिनसे लोकसेवक श्री रामनिवास द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई।

निष्कर्षः–

तत्पश्चात् अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं तर्क विवेचन तथा लोकसेवक के स्पष्टीकरण में प्रकट स्थिति को देखते हुए अपचारी लोकसेवक श्री रामनिवास, हैड कानि. पुलिस थाना, सामोद के विरूद्ध अप्रार्थीया श्रीमती रेणू योगी को अनुचित लाभपहुंचाते हुए पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 3(678)लोआस / 2017

परिवादी श्री मनीष कुमार शर्मा, निवासी प्रेमनगर, आगरा रोड, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में उन्होंने पुलिस थाना, लालसोट में दर्ज प्रकरण संख्या 189 / 2017 व 190 / 2017 में श्री मोहनलाल वर्मा, वृत्ताधिकारी, वृत लालसोट द्वारा भू–माफियाओं के प्रभाव में आकर निष्पक्ष अनुसंधान नहीं करने का आक्षेप लगाते हुए, मामले में जांच करने की प्रार्थना की।

परिवाद पर पुलिस अधीक्षक, दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। पुलिस अधीक्षक, दौसा द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट में अनुसंधान अधिकारी श्री मोहनलाल वर्मा,

तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत लालसोट द्वारा प्र.सू.रि. संख्या 189/2017 में मजरूब अनिल कुमार के जबडे व दांत में आई चोट के बारे में 8 माह तक एक्स–रे नहीं करवाना एवं इस संबंध में विशेषज्ञ से कोई राय नहीं लिया जाना माना, लेकिन विभाग द्वारा इस लापरवाही के संबंध में उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई।

तथ्यात्मक रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में श्री मोहनलाल वर्मा, तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत लालसोट के विरूद्ध प्रथमदृष्टया पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रकट होने से उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अधीन अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोक सेवक ने अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

निष्कर्षः–

प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य, तर्क विवेचन एवं संबंधित लोकसेवक के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए, अपचारी लोकसेवक (1) **श्री मोहनलाल वर्मा**, तत्कालीन वृताधिकारी, वृत लालसोट के विरूद्ध अपने कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही एवं पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

एफ 3(114)लोआस/2020

परिवादी श्री पूनम चंद जैन, निवासी बटक भैरू पाडा, जिला बून्दी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि दिनांक 16.06.2020 को सहायक उप निरीक्षक, श्री अर्जुन सिंह, पुलिस थाना, सदर जिला बून्दी ने दो गोवंश से भरी पिकअप गाड़ी

पकड़ी जिस पर श्री अर्जुन सिंह द्वारा पिकअप चालको के विरूद्ध प्रकरण दर्ज नहीं कर, उन्हें बिना किसी विधिक कार्यवाही के छोड़ दिया। परिवादी द्वारा सहायक उप निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद पर पुलिस अधीक्षक, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि श्री अर्जुन सिंह, सहायक उप निरीक्षक द्वारा दो पिकअप वाहनों में निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में 6 गाय व 2 बछड़ो को परिवहन कर ले जाने के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई जिसकी पुष्टि तत्कालीन वृत्ताधिकारी, वृत बून्दी श्री मनोज शर्मा द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी की गई।

इस पर लोकसेवक श्री मनोज शर्मा, तत्कालीन वृत्ताधिकारी व श्री अर्जुन सिंह, सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारम्भ कर, उन्हें अपना लिखित स्पष्टीकरण सचिवालय में प्रस्तुत किये जाने बाबत नोटिस जारी किये गये जिसके क्रम में लोकसेवकों द्वारा अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।

दौराने अन्वेषण परिवादी श्री पूनमचंद जैन के बयान लेखबद्व किये गये जिस पर लोकसेवकों द्वारा प्रतिपरीक्षा पूर्ण की गई।

निष्कर्षः—

प्रकरण में परिवादी के आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य, तर्कविवेचन एवं संबंधित लोकसेवकों के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए अपचारी लोकसेवक **श्री अर्जुन सिंह,** सहायक उप निरीक्षक, थाना सदर, जिला बून्दी के विरूद्ध अपने कर्त्तव्य निर्वहन में पदीय शक्ति का दुरूपयोग एवं अकर्मण्यता का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम

1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 16(410)लोआस/2014

परिवादी श्री दीपचंद गुप्ता, निवासी पुरानी मण्डी, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर ने नगर परिषद्, गंगापुरसिटी द्वारा 148 लाख रूपये के निर्माण कार्य के संबंध में एक राज्य स्तरीय एवं एक अखिल भारतीय समाचार पत्र में निविदा का प्रकाशन नहीं करवाने एवं अधिशाषी अभियंता द्वारा 5 व 50 लाख रूपये से अधिक कार्यों का तकनीकी अनुमोदन अधीक्षण अभियंता या निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग से नहीं कराने तथा बिना तकनीकी व वितीय स्वीकृति के कार्यादेश जारी करने और निर्माण कार्यों के भुगतान से पहले सक्षम अधिकारी से गुणवता की जांच नहीं करवाने आदि अनियमितताओं के सम्बन्ध में परिवाद प्रस्तुत कर, मामले की जांच करवाने की प्रार्थना की।

परिवादी से प्राप्त परिवाद के संबंध में विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई थी जिस पर उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि नगर परिषद्, गंगापुर सिटी में तत्समय कार्यरत लोकसेवकों द्वारा अपनी पदीय शक्ति का दुरूपयोग व भ्रष्टाचार कारित कर निविदा प्रक्रिया, निर्माण कार्य एवं संवेदकों को भुगतान करने में गंभीर अनियमितता कारित की गई।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में लोकसेवक श्री सौरभ कुमार जिन्दल, तत्कालीन आयुक्त, श्री पंकज मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री अमरीश मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री जितेन्द्र शर्मा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री राकेश शर्मा, तत्कालीन तकनीकी अधिकारी, श्री संजय अग्निहोत्री, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री जुगलकिशोर, तत्कालीन स्टोरकीपर, श्री नरसिंह मीणा (नरसी मीणा),

श्री लक्ष्मीकांत बालोत, आर.ए.एस एवं डॉ. बी.के.सिंह के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारम्भ कर, उन्हें अपना लिखित स्पष्टीकरण सचिवालय में प्रस्तुत किये जाने बाबत नोटिस जारी किये गये। इस पर लोकसेवकों द्वारा अपने लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये। लोकसेवक श्री अमरीश मीणा द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

परिवादी श्री दीपचंद गुप्ता की मृत्यु होने एवं लोकसेवको द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर सम्पूर्ण साक्ष्य अवसर समाप्त किया गया।

निष्कर्षः–

तत्पश्चात् अभिलेख पर आई साक्ष्य,तर्क विवेचनएवं संबंधित लोकसेवको के स्पष्टीकरण में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवकों (1) श्री सौरभ कुमार जिन्दल, तत्कालीन आयुक्त, (2) श्री पंकज मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, (3) श्री अमरीश मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, (4) श्री जितेन्द्र शर्मा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, (5) श्री राकेश शर्मा, तत्कालीन तकनीकी अधिकारी, (6) श्री संजय अग्निहोत्री, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, (7) श्री जुगलकिशोर, तत्कालीन स्टोर कीपर, (8) श्री नरसिंह मीणा (नरसी मीणा) एवं (9) श्री लक्ष्मीकांत बालोत, आरएएस के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

इसके अतिरिक्त लोकसेवक डॉ. बी.के.सिंह, अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेषण विभाग के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर उनके विरूद्ध विचाराधीन अन्वेषण कार्यवाही समाप्त की गई ।

एफ 16(214)लोआस / 2018

परिवादी श्री आशुतोष कुमावत पुत्र श्री ओमप्रकाश कुमावत, निवासी 86 / 176 निवासी कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर ने परिवाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उनके पड़ौसी (मकान संख्या 86 / 175, सेक्टर 8, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर) द्वारा बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत बहु मंजिला निर्माण शुरू कर दिया। उक्त निर्माण के संबंध में नगर निगम के अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिवाद के संबंध में विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई जिस पर उनके द्वारा रिपोर्ट में यह कथन किया कि प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 186 / 75 में भू–तल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर निर्माण पाया गया। उक्त अवैध निर्माण के संबंध में जोन द्वारा नोटिस दिनांक 16.11.2017 एवं दिनांक 29.04.2019 जारी किये गये। इसके अलावा अवैध निर्माण के विरूद्ध अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत दिनांक 16.11.2017 से दिनांक 09.05.2019 तक कार्यालय उपायुक्त सांगानेर जोन, नगर निगम, जयपुर में पदस्थापित उपायुक्त श्री रविन्द्र शर्मा व श्रीमती ममता नागर एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री सुबोध नादेश्वरी व श्री अमित कुमावत के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर उन्हें अपना लिखित स्पष्टीकरण सचिवालय में प्रस्तुत किये जाने बाबत नोटिस जारी किये गये जिस पर

लोकसेवकों द्वारा अपने लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये। परिवादी एवं लोकसेवकों की स्वयं की प्रार्थना पर उनका साक्ष्य/प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त किया गया।

निष्कर्षः—

परिवादी के आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य, तर्क विवेचन एवं संबंधित लोकसेवक (1) श्री सुबोध नादेश्वरी, सहायक अभियन्ता, नगर निगम हैरिटेज एवं (2) श्री अमित कुमार कुमावत, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम ग्रेटर के स्पष्टीकरण में प्रकट स्थिति को देखते हुए अपचारी लोकसेवको के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त लोकसेवक श्री रविन्द्र शर्मा, आरएएस एवं श्रीमती ममता नागर के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अन्वेषण कार्यवाही समाप्त की गई।

एफ 17(110)लोआस/2018

परिवादी श्री जीवनराम निमोरिया पुत्र स्व. रामनारायण, निवासी प्लाट संख्या 120, टैगोर नगर, करतारपुरा, जयपुर ने परिवाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उनके पड़ौसी भूखण्ड संख्या 121 के भूखण्डधारी श्री प्रेमनारायण द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर जीरो सैटबेक पर तीन मंजिला भवन का निर्माण कर अवैध रूप से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। उनके द्वारा परिवाद पत्र के साथ विवादित भूखण्ड के फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये। अतः मामले की जांच की जाये।

परिवाद पर विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई जिसमें उन्होंने प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 121, टेगौर नगर, करतारपुरा, जयपुर में निर्मित निर्माण को अवैध बताया।

इस पर प्रकरण में प्रारम्भिक जांच की गई जिसमें आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में तत्समय जोन–5 में पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारी श्री कैलाश चौधरी (हाल–सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जयपुर ग्रामीण) के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। दौराने अन्वेषण अपचारी श्री कैलाश चौधरी को लिखित स्पष्टीकरण सचिवालय में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिसके क्रम में लोकसेवक द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। परिवादी की साक्ष्य लेखबद्ध जिससे लोकसेवक श्री कैलाश चौधरी द्वारा प्रतिपरीक्षा पूर्ण की गई।

निष्कर्षः–

तत्पश्चात् अभिलेख पर आई साक्ष्य, तर्क विवेचन एवं संबंधित लोकसेवक श्री कैलाश चौधरी, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जोन 5, जेडीए, जयपुर (हाल–सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जयपुर ग्रामीण) के स्पष्टीकरण में प्रकट स्थिति को देखते हुए अपचारी लोकसेवक के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 17(9)लोआस / 2019

परिवादी श्री अशोक बसेटिया पुत्र श्री रामचन्द्र बसेटिया, निवासी ग्राम नाडिया, सिरसी, भांकरोटा रोड, जयपुर ने परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि भूखण्ड संख्या 4 व 5 कनक विहार, कनकपुरा, जयपुर में 6 मंजिला आवासीय फ्लेटों का अवैध निर्माण बिना सेटबैक छोड़े किया जा रहा हैं जिससे भूखण्ड संख्या 18 के चरपेटे

भूखण्ड संख्या 4 व 5 से होने के कारण उसके हवा–पानी व रोशनी अवरूद्ध हो गये हैं। अतः अवैध निर्माण व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

परिवादी से प्राप्त परिवाद के संबंध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई जिसके अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि दिनांक 13.12.2018 के उपरान्त प्रवर्तन अधिकारी, जोन–7 को प्रश्नगत अवैध निर्माण का संज्ञान होने के पश्चात् भी उनके द्वारा अवैध निर्माण हटाये जाने बाबत किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस पर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में तत्समय जोन–7 में पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारी **श्री कैलाश चौधरी** एवं **श्री सुरेश कुमार**, के विरूद्ध प्रथमदृष्टया पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रकट होने से उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। दौराने अन्वेषण अपचारियों को लिखित स्पष्टीकरण सचिवालय में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिसके क्रम में लोकसेवक द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

निष्कर्षः–

तत्पश्चात् अभिलेख पर आई साक्ष्य, तर्क विवेचन एवं संबंधित लोकसेवक **श्री कैलाश चौधरी**, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जोन 7 एवं **श्री सुरेश कुमार**, तत्कालीन प्रतर्वन अधिकरी जोन–7 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में प्रकट स्थिति को देखते हुए अपचारी लोकसेवकों के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 3(167)लोआस/2019

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद खुराना, निवासी 76 न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, जयपुर रोड, अलवर ने परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि उनकी कृषि भूमि पर अयूब व उसके साथी भू–माफिया द्वारा कब्जा करने के प्रयास करने एवं इस बारे में न्यायालय के निर्णय के सन्दर्भ में भूमि में काश्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक को 38,074/रूपये जमा करवाकर पुलिस इमदाद ली गई। पुलिस थाना, उद्योग नगर, अलवर के थानाधिकारी श्री चांद सिंह राठौड व उसके सहयोगी पुलिस कर्मियों द्वारा भू–माफियाओं से मिली भगत कर उसे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराये जाने में देरी की गई जिससे फसल की बुआई समय पर नहीं हो पाई। इस प्रकार पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा भू–माफियाओं से मिलीभगत कर पद का दुरूपयोग करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

परिवाद के संबंध में पुलिस अधीक्षक, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई।

रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथमदृष्टया पुलिस थाना, उद्योग नगर, अलवर में पदस्थापित लोकसेवकों का कृत्य पदीय शक्ति के दुरूपयोग में आने से, उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। दौराने अन्वेषण अपचारियों को लिखित स्पष्टीकरण सचिवालय में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिसके क्रम में लोकसेवक द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

दौराने अन्वेषण परिवादी श्री जगदीश प्रसाद के कथन लिये गये जिससे अपचारियों द्वारा प्रतिपरीक्षा पूर्ण की गई।

<u>निष्कर्षः–</u>

तत्पश्चात् पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री के अधार पर अपचारी लोक सेवक **श्री चांद सिंह राठौड**, तत्कालीन थानाधिकारी एवं **श्री सुरताराम**, सहायक

पुलिस उप निरीक्षक के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग एवं अकर्मण्यता का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1)के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 16(68)लोआस/2014

परिवादी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, निवासी मकान नं.5, तानाजी मार्ग, पोण्ड्रिक उद्यान के पास, ब्रहम्पुरी, जयपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि आराजी खसरा संख्या 230 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा की भूमि पटवार हल्का, नाहरगढ़ की जमाबंदी अनुसार नगर निगम, जयपुर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर श्री प्रभुदयाल सैनी द्वारा 300 वर्गमीटर भूमि पर बिना स्वीकृति अवैध निर्माण कर मकान बनाया जा रहा है, जिससे निगम को करोडों रूपयों का नुकसान हो रहा है। अतः अवैध निर्माण को हटवाये जाकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

परिवादी से प्राप्त परिवाद के संबंध में विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के पद पर पदस्थापित लोकसेवक (1) श्री रामकिशोर मेहता, (2) श्री दिनेश कुमार पारीक, (3) श्री राजूलाल गूर्जर, (4) श्री रमाकांत अग्रवाल, (5) श्री धारासिंह मीणा, (6) श्रीमती कविता चौधरी, (7) श्रीमती सरोज ढाका, (8) श्री राधाकृष्ण मीणा, (9) श्री करणी सिंह, (10) श्री प्रियवृत सिंह चारण एवं (11) श्री सुरेन्द्र सिंह यादव के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। दौराने अन्वेषण अपचारी लोक सेवकों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने बाबत नोटिस जारी किये गये, जिस पर उनके द्वारा अपने–अपने लिखित स्पष्टीकरण सचिवालय में प्रस्तुत किये गये।

<u>निष्कर्षः—</u>

तत्पश्चात् पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री अनुसार लोकसेवक (1) श्री रामकिशोर मेहता, (2) श्री दिनेश कुमार पारीक, (3) श्री राजूलाल गूर्जर, (4) श्री रमाकांत अग्रवाल, (5) श्री धारासिंह मीणा, (6) श्रीमती कविता चौधरी, (7) श्रीमती सरोज ढाका, (8) श्री राधाकृष्ण मीणा, (9) श्री प्रियवृत सिंह चारण एवं (10) श्री सुरेन्द्र सिंह यादव के विरूद्ध आरोपित अरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

जबकि अपचारी लोकसेवक **श्री करणी सिंह**(तत्कालीन उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगरनिगम ग्रेटर, जयपुर) के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला स्पष्टतः प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप—लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 16(82)लोआस / 2018

परिवादी श्री श्रवण सिंह राजपूत, निवासी वार्ड संख्या 5, मयूर स्कूल के पास, नीमकाथाना, सीकर ने परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि नगरपालिका, नीमकाथाना में पदस्थापित अधिशाषी अधिकारी श्री विशाल यादव द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के कपील अस्पताल की पश्चिम दीवार के अन्दर तक धर्मकांटे के पीछे शिव मंदिर के पास कपील मण्डी के व्यस्त इलाके में बिना मालिकाना हक के अवैध रूप से निर्माण करने पर शिकायत की गई, किन्तु नगरपालिका, नीमकाथाना में पदस्थापित लोक सेवकों द्वारा शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं गई। अतः जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

परिवाद पर विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत नगरपालिका, नीमकाथाना में पदस्थापित लोकसेवक (1) श्री सूर्यकांत

शर्मा, (2) श्री फतेह सिंह मीणा, (3) श्री विशाल यादव, (4) श्री सलीमखान (तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, नीमकाथाना) एवं (5) श्री सुनील कुमार, सहायक अभियंता, (6) श्री मनीष कुमार सिंह, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, (7) श्री राजेश कुमार वर्मा, (8) श्री सत्यपाल जितरवाल, (9) श्री महेश कुमार, तत्कालीन अतिक्रमण प्रभारी के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। दौराने अन्वेषण अपचारी लोक सेवकों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने बाबत नोटिस जारी किये गये जिस पर उनके द्वारा अपने–अपने लिखित स्पष्टीकरण सचिवालय में प्रस्तुत किये गये।

निष्कर्षः–

परिवादी के आरोप के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट व अभिलेख पर आई साक्ष्य, तर्क विवेचन से लोकसेवक (1) श्री सूर्यकांत शर्मा, (2) श्री फतेह सिंह मीणा, (3) श्री विशाल यादव, (4) श्री सलीम खान (तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, नीमकाथाना) (5) श्री सुनील कुमार, सहायक अभियंता, (6) श्री मनीष कुमार सिंह, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, (7) श्री राजेश कुमार वर्मा, (8) श्री सत्यपाल जितरवाल, (9) श्री महेश कुमार, तत्कालीन अतिक्रमण प्रभारी के विरूद्ध अपने पदीय शक्ति के दुरूपयोग एवं कर्त्तव्य पालन में लापरवाही का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 19(9)लोआस/2019

परिवादी श्री सीताराम अग्रवाल, निवासी बी–4–बी, नीलगगन, अम्बाबाडी, जयपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि श्री सुधीर लोहिया, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं श्री एस.के गुप्ता, प्रबन्धक, रीको मुख्यालय, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या एसपी–2 6(सी) फर्म मै. नवीन बोर्ड व हरीश बोर्ड का संदर्भ देते हुए रीको औधोगिक क्षेत्र

नीमराना फेज 1 के भू–उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया में षडयंत्रपूर्वक 4 करोड रूपये की राजस्व हानि पहुंचाई गई। अतः जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

परिवाद के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, रीको, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। विभागीय रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के दृष्टिगत प्रकरण में लोकसेवक श्री सुधीर लोहिया, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारम्भ कर उन्हें अपना लिखित स्पष्टीकरण सचिवालय में प्रस्तुत किये जाने बाबत नोटिस जारी किया गया जिस पर उनके द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

दौराने अन्वेषण परिवादी श्री सीताराम अग्रवाल के बयान लेखबद्व किये गये जिससे लोक सेवकों द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई।

निष्कर्षः–

तत्पश्चात् पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं तर्क विवेचन से लोकसेवक श्री सुधीर लोहिया, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीका के विरूद्ध पदीय शक्ति के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं मिलीभगत का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 16(484)लोआस/2018

परिवादी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रामकुमार, निवासी राकेश ट्रेडिंग कम्पनी, हाजी कटला के सामने, सुजानगढ, जिला चूरू द्वारा उक्त परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि नगरपालिका क्षेत्र में भवन मण्डल अधिनियमों को ताक में रखकर किए जा रहे अवैध निर्माण एवं अवैध वाणिज्यिक निर्माण के विरूद्ध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतेहपुर द्वारा जानबुझकर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं।

उनके द्वारा इस संबंध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई हैं।

परिवादी से प्राप्त परिवाद के संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई ।

विभाग से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण प्रारम्भ कर उन्हे अपना लिखित स्पष्टीकरण इस सचिवालय में प्रस्तुत किये जाने बाबत नोटिस जारी किये गये। जिसके क्रम में लोकसेवकगण द्वारा अपने लिखित स्पष्टीकरण इस सचिवालय में प्रस्तुत किये गये ।

विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं संबंधित लोकसेवक (1) श्री प्रशान्त कुमार, (2) श्री वाजिद खान (3) श्री नवनीत कुमार (4) श्री सीताराम कुमावत (5) श्री नूर मोहम्मद खां (तत्कालीन अधिशाषी अधिकारीगण) एवं (6) श्री रघुनाथ प्रसाद (7) श्री देवेन्द्र कुमार सैनी (8) श्री मो.रियाज अहमद, (9) श्री सुमित कुमार (तत्कालीन सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता) के विरूद्ध अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर, अपने पद के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

अध्याय – 3

अनुतोष के प्रकरण

अध्याय–3

इस अध्याय में उन प्रकरणों का विवरण दिया जा रहा है जिनमें इस सचिवालय में प्राप्त परिवादों में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर परिवादी की शिकायत का नियमानुसार निराकरण करवाते हुए उसे अनुतोष प्रदान करवाया गया है।

अनुतोष के प्रकरण

कालावधि दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023

माह जनवरी 2023

एफ.3(27)लोआस/2022

परिवादी श्री हरीराम सौंकरिया पुत्र स्व0 श्री पदमाराम सौंकरिया, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का अभिकथन था कि पुलिस थाना चौमूं में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें दो वर्ष गुजर जाने के बाद भी अनुसंधान अधिकारी श्री रामशरण मीणा, सहायक उप निरीक्षक द्वारा मिलीभगत कर कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवक श्री रामशरण मीणा, उप निरीक्षक, पुलिस थाना, चौमूं के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण की जाकर लिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(447)लोआस/2019

परिवादी श्री दुर्गाराम सिरवी पुत्र श्री गंगाराम सिरवी, निवासी बेरा गंगासागर, सोजत रोड़, तहसील सोजत, जिला पाली का अभिकथन था कि पुलिस थाना सोजत सिटी में कार्यरत हाल ट्रेफिक पुलिसकर्मी श्री तेजाराम सिरवी के द्वारा मकान के पीछे

के दरवाजे को लेकर झगड़ा फसाद किया जाता है तथा उसके घर के दरवाजे के आगे अनाधिकृत रूप से लकड़ियां लगा रखी है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा मौका रास्ता देखा गया और तत्काल कार्यवाही कर परिवादी के समक्ष रास्ता खुलवाया गया। परिवादी की उपस्थिति में समस्त अतिक्रमण ध्वस्त किया जाकर पूर्णरूपेण आवागमन सुचारू किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.4(7)लोआस/2019

परिवादी श्री भंवरलाल माली पुत्र श्री नन्दा माली, निवासी मुकाम पोस्ट कादीसहना, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, कादीसहना द्वारा ऋण वितरण में गंभीर अनियमितता के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री किशनलाल गुर्जर, व्यवस्थापक से राशि 1,68,499.06/— रूपये की वसूली कर राजकोष में जमा करा दी गई है एवं श्री किशनलाल गुर्जर को सेवा से पृथक कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(335)लोआस/2018

परिवादी श्री गोपाराम देवासी पुत्र श्री पोमाराम देवासी, निवासी ग्राम चवरड़ा, पोस्ट कंवला, तहसील आहोर, जिला जालौर का अभिकथन था कि गोचर भूमि खसरा नम्बर 480/2485 व 476 पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जालौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(26)लोआस / 2022

परिवादी श्री रामनिवास विश्नोई पुत्र श्री रूपाराम विश्नोई, निवासी जम्भ सागर, भींयासर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत भींयासर, पंचायत समिति घंटियाली में विकास कार्यो में घोटाला किया जा रहा है एवं सार्वजनिक कार्य के तहत टांको व शौचालयों का निर्माण सार्वजनिक स्थान पर नहीं करवाकर निजी व्यक्तियों के घरों की चारदीवारी में करवाये जा रहे हैं। साथ ही जितने टांके पास किये हैं उनमें से अधिकांश पुराने बने हुये हैं एवं उन पर लीपापोती कर दुबारा नया दिखाकर भुगतान उठाया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवाद में वर्णित तथ्यों की जांच सहायक अभियंता, लेखाधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी द्वारा की गई है तथा जांच में जो कमियाँ पाई गई थी, उनको दुरूस्त करवाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(42)लोआस / 2018

परिवादी श्री चुन्नीराम मेघवाल पुत्र श्री नन्दराम मेघवाल, निवासी 52 आरबी, गंगुवाला, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगनगर का अभिकथन था कि ग्राम गंगुवाला सिखान, पंचायत समिति पदमपुर में गली संख्या 67 पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(729)लोआस / 2016

परिवादी श्री मनोज खाती पुत्र श्री कन्हैयालाल, निवासी सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत सुकेत के सरपंच व तत्कालीन सचिव श्री बृजेश मेहरा ने ग्राम पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों में यथा

सड़क निर्माण, नाली निर्माण, लाईट व्यवस्था आदि में घटिया निर्माण, बिना स्वीकृति निर्माण, फर्जी बिलों आदि तरीकों से हेराफेरी कर करोड़ों रूपयों का भ्रष्टाचार किया है। ग्रामवासियों की शिकायत पर पंचायत समिति खैराबाद के विकास अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच कर तत्कालीन सचिव श्री बृजेश मेहरा को सस्पेन्ड कर दिया गया, परन्तु सरपंच व सचिव के विरूद्ध अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सचिव श्री बृजेश मेहरा, श्री सुरेश कपूर तथा श्री मोहम्मद सलीम, ग्राम विकास अधिकारी को विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर दण्डित किया जा चुका है और उनकी 05 वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकी गई है। उक्त दण्ड के संबंध में वांछित इन्द्राज उनकी सेवा पुस्तिकाओं में भी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(16)लोआस / 2014

परिवाद श्री इम्तियाज हसन पुत्र स्व0 श्री मंजूर उप हसन, निवासी मौहल्ला मोमिनान, पुराना शहर, किशनगढ़, अजमेर का अभिकथन था कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट संख्या 37, नारायणपुरी, झोटवाड़ा, जयपुर का पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा परिवादी को आवासीय भूखण्ड संख्या 37 की लीजडीड जारी की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(133)लोआस / 2019

परिवादी श्री पदम पुत्र श्री गोपाल, निवासी गोंदी मौहल्ला, वार्ड नम्बर 01, कस्बा डीग, तहसील डीग, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि सार्वजनिक रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(141)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती अनीता गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल, निवासी अवधेश एन्टरप्राइजेज कॉलेज रोड़ फालना, जिला पाली का अभिकथन था कि उनके द्वारा नगरपालिका के आदेश की पालना में एक वैक्यूम एम्पीटीयर मशीन सप्लाई की गई थी, उसका भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को नगरपालिका, रानी में सप्लाई किये गये वैक्यूम एम्पीटीयर मशीन की राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(289)लोआस/2019

परिवादी श्री महावीर प्रसाद त्यागी पुत्र श्री जानकीप्रसाद त्यागी, निवासी 1793/2, सीताराम कॉलोनी, गुलाब बाग, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि वार्ड नम्बर 7, गुलाब बाग, धौलपुर में उनके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट नहीं है तथा सड़क भी नहीं बनी हुई है। नगर परिषद, धौलपुर में राशि जमा करवाये जाने के बावजूद भी भवन निर्माण की अनुमति जारी नहीं की गई है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगर परिषद, धौलपुर द्वारा प्रश्नगत आम सड़क का निर्माण करवा दिया गया है एवं रोड़ लाइट लगवाकर समस्या

का निस्तारण कर दिया गया है तथा भवन निर्माण की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(326)लोआस / 2018

परिवादी श्री ओमप्रकाश धुड़िया पुत्र श्री प्रभुदयाल धुड़िया, निवासी ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि कस्बा आमेर में स्थित मावठा झील के सामने एनिकट बहाव क्षेत्र में स्थित गैर मुमकिन मोहरी में किये गये अवैध निर्माण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आमेर में स्थित मावठा झील के सामने एनिकट बहाव क्षेत्र में स्थित गैर मुमकिन मोहरी में किये गये अवैध निर्माण को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(440)लोआस / 2013

परिवादी श्री जगतपाल पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी ए–163, बुद्ध बिहार, जिला अलवर का अभिकथन था कि विवादित रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटाया नहीं जा रहा है और जो भूखण्ड पार्क हेतु निर्धारित है, उस पर से भी अतिक्रमण हटाया जाकर उसको विकसित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में विशेषाधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 307 साबिक ग्राम अलवर नम्बर 1 की आबादी हेतु अवाप्ति से छोड़ी गई 04 बिस्वा भूमि पर बसे लोगों द्वारा जो आंशिक अतिक्रमण किया गया था, उसे हटवा दिया गया है और सार्वजनिक पार्क का निर्माण कार्य करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(517)लोआस / 2018

परिवादी श्री बलराम शर्मा पुत्र श्री सांवरमल शर्मा, निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला, गली नम्बर 05, वार्ड नम्बर 8, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि बस स्टैण्ड गंगापुर में वट वृक्ष के नीचे उसके द्वारा करीब 25 वर्षो से लगाई जा रही गन्ने की लॉरी को नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी द्वारा हटाया जा रहा है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गन्ना जूस की लॉरी के अतिरिक्त अन्य लॉरियों को भी जब्त किया गया था। प्रकरण में इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप गन्ना जूस की लॉरी को यथास्थान लगवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(189)लोआस / 2019

परिवादी श्री आर0पी0 सिंह, निवासी न्यू कॉलोनी, काटला बास, सुपका रोड़, डीडवाना, जिला नागौर का अभिकथन था कि उसके मुवक्किल श्री सरदार खाँ पुत्र स्व0 श्री करीम खाँ उर्फ कासम खाँ (निवासी पायली, वाया बेरी खुर्द, तहसील डीडवाना, जिला नागौर) धारक पीपीओ नम्बर 13631(आर) का निःशक्त पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर एफ पीपीओ जारी कर भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री सरदार खाँ को निःशक्त पारिवारिक पेंशन अधिकृति संख्या एफ पीपीओ नम्बर 2017360–आरएसएफ जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(198)लोआस/2019

परिवादी श्री मदनलाल कुम्भकार पुत्र श्री मुरलीधर, निवासी चितवारी, वाया मोरीजा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(206)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती रमा गोयल पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार गोयल, निवासी प्लाट नम्बर 395 बी, द्वितीय सी रोड़, सरदारपुरा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(6)लोआस/2022

परिवादी श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री राण सिंह, निवासी ग्राम पीपलून, पोस्ट गोलिया भायलान वाया सिवाना, जिला बाड़मेर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(16)लोआस / 2022

परिवादी श्रीमती दयाल कंवर पत्नी स्व0 श्री आसु सिंह, निवासी ग्राम जालीवाड़ा खुर्द, पोस्ट नानण पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ खाता एवं राज्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ खाता एवं राज्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत अवशेष सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(182)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती चाँद कंवर बोहरा पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण बोहरा, निवासी बोहरों की पोल, सराफा बाजार के पास, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ खाता एवं राज्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ खाता

एवं राज्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत अवशेष सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह फरवरी 2023

एफ.3(38)लोआस / 2022

परिवादी श्री अजमेर सिंह पुत्र श्री पीतमसिंह, निवासी ग्राम चंदेलीपुरा थाना बसईडांग, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि उसकी भूमि पर अप्रार्थीगण काश्त नहीं करने दे रहे है जिसके लिये उसके द्वारा भिन्न–भिन्न तारीखों में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 64/21, 14/22 व 32/22 दर्ज करवाई गई परन्तु अभी तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 64/2021, 14/2022 एवं 32/2022 जो पुलिस थाना बसईडांग में दर्ज किये गये थे, में बाद अनुसंधान वांछित धाराओ में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में दाखिल किये जा चुके है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(155)लोआस / 2022

परिवादी ने परिवाद पत्र में मोहिनी शर्मा द्वारा उसे बतौर बख्शीश दिये गये प्लॉट व मकान के संबंध में श्री वीरेन्द्र गौतम द्वारा पुलिस थाना शिप्रा पथ में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना 789/2021 में बाद अनुसंधान एफआर लगा दिये जाने के बावजूद इन्हीं धाराओं में एक अन्य व्यक्ति द्वारा भी पुलिस थाना जवाहर सर्किल में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना संख्या 400/2021 में संबंधित थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी से निष्पक्ष जांच करवाये जाने का निवेदन किया गया था।

परिवाद के संदर्भ में पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रथम सूचना संख्या 789/2021 में बाद अनुसंधान परिवादी व उसकी पत्नी के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर मामला एफ.आर. अदम वकू झूठ का पाया गया।

अतः परिवाद पर इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.3(189)लोआस/2022

परिवादी श्री अशोक माली पुत्र श्री श्याम, निवासी बिनोता थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ का अभिकथन था कि उसके गांव में आरोपीगणों द्वारा विगत 15 साल से श्रीचारभुजा साथी सहयोग समिति का संचालन किया जा रहा है। इस वर्ष माह जून में जब उक्त आरोपियों को हिसाब देने का कहा गया तो उन्होने कोई हिसाब नहीं दिया व राशि को खुर्दबुर्द कर दिया।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में सम्पूर्ण अनुसंधान एवं साक्ष्य से अभियुक्तगण श्री किशोर उर्फ नन्दकिशोर पिता श्री रामचन्द्र सोनी, श्री ऋतिक पिता श्री किशोर सोनी, श्रीमती सीता पत्नी किशोर सोनी एवं श्री रामचन्द्र पिता श्री केसरीमल सोनी निवासियान विनोता थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध धारा 420, 406, 120 बी भा.द.स. अपराध प्रमाणित पाये जाने से उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 315/22 कता की जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(204)लोआस/2022

परिवादी सुश्री पिंकी कुमारी शर्मा पुत्री श्री रतन लाल शर्मा, निवासी ए 202, पंचवटी, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि आरोपी श्री भारत सिंह चौहान द्वारा

उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी आपत्तिजनक फोटोज खींच ली गई। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 346/2022 पुलिस थाना माण्डल पर दर्ज करवाई गई परन्तु पुलिस द्वारा मिलीभगत कर इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 346/2022 थाना माण्डल, जिला भीलवाड़ा में बाद अनुसंधान अभियुक्त श्री भारत सिंह चौहान के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 366, 342, 376(2)(द) एवं 384 भा.दं.सं. का अपराध प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित पाया गया और उसके विरूद्ध चार्जशीट कता की गई।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.8(44)लोआस/2019

परिवादी श्री झाबर मल कुमावत पुत्र श्री सोहन लाल कुमावत, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल वाया बधाल, जिला जयपुर का अभिकथन था कि डॉ0 नरेन्द्र कुमार व सिलिकोसिस विभाग द्वारा उसके पिता का सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी कर सहायता राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में डॉ0 रविन्द्र कुमार खत्री, वरिष्ठ विशेषज्ञ (टी0बी0), जिला क्षय निवारण केन्द्र–प्रथम, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के पिता श्री सोहनलाल को बोर्ड द्वारा सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है तथा उन्हें सिलिकोसिस की सहायता राशि भी प्राप्त हो चुकी है एवं डॉ0 नरेन्द्र कुमार के नाम से कोई चिकित्सक उक्त संस्थान/सिलिकोसिस बोर्ड में कार्यरत नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(10)लोआस / 2022

परिवादी श्री ताराचन्द मीणा पुत्र स्व0 श्री गीलाराम मीणा, निवासी ग्राम अमरपुर, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर का अभिकथन था कि सहायक अभियंता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, लक्ष्मणगढ़ अलवर श्री जगन लाल मीणा द्वारा प्रार्थी के कृषि कनेक्शन खाता संख्या 1707–0156 का 40 केवीए का ट्रांसफार्मर जलने पर 27.5 एचपी से लोड कम कर 17.5 एचपी का लोड कर सिस्टम सुधार कार्यक्रम के तहत 25 केवीए का थ्री फेस का ट्रांसफार्मर उसे पिछले 5 माह से नहीं देकर नाजायज परेशान किया जा रहा है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगे गये दस्तावेजों की सत्यप्रति उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

इस संबंध में प्रा0 सहा0 अधीक्षण अभियंता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कृषि कनेक्शन खाता संख्या 1707/0156 लोड 27.5 एचपी प्राथी श्री ताराचन्द एवं श्री चेतराम मीणा को दो मोटर चलाने हेतु 1 गुणा 40 केवीए थ्री फेस ट्रांसफार्मर जले हुए के स्थान पर दे दिया गया जिसका मीटर क्रमांक 3948985 है। उक्त स्थान पर ट्रांसफार्मर रखकर समस्या का समाधान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(11)लोआस / 2021

परिवादी श्रीमती गीता पत्नी स्व0 श्री श्याम सिंह, निवासी हसनपुर गादौली थाना लखनपुर, तहसील नदबई, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि खसरा नम्बर 2699 रकबा 43 ग्राम पहरसर, तहसील नदबई जिसमें उनके शहीद पति की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। उस प्रतिमा के ऊपर से विद्युत विभाग की उदासीनता के कारण त्रिकोणात्मक विद्युत तार निकाल रखे है जिससे जनहानि हो सकती है।

इस संबंध में अधिशाषी अभियंता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के शहीद पति श्री श्याम सिंह की प्रतिमा स्थापित होने के स्थान से विद्युत लाईनों को नियमानुसार कार्यवाही कर हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(202)लोआस / 2021

परिवादी श्री जयभगवान पुत्र श्री सोहनलाल, निवासी वार्ड नम्बर 05 गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादान के वार्ड नम्बर 02 में महालक्ष्मी कॉटन एण्ड जिनिंग फैक्ट्री के प्रोपराइटर श्री संजय कुमार द्वारा गली, फैक्ट्री के गेट से उत्तर से दक्षिण की तरफ के प्लाटों एवं गौशाला के प्लॉट संख्या सी/22 के पूर्व दिशा में 30 फुट के आम रास्ते पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है। सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी को उक्त अतिक्रमण के बारे में दस्तावेज उपलब्ध कराने पर भी अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में संभागीय आयुक्त, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गली का समस्त अतिक्रमण हटवाकर आम गली में सी0सी0 रोड़ का निर्माण करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(248)लोआस / 2017

परिवादी श्री खेताराम जाखड़ पुत्र श्री सोनाराम जाखड़, निवासी ग्राम पंचायत सवारू मूलराज, तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत सवारू मूलराज द्वारा परिवादी व उसके समेत अन्य खातेदारों के खसरा नम्बरान में

जल ग्रहण योजना के तहत टांके की स्वीकृति जारी कर भुगतान उठा लिया जबकि उक्त टांके का निर्माण ही नहीं किया गया है।

इस संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, बाड़मेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री खेताराम जाखड़ एवं परिवाद में उल्लेखित कुशल श्रमिक बयान देने हेतु उपस्थित नहीं हुए तथा जिन श्रमिकों के मस्टररोल में नाम दर्ज है उनमें से जो उपस्थित हुए उनके बयान लिये गये। जिन्होंने अपने बयानों में बताया कि वास्तव में उन श्रमिकों ने कार्य किया है और उन्हें पारिश्रमिक राशि प्राप्त हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(511)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती पन्नी देवी कुमावत पत्नी स्व0 श्री जमना लाल कुमावत, निवासी ढ़ाणी ढ़ेल्ड़ा, दयाल नगर, ग्राम पंचायत कांचरोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि श्री अम्बालाल, श्री गोवर्धन आदि लोगो द्वारा आबादी भूमि पर अवैध व नाजायज निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इससे परिवादी अपने कब्जे एवं स्वामित्व की खाली भूमि व गली के उपयोग व उपभोग तथा अपने मकान की उत्तरी–पश्चिम दीवार की मरम्मत, कली कूंची करने के कार्यों आदि के आवागमन से वंचित हो रही है। अतिक्रमण करने वाले लोगो का प्रश्नगत भूमि से कोई लेना देना नहीं है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सरपंच, ग्राम पंचायत कांचरोदा की उपस्थिति में दोनो पक्षों के मध्य राजीनामा तय किया जाकर श्री अम्बालाल के द्वारा स्वयं के हर्जे–खर्चे से जेसीबी लगाकर विवादस्पद आबादी भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटा लिया गया है और श्रीमती पन्नी देवी कुमावत को कब्जा सम्भला दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(624)लोआस/2016

परिवादी ने परिवाद पत्र में ग्राम पंचायत, सारला के सरपंच श्री हिमथाराम व ग्राम सेवक श्री देवेन्द्र सिंह पर मिलीभगत कर नरेगा योजना एव बीएडीपी आदि योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों का मौका स्थल पर नया निर्माण कराये बिना फर्जी भुगतान उठाकर सरकारी राशि गबन करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की थी।

परिवाद के संदर्भ में जिला कलक्टर, बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मूल्यांकन से अधिक व्यय की गई राशि कुल 17,170/— रूपये की वसूली की गई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में श्री रामलाल जैन, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता को सीसीए नियम—17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया। कार्यालय आदेश क्रमांक 10223 दिनांक 24.09.2020 द्वारा दोषी लोकसेवक को उक्त जांच में दोषमुक्त कर प्रकरण समाप्त किया गया।

इसके अलावा अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड जालोर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवक श्री रामलाल चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत्त हो गये थे।

अतः परिवाद पर इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.15(3)लोआस/2021

परिवादी श्री देवेन्द्र राज मेहता पुत्र श्री आनन्द राज मेहता, निवासी लाम्बिया हाउस, मकराना मौहल्ला, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें वन संरक्षक, जालोर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, रानीवाड़ा से बारबार्ड वायर व अन्य सामग्री की

आपूर्ति की बकाया राशि, अमानत राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से उसे जो मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी है उसके एवज में भी समुचित राशि दिलवाई जावे।

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा सप्लाई की गई सामग्री की पुष्टि संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी से प्राप्त किये जाने के उपरांत परिवादी को सिक्युरिटी राशि के ड्राफ्ट का भुगतान सत्यापित कर लौटाई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.15(7)लोआस / 2022

परिवादी श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह, निवासी हाउसिंग बोर्ड, जिला बून्दी का अभिकथन था कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर द्वारा किये गये स्थानान्तरण आदेश के उपरांत श्री राजेश वनपाल, श्री परमानन्द वनपाल एवं श्री लोकेश मीणा वनपाल को रिलीव नहीं किया गया।

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त तीनों कार्मिकों को नवीन पदस्थापन हेतु भारमुक्त कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(3)लोआस / 2013

परिवादी श्री कमल अग्रवाल पुत्र श्री हरिप्रकाश अग्रवाल, निवासी मकान संख्या 414, मंगला माता मन्दिर के सामने, मंगला मार्ग, बड़ा अखाड़ा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि न्यायालय में वाद लम्बित होने तथा स्थगन आदेश होने के बावजूद भ्रष्ट आचरण करते हुए पत्रावली संख्या 05 / 2069 शरण चौकड़ी ब्रह्मपुरी में निर्माण

स्वीकृति जारी करने व अनुमोदित नक्शें के विरूद्ध परकोटा क्षेत्र में फ्लैट्स के अवैध निर्माण व सरकारी गली पर अवैध अतिक्रमण को संरक्षण देने वाले जयपुर नगर निगम के हवामहल जोन (पश्चिम) के भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध जांच करवाकर कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुलिस जाप्ता उपलब्ध होने पर स्वीकृति के विपरीत बालकॉनी के निर्माण कार्य को लोखण्डे की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(102)लोआस / 2021

परिवादी श्री रवि प्रकाश सैनी पुत्र श्री हनुमान प्रसाद सैनी, निवासी डी–183, भृगु मार्ग, बनीपार्क, जिला जयपुर का अभिकथन था कि स्वामी बस्ती कान्तिचन्द्र रोड़, बनीपार्क पर 45 वर्ष पुराने मन्दिर की सीढ़ियाँ तोड़कर सरकारी सम्पत्ति पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में उपायुक्त, सिविल लाईन जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत स्थल पर बनी हुई सीढ़ियों को जोन कार्यालय द्वारा हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(48)लोआस / 2022

परिवादी श्री राजेश कुमार बंसल पुत्र स्व0 श्री सांवरमल अग्रवाल, निवासी प्लाट नम्बर ग–52, भवानी नगर, मुरलीपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि भवन संख्या ग–23, भवानी नगर, मुरलीपुरा के स्वामी द्वारा जीरो सेटबैक पर किये जा रहे अवैध

निर्माण के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भवन से सेटबैक के निर्माण को हटाकर सेटबैक छोड़ते हुए निर्माण किया जा रहा है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.19(16)लोआस / 2017

परिवादी श्री अमर सिंह पुत्र स्व0 श्री सुन्दर लाल, निवासी एफ–22, मोती महल, वल्लभ बाड़ी, जिला कोटा का अभिकथन था कि परिवादी को आवंटित किये गये भूखण्ड को रीको द्वारा भूखण्ड राशि बकाया मानते हुए निरस्त कर दिया गया तथा प्रशासन द्वारा उक्त प्लॉट के किये गये निरस्तीकरण को बहाल कर लोकसेवकों विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवंटी द्वारा मांगपत्र में वर्णित राशि जमा करवाये जाने के पश्चात इकाई कार्यालय, कोटा द्वारा भूखण्ड के बहालीकरण का आदेश जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.31(9)लोआस / 2020

परिवादी श्री मुरारी लाल शर्मा पुत्र श्री प्रभु दयाल शर्मा, निवासी चेतराम कॉलोनी, स्टेशन रोड़, हिण्डौन सिटी, जिला करौली का अभिकथन था कि जलदाय विभाग के कूप्रबन्धन के कारण हो रही दूषित नालियों से बदबूदार जलापूर्ति को बन्द

करवाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा एवं एलएण्डटी कम्पनी द्वारा कॉलोनी में खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है।

इस संबंध में अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, करौली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में परिवादी के क्षेत्र में शुद्ध एवं सामान्य दबाव से नियमित रूप से पेयजल वितरण हो रहा है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(147)लोआस/2018

परिवादी श्री रघुवीर प्रसाद यादव पुत्र श्री श्रीराम यादव, निवासी ग्राम बहरामकाबास, तहसील बानसूर, जिला अलवर का अभिकथन था कि ग्राम बहराम का बास की खसरा नम्बर 236 में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अलवर एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत स्कूल की भूमि पर से पूर्ण रूप से अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(308)लोआस/2018

परिवादी श्री गुलाम रसूल लोदी पुत्र श्री करीम बक्श, निवासी छीपों का मौहल्ला, पोस्ट व तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द का अभिकथन था कि ग्राम देवगढ़, छीपों के मौहल्ले में अवैध अतिक्रमण को सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत केबिनधारी द्वारा

केबिन को स्वयं के स्वामित्वशुदा बरामदे के अन्दर रख दिया गया है। अतः आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(7)लोआस / 2022

परिवादी श्री गोकुलराम पुत्र श्री हरचन्दराम, निवासी खेड़ी सालवा (पूनियों की ढ़ाणी), तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(10)लोआस / 2022

परिवादी श्री हरिराम विश्नोई पुत्र श्री भीकाराम विश्नोई, निवासी मगरा की ढ़ाणी, पोस्ट रामड़ावास कलां, वाया पीपाड़ रोड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(17)लोआस / 2022

परिवादी श्री नारायण राम ढ़ाका पुत्र श्री भोमाराम, निवासी करणी कॉलोनी, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(21)लोआस / 2022

परिवादी श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह, निवासी मुकाम व पोस्ट जुसरी, वाया मकराना, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(22)लोआस / 2018

परिवादी श्री कुंवर सिंह बनाफर पुत्र श्री जबरसिंह, निवासी प्लाट नम्बर 69, आदर्श कॉलोनी, बीचून रोड़ फुलेरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(22)लोआस / 2022

परिवादी श्री गिरधारी राम विश्नोई पुत्र श्री रिड़मल राम विश्नोई, निवासी ग्राम हनुमानसागर, पोस्ट तापू वाया चाड़ी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(24)लोआस / 2022

परिवादी श्री भीया राम विश्नोई पुत्र श्री मंगला राम, निवासी मकान नम्बर 419, गवाड़ चौक, ग्राम व पोस्ट वाया भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(27)लोआस / 2022

परिवादी श्रीमती चन्द्रकला वर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, निवासी 11 / 24, गायत्री सदन, हनवन्त गार्डन के पास, पावटा बी रोड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ खाता एवं राज्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ खाता एवं राज्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत अवशेष सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(34)लोआस / 2021

परिवादी श्री छोटाराम चौधरी पुत्र श्री लाबुराम चौधरी, निवासी आदर्श कॉलोनी, सिलारी रोड़, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(158)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती प्रेमलता प्रजापत पत्नी श्री छंवरलाल प्रजापत, निवासी हनुमानजी मंदिर के सामने, ब्रहापुरी महामंदिर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(190)लोआस/2019

परिवादी श्री चेतनराम जाट पुत्र श्री तिलोकराम, निवासी ग्राम देशवाल, पोस्ट ओलादन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत राज्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को राज्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत अवशेष सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह मार्च 2023

एफ.7(4)लोआस/2022

परिवादी श्री रामकुमार सोनी पुत्र श्री मूलचन्द सोनी, निवासी ग्राम मीरण, तहसील नेछवा, जिला सीकर का अभिकथन था कि ग्राम मीरण की राशन डीलर सोनम पारीक, उनके पति श्री दिनेश पारीक तथा उपभोक्ता श्री सुभाष सोनी द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं उठाने में अनियमितता कर राजकोष को हानि पहुंचाई जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.7(5)लोआस / 2022

परिवादी श्री रामस्वरूप शेखावत पुत्र श्री गोपालसिंह शेखावत, निवासी ग्राम घाणा, तहसील नेक्षवा, जिला सीकर का अभिकथन था कि ग्राम मीरण की राशन डीलर सोनम पारीक, उनके पति श्री दिनेश पारीक तथा उपभोक्ता श्री पन्नालाल वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूँ उठाने में अनियमितता कर राजकोष को हानि पहुंचाई जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.7(6)लोआस / 2022

परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा, निवासी ग्राम मीरण, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर का अभिकथन था कि ग्राम मीरण की राशन डीलर सोनम पारीक, उनके पति श्री दिनेश पारीक द्वारा श्री सबीर खान की मृत्यु हो जाने के बावजूद धोखाधड़ी कर उसके हिस्से का राशन उठाया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.7(7)लोआस / 2022

परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा, निवासी ग्राम मीरण, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर का अभिकथन था कि ग्राम मीरण की राशन डीलर सोनम पारीक, उनके पति श्री दिनेश पारीक तथा उपभोक्ता श्री बनवारी लाल

द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूँ उठाने में अनियमितता कर राजकोष को हानि पहुंचाई जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.7(13)लोआस/2019

परिवादी श्री शिवचरण अवस्थी पुत्र श्री रमेश चंद शर्मा, निवासी अवस्थी भवन, 158, वार्ड नम्बर 4, सेढ़ के मढ़ के पास, बाल विद्या मन्दिर, खेरली, जिला अलवर का अभिकथन था कि राशन डीलर श्री कैलाश चन्द मीणा खाद्य सामग्री वितरण में गेहूँ व केरोसिन की 50 प्रतिशत सामग्री ब्लैक में बेचकर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। खाद्य निरीक्षक द्वारा गबन की रिपोर्ट दर्ज किये जाने के बावजूद डीएसओ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई।

इस संबंध में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राशन डीलर श्री कैलाश चन्द मीणा का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.8(15)लोआस/2022

परिवादी श्री मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री नरोत्तम दास शर्मा, निवासी 478 जगन्नाथपुरी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उनकी फर्म मै0 एम0एस0 ब्रदर्स द्वारा प्राथमिक केन्द्र मंगलूना, जिला सीकर में आवासीय भवन निर्माण कार्य जनवरी, 2018 को पूर्ण कर विभाग को हस्तगत/हैण्डओवर कर दिया गया है, जिसके पेटे सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संवेदक द्वारा किये गये कार्य का बकाया एवं अमानत राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(33)लोआस/2020

परिवादी श्री रतीराम मीना पुत्र स्व0 श्री रामकरण मीना, निवासी राजगढ़, तहसील महवा, जिला दौसा का अभिकथन था कि छंगा माली आम रास्ते के खसरा नम्बर 662 व अन्य खसरा नम्बर की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनवा रहा है। जब उसके द्वारा शिकायत की गई तो तत्कालीन नायब तहसीलदार मय पटवारी हल्का व गिरदावर के मौके पर आये किन्तु मौके पर कोई ठोस कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में तहसीलदार, महवा द्वारा अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(148)लोआस/2022

परिवादी श्री मंगलाराम पुत्र श्री चौथाराम, निवासी मेवानगर, पंचायत समिति बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर का अभिकथन था कि उनकी खातेदारी भूमि में कब्जा किये जाने की नीयत से अप्रार्थी द्वारा निर्माण किया गया, जिसको तहसीलदार, पचपदरा द्वारा हटवाने के आदेश जारी करने के उपरांत भी राजस्व निरीक्षक व हलका पटवारी ने उक्त अवैध निर्माण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री मंगलाराम को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(158)लोआस / 2019

परिवादी श्री लक्ष्मणदास बैरागी पुत्र श्री नवलदास बैरागी, निवासी पावटिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ का अभिकथन था कि ग्राम पावटिया, पटवार हल्का कश्मोर की आराजी संख्या 177 रकबा 0.96 हैक्टर भूमि श्री चारभुजा स्थान देह के नाम पर दर्ज है परन्तु कुछ लोगों द्वारा रोडियाँ डालकर अतिक्रमण कर लिया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पावटिया पटवार हल्का कश्मोर की खसरा नम्बर 177 रकबा 0.96 हैक्टर किस्म रास्ता (बंजड़) के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(297)लोआस / 2021

परिवादी श्री मदनलाल बैरवा पुत्र स्व0 श्री धन्नालाल बैरवा, निवासी संजय कॉलोनी, वार्ड नम्बर 24, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर का अभिकथन था कि ग्राम चूली, तहसील गंगापुर सिटी के खसरा नम्बर 2373 / 985 व 2372 / 988 गैर मुमकिन रास्ते पर निजी व्यक्ति अमर सिंह, ओमप्रकाश, पन्नालाल, राजेन्द्र मीणा एवं सुरेश चन्द मीणा ने अतिक्रमण कर रखा है। इस विषय में लोक अदालत द्वारा निर्णय पारित कर तहसीलदार, गंगापुर सिटी को अवरूद्ध रास्ते को खुलवाए जाने के निर्देश दिये गये किन्तु प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(365)लोआस / 2021

परिवादी श्री जगमाल राम पुत्र स्व0 श्री हीरा राम, निवासी माताजी की भाखरी, पोस्ट ऑफिस भीयाड़, तहसील शिव, जिला बाड़मेर का अभिकथन था कि ग्राम माताजी की भाखरी के खसरा नम्बर 1229 / 843, रकबा 10 बीघा जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है, से भूमाफिया द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बाड़मेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण को हटाया जा चुका है तथा उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाकर सभी कोनों पर मोटाम (पत्थर) की पट्टी गाड़ दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(398)लोआस / 2021

परिवादी श्री सत्यनारायण गुर्जर पुत्र श्री रतन लाल गुर्जर, निवासी गोठड़ा, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि राजस्व ग्राम गोठड़ा की आरक्षित चारागाह भूमि लगभग 900 बीघा पर श्यामलाल, जवाना, कन्हैया एवं अन्य ग्रामवासियों ने अवैध कब्जा कर ट्यूबवैल व कुंआ खुदवाकर कृषि कार्य कर रहे है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(402)लोआस / 2019

परिवादी श्री घीसासिंह रावत पुत्र श्री रतनसिंह, निवासी उजीणा कानूजा, तहसील रायपुर, जिला पाली का अभिकथन था कि अतिक्रमियों द्वारा सरकार की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आशय से सरकारी पहाड़ पर अवैध रूप से खुदाई कर पत्थर आदि निकलवाने शुरू कर दिये है तथा उन्हें बेचकर अवैध रूप से

सरकार को 5–7 लाख रूपये का नुकसान पहुंचाया गया है। उक्त अतिक्रमियों द्वारा किये जा रहे अवैध खनन को रूकवाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मौजा काणुजा के खसरा नम्बर 1862 व 1907 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ की प्रश्नगत भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण नायब तहसीलदार, रायपुर में मुकदमा संख्या 36/2022 से 42/2022 दर्ज कर बाद निर्णय की पालना में पटवारी हल्का काणुजा द्वारा अतिक्रमियों को आराजी भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करके कब्जा राजहित में प्राप्त कर लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(755)लोआस/2016

परिवादी श्री रोहिताश जाट पुत्र श्री रिछपाल, निवासी डूमरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं का अभिकथन था कि राजकीय भूमि खसरा नम्बर 256, 529 तथा 845 पर किये हुए अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, झुंझुनूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजकीय भूमि पर अतिक्रमण चिह्नित कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर भौतिक रूप से अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(267)लोआस/2018

परिवादी श्री कैलाश नारायण शर्मा पुत्र श्री लादूलाल शर्मा, निवासी बी–2, झालावाड़ हाउस एजेन्सी एरिया, तहसील देवली, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान वाहन ऋण लिया था और नियमानुसार उनके वेतन

से कटौती कर ली गई थी, परन्तु माह नवम्बर, 1998 से अप्रेल, 2000 तक विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुरा तथा मई, 2000 से मई, 2006 तक ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा उनके वेतन से की गई कटौती राशि राजकोष में जमा नहीं करवाई गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वाहन ऋण की वेतन बिलों से की गई कटौतियों की राशि कार्यालय भीलवाड़ा में समायोजित नहीं होने से स्वयं परिवादी द्वारा जमा करवाई जाकर अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(269)लोआस/2015

परिवादी श्री प्रभातीलाल जागू पुत्र श्री बोदूराम जागू, निवासी मुकाम पोस्ट दूधवालों का बास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर का अभिकथन था कि तत्कालीन ग्रामसेवक एवं पूर्व व वर्तमान सरपंच श्री मुरारी लाल शर्मा के द्वारा पिछले कार्यकाल में अपने चहेते लोगों की निजी खातेदारी भूमि में सिंगल फेस टयूबवेल लगाने एवं टंकी निर्माण कार्य में पद का दुरूपयोग कर लाखों रूपये की राजकीय राशि का गबन किया गया।

इस संबंध में उपायुक्त एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री गोपाल सिंह को जांच में दोषी पाये जाने पर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(326)लोआस/2019

परिवादी श्री पप्पूलाल जांगिड़ पुत्र श्री सत्यनारायण जांगिड़, निवासी ग्राम बिशनगढ़, ग्राम पंचायत बिशनगढ़, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था

कि उनकी पुश्तैनी संपत्ति का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के विरूद्ध पंचायत द्वारा एक ही व्यक्ति के नाम पट्टा जारी कर दिया गया। इसके लिये ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच द्वारा नियम विरूद्ध जारी किये गये पट्टों को निरस्त नहीं किये जा रहे है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पट्टाधारक के पुत्र श्री मनोज जांगिड़ पुत्र श्री राधेश्याम जांगिड़ ने रसीद द्वारा वसूली की राशि ग्राम पंचायत बिशनगढ़ के पंचायत कोष में जमा करवा दी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(474)लोआस / 2018

परिवादी श्री बद्रीलाल शर्मा पुत्र श्री भूरालाल शर्मा, निवासी वार्ड नम्बर 14, घाड़ रोड़, तहसील दूनी, जिला टोंक का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत दूनी, पंचायत समिति देवली के तत्कालीन विकास अधिकारी श्री कुशलेन्द्र सिंह द्वारा नियमों के विपरीत उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया एवं वृद्धावस्था पेंशन भी बन्द कर दी गई।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की वृद्धावस्था पेंशन पुनः चालू कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(725)लोआस / 2017

परिवादी श्री तुलसीराम बैरवा पुत्र श्री प्रभुराम बैरवा, निवासी मुकाम पोस्ट सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला पाली का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत सोजत रोड में आबादी मोजा सोजत रोड़ पर प्रार्थी के मकानों के सामने अप्रार्थीगण द्वारा पंचायत की नाली को तोड़कर अतिक्रमण करते हुए शौचालय का निर्माण कर लिया गया जिसकी

सूचना ग्राम पंचायत को उसी दिन करने पर भी उनके द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं रूकवाया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार परिवादी एवं प्रतिवादी द्वारा आपसी समझौता ग्राम पंचायत में कर आंशिक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही गई है। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि परिवादी द्वारा लिखित में दिया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही से वह संतुष्ट है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(142)लोआस/2021

परिवादी श्री रामेश्वर शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा, निवासी 3965 भिण्डों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जिला जयपुर का अभिकथन था कि मकान संख्या 3417, मुरली मनोहर की गली, नींदड़ राव का रास्ता, चांदपोल, जयपुर में रास्ते में लगभग 12 फीट में 6 फीट का स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण किया हुआ है।

इस संबंध में उपायुक्त (सतर्कता), नगर निगम, जयपुर हैरिटेज से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत स्थल पर मकान नम्बर 3417 के वारिसान श्री दिलीप पुत्र श्री नूर मोहम्मद एवं श्री असरार, श्री बबलू पुत्र श्री दीदार द्वारा सरकारी आम रास्ते में 12.06 फीट पर किये गये स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(320)लोआस/2015

परिवादी श्री बी0एस0 सांखला पुत्र स्व0 श्री हुकमा राम सांखला, निवासी मुकाम पोस्ट कालाडेरा, संस्कृत कॉलेज के पास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का अभिकथन

था कि जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए लालकोठी योजना व मालवीय नगर में स्थित क्वाटर्स पर प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के पश्चात् भी कर्मचारीगण 5–10 वर्षो से निवास कर रहे है।

इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पदस्थापित अथवा जयपुर में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किये गये है। कोई सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जयपुर विकास प्राधिकरण क्वार्टरों में निवासरत नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(162)लोआस/2018

परिवादी श्रीमती कृष्णा चौधरी पत्नी श्री मोहन राम चौधरी, निवासी 134–ए, सादुलगंज, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि भवन संख्या ए–135, सादुलगंज के स्वामी द्वारा सेटबैक के विपरीत अवैध निर्माण किया जा रहा है।

इस संबंध में नगर विकास न्यास, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड ए–135 से सेटबैक के विपरीत निर्माण को स्वयं भूखण्डधारी द्वारा हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(7)लोआस/2020

परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार व्यास पुत्र श्री दयाशंकर व्यास, निवासी ब्रह्मपुरी लखारों का बास राणावास, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(18)लोआस/2022

परिवादी श्रीमती प्रेमलता जोशी पत्नी श्री गोवर्धन जोशी, निवासी 'श्याम सदन' चौपासनी आवासन मण्डल 17/649, पोस्ट ऑफिस नन्दनवन, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(19)लोआस/2022

परिवादी श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री डालूराम चौधरी, निवासी सिमरथ नगर ओसियॉ, तहसील ओसियॉ, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि एवं राज्य बीमा पॉलिसी राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि एवं राज्य बीमा पॉलिसी राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि एवं राज्य बीमा पॉलिसी राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(23)लोआस / 2018

परिवादी श्री त्रिलोक चन्द गुप्ता पुत्र श्री रंगलाल गुप्ता, निवासी मकान नम्बर 1एफ1, महावीर नगर–111, जिला कोटा का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(31)लोआस / 2022

परिवादी श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नी श्री हरिकान्त शर्मा, निवासी 16 / 434 बी, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(32)लोआस / 2022

परिवादी श्री अजीज अहमद पुत्र श्री मोहम्मद मुस्तफा खां, निवासी नजर बाग गेट के पास, नजर बाग पैलेस, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(42)लोआस / 2022

परिवादी श्री वेदप्रकाश शर्मा पुत्र श्री बुद्धसेन शर्मा, निवासी काली माता मन्दिर के गेट पर गोविन्द नगर, रामगंज, जिला अजमेर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह अप्रैल 2023

एफ.3(141)लोआस / 2021

परिवादी श्री जगदीश नारायण शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा, निवासी ग्राम बालकिशनपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उसके द्वारा पुलिस थाना, आमेर पर दर्ज कराये गये प्रकरण संख्या 291 / 2021 में अनुसंधान अधिकारी आरोपियों से मिलीभगत कर सिविल नेचर का मानते हुए फर्जी व कूटरचित विक्रय इकरारनामा की एफ.एस.एल. पेश करने पर आमदा है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर एफ.एस.एल. जांच के उपरान्त आरोपीगण के विरूद्ध वांछित धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(7)लोआस/2022

परिवादी श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री धर्मवन्द जैन, निवासी मकान नम्बर डी–36, भैरव कृपा, एच0के0एम0 नगर, जिला अलवर का अभिकथन था कि उसका भाई श्री प्रमोद कुमार जैन मानसिक अवसाद में होने के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहा और इस कारण वर्ष 2014 में उसे राज्य सेवा से हटा दिया गया। उसके भाई के बकाया कार्यों (सेवा सत्यापन, उपार्जित अवकाश का इन्द्राज, वेतनवृद्धि, वेतन, जीपीएफ, राज्य बीमा पासबुके तथा जीए 55) का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के भाई श्री प्रमोद कुमार जैन, पूर्व व्याख्याता के सभी बकाया कार्यों का निस्तारण करा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.9(15)लोआस/2021

परिवादी श्री उदय लाल अहीर पुत्र श्री देबीलाल, निवासी धाबाई की झुपड़िया, बरूदनी, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि आराजी संख्या 3050 पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में शिकायत करने व सहायक अभियंता की रिपोर्ट

में अतिक्रमण होने संबंधी तथ्यों को अधिशाषी अभियंता, माण्डलगढ़ व तहसीलदार, माण्डलगढ़ द्वारा अनदेखा कर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(148)लोआस / 2017

परिवादी श्री भैराराम विश्नोई पुत्र श्री जेसाराम विश्नोई, निवासी पोलास विश्नोइयाँ, तहसील डेगाना, जिला नागौर का अभिकथन था कि खसरा नम्बर 166 गोचर भूमि पर पंचायत द्वारा सरकारी राशि से एक खुर्रा बनाकर अतिक्रमियों को फायदा पहुँचाया गया एवं उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पोलास विश्नोईयाँ की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 166 से तहसीलदार, सांजू द्वारा पुलिस जाप्ता व संसाधनों की सहायता से सम्पूर्ण अतिक्रमण हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(202)लोआस / 2019

परिवादी श्री हेमा खान पुत्र श्री भेरा, निवासी गांव बादनी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द का अभिकथन था कि सरकारी भूमि खसरा नम्बर 822 रकबा 08 बीघा पर बगता पुत्र पदमा ने अतिक्रमण कर मकान निर्माण चालू कर दिया।

इस संबंध में जिला कलक्टर, राजसमन्द से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बादनी के खसरा नम्बर 822 पर किये गये अतिक्रमण को

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए मौके से हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(298)लोआस / 2020

परिवादी श्रीमती राजू कंवर पत्नी स्व0 श्री सवाई सिंह, निवासी चारणों का मौहल्ला, गांव डोगरी, तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम डोगरी की गोचर भूमि (चारागाह), शमशान की भूमि एवं सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं व अतिक्रमियों द्वारा नाजायज अतिक्रमण किया हुआ है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमियों को पूर्ण रूप से बेदखल किया जाकर अतिक्रमण हटावाया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(74)लोआस / 2021

परिवादी श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री सियाराम गुर्जर, निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर का अभिकथन था कि उनकी खातेदारी भूमि तथा घर तक आने–जाने का रास्ता खसरा नम्बर 95 तथा 96 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है परन्तु रास्ते के पार्श्व स्थित खातेदारों ने रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता पूर्णतः बन्द कर दिया है। तहसीलदार, गंगापुर सिटी को बार–बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में खसरा नम्बर 96 गैर मुमकिन रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा खसरा नम्बर 95 किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा

91 के तहत तहसीलदार, गंगापुर सिटी ने विधिवत आदेश पारित कर अतिक्रमियों को मौके पर भौतिक रूप से बेदखल कर दिया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(102)लोआस / 2022

परिवादी श्री रामेश्वर सिंह पुत्र श्री चुन्नीलाल राजपुरोहित, निवासी ग्राम पोस्ट चाड़वास, तहसील सोजत, जिला पाली का अभिकथन था कि ग्राम चाड़वास के खसरा नम्बर 951 किस्म गैरमुमकिन रास्ता पर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर अतिक्रमण को चिह्नित कर अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(165)लोआस / 2020

परिवादी श्री भूरा लाल कीर पुत्र श्री नाथू लाल कीर, निवासी गोलबड़ी, ग्राम पंचायत कोठाज, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत कोठाज द्वारा उसे पट्टा जारी किया गया था। उक्त पट्टा खो जाने पर इसकी नकल जारी करने हेतु ग्राम पंचायत को पट्टे की मिसल की प्रति भी उपलब्ध करवा दी परन्तु फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को वांछित प्रतिलिपियाँ प्राप्त हो चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(185)लोआस / 2021

परिवादी श्री किसनाराम पुत्र श्री खुशालाराम मेघवाल, निवासी ग्राम पोस्ट भींयासर, फलौदी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत भींयासर में पंचायती राज योजना—चौदहवाँ वित्त विभाग, पन्द्रहवाँ वित्त आयोग तथा पांचवे वित्त आयोग के तहत स्वीकृत कार्यों में एचडीपीई पाईप लाइन बिछा कर घटिया सामग्री व नॉन आईएसआई मार्का की कम दबाव की पाइप मौके पर जमीन में बिछाने तथा जो पाइप लाइन बिछाई गई है वहां पर पहले से ही ग्राम पंचायत द्वारा पाइप लाइन बिछी होने से सरकारी पैसो का दुरूपयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी कार्यों का मौका मुआयना करने पर जो कमियाँ पाई गई वे ग्राम पंचायत द्वारा दुरूस्त करवा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(594)लोआस / 2018

परिवादी श्री इमीचन्द कुम्हार पुत्र श्री कानाराम कुम्हार, निवासी गांव खाटां, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत खाटां में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में फर्जी अगूँठा निशान दर्ज कर भुगतान उठाया जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री महेन्द्रपाल, कनिष्ठ सहायक से वांछित राशि की वसूली की जा चुकी है तथा लोकपाल, श्रीगंगानगर से जांच के आधार पर दोषी पाये गये जेटीए श्री गुरजन्ट सिंह, सरपंच श्रीमती मंजूदेवी, कनिष्ठ लिपिक श्री प्रेमसिंह, मेट नक्षत्रसिंह को चेतावनी नोटिस दिये जा चुके है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(174)लोआस / 2019

परिवादी श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री रामकिशन, निवासी ग्राम भदीरा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि बतौर कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) उसके द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान नगर पालिका, कुम्हेर द्वारा नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(223)लोआस / 2019

परिवादी श्री गणेश नारायण शर्मा पुत्र श्री छीतर मल शर्मा, निवासी प्लाट नम्बर 33, सूर्यनगर, स्कीम नम्बर 10, गोपालपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उनकी पत्नी गायत्री देवी द्वारा पथिक भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की स्कीम नम्बर 10 सूर्यनगर स्थित खरीदे गये भूखण्ड संख्या 33, जिस पर वह पक्का मकान बनाकर अपने परिवार सहित पिछले 30 वर्षो से निवास कर रहे है, का पट्टा जयपुर विकास प्राधिकरण जोन–5 के स्टाफ द्वारा की गई पैसों की मांग की पूर्ति नहीं करने के कारण पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जोन कार्यालय द्वारा भूखण्ड संख्या 33, सूर्यनगर स्कीम नम्बर 10 का पट्टा जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(421)लोआस / 2018

परिवादी श्री अशफाक उल्ला पुत्र श्री अनवर उल्ला, निवासी 632, खातीवाड़ा गली, मोती कटला बाजार, गंगापोल चौकड़ी, जिला जयपुर का अभिकथन था कि मोती

कटला बाजार बान्दरी का नासिक, चार दरवाजा बाहर स्थित दुध डेयरी संख्या–47 को 03 वर्षों से बन्द होने व उसके कारण आवागमन में असुविधा होने के कारण उक्त डेयरी बूथ को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार डेयरी बूथ जीर्णशीर्ण अवस्था में होने व यातायात में बाधा उत्पन्न होने के कारण उसे पुलिस की देखरेख में स्थानीय लोगों द्वारा हटा दिया गया था।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(16)लोआस / 2020

परिवादी श्री वासुदेव बदलानी पुत्र स्व0 श्री घनश्यामदास बदलानी, निवासी 3/256, विद्याधर नगर, जिला जयपुर जरिये प्रोपराइटर मैसर्स घनश्याम ट्रांसपोर्ट कम्पनी, पावर हाउस रोड़, पर्वतपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्लाट नम्बर एफ–22 के सामने, जिला अजमेर का अभिकथन था कि नगर सुधार न्यास के द्वारा सृजित ट्रांसपार्ट नगर योजना में उसे आंवटित भूखण्ड संख्या 175 क्षेत्रफल 400 वर्गगज का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

इस संबंध में सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 175 का भौतिक कब्जा प्राप्त हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(74)लोआस / 2021

परिवादी श्री मधुसूदन शर्मा पुत्र श्री प्रहलाद राय शर्मा, निवासी ए–22, शक्ति नगर, साहब जोहड़ा, जिला अलवर का अभिकथन था कि अलवर स्थित साहब जोहड़ा में खसरा नम्बर 492 में से 222.11 वर्ग गज भूमि जर्नादन मधुसूदन के नाम से क्रय की

गई थी, जिस पर क्रय करने के समय से ही मकान बनाकर रह रहे है। राज्य सरकार के आदेश के उपरान्त भी उसे पट्टा नहीं दिया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा प्राप्त हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(189)लोआस/2018

परिवादी श्री नन्दलाल पारीक पुत्र श्री वेद प्रकाश पारीक, निवासी बंगला नगर, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि उसने पट्टा आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र वर्ष 1992 में सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किन्तु अब तक पट्टा जारी नहीं किया गया है।

इस संबंध में सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को पट्टा जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(36)लोआस/2022

परिवादी श्री ठाकराराम विश्नोई पुत्र श्री अमलूराम विश्नोई, निवासी ग्राम पोस्ट परावा, तहसील चितलवाना, जिला जालोर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(145)लोआस / 2019

परिवादी श्री भरत प्रकाश पुत्र श्री शिवलाल, निवासी गालेश्वर महादेव के मंदिर के पास, मदेरणा कॉलोनी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(180)लोआस / 2019

परिवादी श्री भीकाराम चौधरी पुत्र श्री भैराराम चौधरी, निवासी लेगों की ढ़ाणी, जाटीपुरा, ओसियां, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि एवं राज्य बीमा पॉलिसी राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि एवं राज्य बीमा पॉलिसी राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि एवं राज्य बीमा पॉलिसी राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह मई 2023

एफ.3(241)लोआस / 2022

परिवादी श्रीमती सीमा व नीलम पुत्री श्री रामेश्वर, निवासी ग्राम नोनेरा पृथ्वीसिंह, तहसील व थाना बसेड़ी, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि थाना बसेड़ी, जिला

धौलपुर में दर्ज करवाई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 485/22 में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 485/22 में बाद अनुसंधान अभियुक्तगण हरिचन्द व काशीराम के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.द.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(243)लोआस/2018

परिवादी श्री अमर सिंह जाटव पुत्र श्री रामभरोसी जाटव, निवासी नावली, थाना बयाना, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि थानाधिकारी बयाना खलील अहमद द्वारा प्रकरण संख्या 133/18 में अभियुक्तगण से मिलीभगत के चलते 5 लाख रूपये लेकर केवल 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354बी को हटाकर 354 किया गया।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपराध अन्तर्गत धारा 354बी के अपराध में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया व अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(23)लोआस/2021

परिवादी श्री गणपत पुत्र श्री चम्पालाल जैन एवं खुशवंतपुत्र श्री सुकनराज जैन, निवासी 13 न्यू मण्डी, बापूनगर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली का अभिकथन था कि उनके द्वारा कुएँ पर बिजली का कनेक्शन लिया हुआ था। तूफान आने पर पोल गिर गये व केबिल टूट गई जिसे सही नहीं किया गया और न ही बिजली चालू की गई।

कनिष्ठ अभियंता द्वारा रिपोर्ट दिये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की और बिजली के बिल भेजे गये जिनमें दो साल के जमा भी करा दिये है।

इस संबंध में जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तेज तूफान–वर्षा आने, खेत में पानी भरे रहने तथा दो वर्ष तक वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान कार्मिकों के परिवारों का कोरोना से पीड़ित होने एवं आमजन का कोरोना से सुरक्षा के दृष्टिगत परिवाद में वर्णित विद्युत कनेक्शन को जोड़ने में देरी हुई थी। वर्तमान में उक्त कनेक्शन को चालू कर समस्या का समाधान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(83)लोआस/2022

परिवादी श्री बहादुर सिंह रत्नावत पुत्र स्व0 श्री रामसिंह रत्नावत, निवासी वार्ड नम्बर 52, लाल सिंह कॉलोनी, राधाकिशनपुरा, जिला सीकर का अभिकथन था कि ग्राम टकसोला के खसरा नम्बर 442/0.34, 460/0.65 व 472/0.41 के खातेदारों द्वारा तहसीलदार, कोटपूतली को सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद पटवारी द्वारा चार साल तक उनकी जमीन का सीमाज्ञान नहीं करवाया गया।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हल्का टकसोला व पटवारी हल्का दांतिल की टीम द्वारा ग्राम टकसोला के खसरा नम्बर 442, 450, 468, 453/995, 460 व 472 का सीमाज्ञान प्रार्थी बहादुर सिंह की उपस्थिति में कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(163)लोआस/2022

परिवादी श्री मदनलाल गुर्जर पुत्र श्री कल्याण गुर्जर, निवासी सरा का खेड़ा, ग्राम पंचायत कांटी, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम सरा का खेड़ा पटवार हल्का कांटी की चारागाह भूमि में देवकरण पुत्र चतरा गुर्जर ने रास्ते

में ट्रैक्टर से कब्जा कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तथा करीब तीन बीघा भूमि पर स्थाई रूप से कब्जा कर लिया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्रामवासियों तथा परिवादी की उपस्थिति में अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(205)लोआस / 2020

परिवादी श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासी सोटवारा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं का अभिकथन था कि राजकीय भूमि गैर मुमकिन जोहड़ खसरा नम्बर 576 क्षेत्रफल 12.6900 हैक्टर लगभग 4000 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण करते हुए कतिपय व्यक्तियों द्वारा पक्का निर्माण व पशुओं के लिए बाड़ा, स्नान घर, पानी की टंकी बना दिए गए है। उक्त को हटवाये जाने हेतु पटवारी व तहसीलदार को बार–बार शिकायत की गई किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, झुंझुनूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 576 वाके ग्राम सोटवारा, तहसील नवलगढ़ में पूर्व व दक्षिणी सीमा पर क्रमशः सुनिल पुत्र जगन, विजयपाल पुत्र जगन, रविन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह व कविता पत्नी शेरसिंह, निवासी माण्डासी के चिह्नित अतिक्रमण हटवा दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(542)लोआस / 2018

परिवादी श्री नेमाराम जाट पुत्र श्री नारायणराम जाट, निवासी रामनगर कलां, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम बड़ीकलां एवं ग्राम रामनगर

कलां स्थित विभिन्न सार्वजनिक भूमियों पर अवैध निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय ग्राम पंचायत स्तर से उपलब्ध कराये गये संसाधनों से स्थाई रहवास को छोड़कर शेष चिह्नित कच्चे–पक्के अनाधिकृत निर्माण इत्यादि को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(757)लोआस/2017

परिवादी श्री धर्मवीर सिंह राव पुत्र श्री दौलाराम, निवासी ग्राम भैरू ढ़ाणी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ का अभिकथन था कि ग्राम भैरू की ढ़ाणी की श्मशान की खाली पड़ी भूमि पर श्री कृष्ण कुमार व श्री चन्दगी राम द्वारा पक्का निर्माण व अतिक्रमण किया हुआ है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भैरू की ढ़ाणी के खसरा नम्बर 189 में तहसीलदार, भादरा, जिला हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा प्रश्नगत खसरा के अतिक्रमण को हटाया जाकर श्री कृष्ण कुमार व श्री चन्दगी राम जाति जाट को बेदखल किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(17)लोआस/2022

परिवादी श्री रितेश कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, निवासी ग्राम 4 टीके, पोस्ट 5 टीके, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि ग्राम 4 टीके की

आबादी भूमि की सीमा पर काश्तकारों द्वारा आम रास्ते में अपने खेतों की मिट्‌टी डालकर मिट्‌टी पर तारबन्दी कर अतिक्रमण किया हुआ है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार काश्तकारों द्वारा डाली गई मिट्‌टी एवं तारबन्दी को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(18)लोआस/2018

परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री जौहरी, निवासी ग्राम माडापुरा, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि सचिव, सरपंच, ग्राम पंचायत माडापुरा व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रूपवास द्वारा कतिपय व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण की जांच में पुष्टि होने तथा अतिक्रमी का दावा न्यायालय से खारिज होने के उपरान्त भी उसे नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(61)लोआस/2022

परिवादी श्री सुखलाल गाडरी पुत्र श्री परसा गाडरी, निवासी सांगास, ग्राम पंचायत सातलियास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत सातलियास के पास नेशनल हाईवे नम्बर 758 के सटी हुई बेशकीमती आबादी भूमि को ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करा नाजायज लाभ अर्जित करने की नियत से अपने चहेते लोगों को रोड की भूमि पर

अवैध कब्जा करने हेतु उत्प्रेरित कर मौके पर अतिक्रमण करवाकर एवं रियायती दरों पर फर्जी पट्टे जारी कर राजकोष को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(141)लोआस / 2019

परिवादी श्री प्रकाश खटीक पुत्र श्री उगमाराम खटीक, निवासी ग्राम कुण्डियाकलां, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम कुण्डियाकलां में आबादी स्थित गंदा नाला खुला है। इसकी पास की भूमि पर सरपंच की मिलीभगत से अतिक्रमण किया जा रहा है। इससे नाले के पानी का निकास रूक गया है और परिवादी एवं अन्य लोगो के मकान में पानी का रिसाव हो रहा है। इससे मकान के ध्वस्त होने की संभावना बन गई है, जिससे जनहानि का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही नाले के पानी का बहाव अवरूद्ध होने के कारण पानी इकट्ठा होने लगा है, जिससे गंदगी और बीमारी भी फैल रही है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बनेड़ा एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, कुण्डियाकलां द्वारा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में अतिक्रमण हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(18)लोआस / 2022

परिवादी श्री गणपत सीरवी पुत्र श्री पूनाराम सीरवी, निवासी वार्ड नम्बर 33, बेरा भेवरीया, बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि नगरपालिका, बिलाड़ा के द्वारा वार्ड नम्बर 33 में बेरापाटिया पर आने–जाने के रास्ते में करवाया गया सड़क निर्माण

घटिया क्वालिटी का व बिना मापदण्डों के करवाया गया एवं संवेदक को भुगतान भी नहीं किया गया।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सड़क निर्माण करते समय एक स्थान पर स्थानीय निवासियों द्वारा जल के कनेक्शन हेतु कटिंग की गई तथा अन्य एक स्थान पर ढ़लान होने के कारण बरसात का पानी का बहाव अधिक होने के कारण सड़क के सतह से सील कोटा हट गया था जिसे नोटिस देने के उपरांत संवेदक द्वारा मरम्मत कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(22)लोआस / 2021

परिवादी श्रीमती जगदीशी देवी पत्नी स्व0 श्री महावीर प्रसाद शर्मा, निवासी विवेकानन्द कॉलोनी, देवली, जिला टोंक का अभिकथन था कि उनके पति श्री महावीर प्रसाद शर्मा की मृत्यु के उपरान्त पेंशन, ग्रेच्यूटी, जीपीएफ एवं राज्य बीमा का भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य बीमा नियम, 1998, 45(2) के तहत परिपक्वता कम मृत्यु दावे की गणना जिला कार्यालय, नागौर द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(8)लोआस / 2020

परिवादी श्रीमती मंजू माथुर पत्नी श्री गजेन्द्र लाल माथुर, निवासी एए 8ए, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(8)लोआस/2022

परिवादी श्रीमती विजय शर्मा पत्नी श्री वीरेन्द्र देव शर्मा, निवासी वीर विजय विला, मकान नम्बर 6–बी–12, चौथा पुलिया, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(37)लोआस/2022

परिवादी श्री शैलेश कुमार पुत्र श्री ध्यानपाल सिंह, निवासी मकान नम्बर 31ए, बालाजी टाउन खेड़ली फाटक, जिला कोटा का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह जून 2023

एफ.3(564)लोआस / 2018

परिवादी श्री मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री मांगीलाल मीणा, निवासी प्लाट नम्बर 01, छत्रपति शिवाजी कॉलोनी, कालवाड़ बस स्टैण्ड के पास, कालवाड़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि पुलिस थाना कालवाड़ में दर्ज कराये गये मुकदमा संख्या 138/18 में थानाधिकारी श्री दिनेश कुमार वर्मा द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी व आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए उससे 30 हजार रूपये की घड़ी की मांग की गई।

इस संबंध में पुलिस उपायुक्त पश्चिम, आयुक्तालय, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(21)लोआस / 2022

परिवादी श्रीमती सरोज नैण पत्नी श्री महावीर प्रसाद नैण, निवासी 8–सी–59, जेएनबी कॉलोनी, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि पटवार हल्का हुसंगसर के खसरा संख्या 78/73 की खरीदशुदा कृषि भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाये जाने पर सम्परिवर्तन आदेश जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(162)लोआस / 2020

परिवादी श्री अम्बालाल यादव पुत्र श्री छोगालाल यादव, निवासी बारेड़ा, तहसील निवाई, जिला टोंक का अभिकथन था कि गांव की चरागाह भूमि व गैरमुमकिन नाला

की भूमि पर सृजन संस्था द्वारा जलग्रहण विभाग के माध्यम से किसानों की जमाबन्दी लेकर उनके नाम फार्म पौण्ड पास करवाकर चरागाह की भूमि में फार्म पौण्ड दर्शाकर भूमि हड़प ली गई है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जल ग्रहण हेतु किये गये पौण्ड निर्माण में सृजन संस्था दोषी पायी गई, जिसमें खसरा नम्बर 221 में कुल राशि 66518/— रूपये एवं खसरा नम्बर 4 में कुल राशि 66517/— रूपये वसूली योग्य है। निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू—संरक्षण विभाग, जयपुर के अनुसार अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर, जिला परिषद, टोंक द्वारा सृजन संस्था से कुल राशि 1,33,035/— रूपये की वसूली की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(344)लोआस/2019

परिवादी श्री जीतेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्रपाल, निवासी ग्राम नन्दरामपुर बॉस, तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा) का अभिकथन था कि आराजी नम्बर 445 रकबा 2. 80 है0 वाके ग्राम महेशरा, तहसील तिजारा, जिला अलवर के सीमाज्ञान के आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा को दिये गये थे जिसकी पालना संबंधित राजस्व कर्मियों द्वारा नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार, टपूकड़ा के नेतृत्व में टीम गठित कर परिवारी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्रपाल की पत्रावली में ग्राम महेशरा के आराजी खसरा नम्बर 445 रकबा 2.80 है0 का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की कार्यवाही पूर्ण करवायी गई।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(695)लोआस / 2017

परिवादी श्रीमती संतोष कँवर पत्नी श्री सत्यदेव सिंह, निवासी ग्राम डोगरी, पोस्ट व तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम डोगरी स्थित विद्यालय भूमि, गोचर भूमि व आम रास्तों पर अतिक्रमण कर लिया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व टीम द्वारा मौके पर उपस्थित रहकर आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 0.26 है0 गैर मुमकिन नहर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.53 है0 किस्म चरागाह पर जेसीबी की मशीन लगाकर अतिक्रमियों को पूर्ण रूप से बेदखल किया गया तथा खसरा नम्बर 177 किस्म चरागाह को भी अतिक्रमण मुक्त कर ग्राम पंचायत, रसीली के ग्राम विकास अधिकारी को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(894)लोआस / 2016

परिवादी श्री प्रकाश सिंघवी पुत्र श्री भंवरलाल सिंघवी, निवासी मकान नम्बर 124, अग्रसेन बाजार, पुरानी धानमण्डी रामपुरा, जिला कोटा का अभिकथन था कि ग्राम लखावा की खसरा संख्या 399 में से पश्चिम हिस्से में 4 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत प्रार्थी को आवंटित की गयी थी किन्तु प्रार्थी का नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया।

इस संबंध में जिला कलक्टर, कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को आवंटित 4 बीघा भूमि के लिये 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आवंटित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(27)लोआस / 2020

परिवादी श्रीमती शीला रावत पत्नी श्री हरिप्रकाश सिसोदिया, निवासी वार्ड नम्बर 08, शिवनगर लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत, दौलतपुरा के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पंचायत में बैठक की भत्ता राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री गोविन्द तम्बोली, ग्राम पंचायत, दौलतपुरा, पंचायत समिति, केशोरायपाटन के विरूद्ध सीसीए नियम, 1958 के नियम 17 के तहत ज्ञापन, आरोप पत्र जारी किया गया और उसे दोषी मानते हुए भविष्य के लिए मौखिक चेतावनी दी गई तथा आदेशित किया गया कि इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति न की जावें। परिवादी को बकाया भत्ते की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(81)लोआस / 2020

परिवादी श्री वेदप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री वैजनाथ, निवासी खेरली गंज, वार्ड नम्बर 10, अजीराम कॉलोनी, तहसील कठूमर, जिला अलवर का अभिकथन था कि वह नगरपालिका, खेरली से फायरमैन के पद से सेवानिवृत्त हुआ किन्तु उसे छठवें व सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया।

इस संबंध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के पीपीओ नम्बर 171503 को छठें वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत संशोधित पेंशन भुगतान आदेश जारी करवाये जाने हेतु प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवा दिया गया है तथा सातवें वेतनमान में नियतन एवं पेंशन

संशोधन कोषालय द्वारा किया जावेगा। पेंशन विभाग द्वारा परिवादी का संशोधित पीपीओ जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(195)लोआस / 2022

परिवादी श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री प्रभुदयाल शर्मा, निवासी 476, बृजपुरी टीलावाला, जगतपुरा, सांगानेर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उनके भूखण्ड संख्या 476 के सामने श्री रतनलाल शर्मा द्वारा आम रास्ता पर पशुओं को बांधकर टीनशेड़ लगाकर अतिक्रमण कर पशु डेयरी संचालित करते हुए रास्ते को अवरूद्ध कर रखा है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री रतनलाल शर्मा द्वारा सरकारी रास्ते पर टीनशेड लगाकर उनमें गाय बांधकर संचालित की जा रही दूध डेयरी को हटा लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(91)लोआस / 2021

परिवादी श्री देवेन्द्र स्वामी पुत्र श्री द्वारका दास स्वामी, निवासी मूधड़ा बगीची, जस्सूसर गेट के बाहर, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि ग्राम चकगरबी के खसरा नम्बर 1055 / 365 में भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन नगर विकास न्यास, बीकानेर के द्वारा समयावधि में पत्रावली का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री देवेन्द्र स्वामी की कृषि भूमि का भू–रूपान्तरण कर आवासीय पट्टा जारी किये जाने के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए के तहत आदेश जारी कर दिये गये।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(125)लोआस / 2019

परिवादी श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री खीमसिंह, निवासी टेवाली, तहसील व जिला पाली (हाल निवासी जे.के. पुरम, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही) का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत टेवाली, जिला पाली के खसरा नम्बर 40 किस्म गोचर भूमि पर स्थानीय प्रशासन पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध कब्जा किया हुआ है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत 65 अतिक्रमियों में से 58 को बेदखल किया जा चुका है तथा शेष 7 पक्के मकानों में परिवार सहित निवासरत लोगों के बेघर होने के तथ्य को देखते हुए उन परिवारों द्वारा पक्के मकानों के अतिरिक्त टीनशेड, दीवार व बाड़ लगाकर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(151)लोआस / 2021

परिवादी श्री राजेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री रामगोपाल गुर्जर, निवासी डोईयों की ढ़ाणी, बाल्याकाला, ग्राम कालवाड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उनकी माताजी व चाची द्वारा क्रयशुदा भूखण्ड पर विद्युत संबंध स्थापित किये जाने हेतु किये गये आवेदन पर मांग पत्र के अनुसार सम्पूर्ण राशि जमा कराये जाने के बावजूद सहायक अभियंता (पवस), जविविनिलि, आमेर जिला जयपुर द्वारा विद्युत संबंध स्थापित नहीं करने व उक्त क्रयशुदा भूखण्ड के नामान्तकरण हेतु तहसीलदार, आमेर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा इस हेतु हल्का पटवारी को दिये गये आदेश के बावजूद आदिवस तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का प्रश्नगत विद्युत संबंध स्थापित कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(449)लोआस / 2018

परिवादी श्री प्रशांत बालोत पुत्र श्री शिवराम मीना, निवासी 5/एच/207 सी, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल व उपायुक्त, नगर निगम, सांगानेर जोन, जयपुर पर इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर के मकान नम्बर 5/एमबी/72 में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमण को शिकायत दिये जाने के बावजूद नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर एवं आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत मकान संख्या 5/एमबी/72 के आवंटी द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटा लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(20)लोआस / 2022

परिवादी श्रीमती हुश्न बानो पत्नी मोहम्मद युसुफ पठान, निवासी गणेश विस्तार योजना, गैस एजेन्सी के सामने, वार्ड नम्बर 6, पोस्ट लाखेरी, जिला बून्दी का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(43)लोआस / 2022

परिवादी श्री मोहनलाल गोरा पुत्र श्री मूंगाराम गोरा, निवासी मुकाम व पोस्ट ढ़ाणी गोरा वाली, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(29)लोआस / 2022

परिवादी श्री रामेश्वर लाल कुमावत पुत्र श्री नानूराम कुमावत, निवासी ग्राम इरोलाव, पोस्ट तेजा का बास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(33)लोआस / 2022

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री किशनलाल यादव, निवासी ग्राम रानीपुरा, पोस्ट मारखी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत राज्य बीमा पॉलिसी की राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को राज्य बीमा पॉलिसी की राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार राज्य बीमा पॉलिसी की राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(41)लोआस / 2022

परिवादी श्री ओमप्रकाश पंवार पुत्र श्री हिम्मतमल पंवार, निवासी वार्ड नम्बर 09, मकान नम्बर 176, जटियों का बास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(49)लोआस / 2022

परिवादी श्रीमती सुगना देवी पत्नी स्व0 श्री भागीराथ चौधरी, निवासी गोगावतों का बास, घाणामगा वाया भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(52)लोआस / 2022

परिवादी श्री मेमराज विश्नोई पुत्र श्री हरचन्दराम विश्नोई, निवासी ग्राम व पोस्ट जाणियों की ढ़ाणी नौखड़ चारणान, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(105)लोआस / 2019

परिवादी श्री श्रवण राम किलक पुत्र श्री हेमाराम किलक, निवासी मुकाम मोरियाना, पोस्ट मोडीकलां वाया हिरसौर, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.48(3)लोआस / 2019

परिवादी श्री ललित जाखड़ पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाखड़, निवासी ग्राम बारी, तहसील रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर का अभिकथन था कि दीनदयाल शिक्षा एवं अनुसंधान समिति, ग्राम बारी, तहसील फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर द्वारा संचालित कॉलेजों को, बिना निरीक्षण एवं जाली दस्तावेजात के आधार पर मिलीभगत कर, निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर द्वारा मान्यता जारी की गई।

इस संबंध में निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दीनदयाल शिक्षा एवं अनुसंधान समिति ग्राम बारी, तहसील फतेहपुर शेखावाटी, सीकर के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा फर्जी संपरिवर्तन आदेश, जो जिला कलक्टर, सीकर द्वारा जारी नहीं किया गया था, के आधार पर मान्यता प्राप्त की गयी। उक्त मान्यता वर्ष 2020–21 से रद्द की जा चुकी है एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा दोषी संस्थान दीनदयाल शिक्षा एवं अनुसंधान समिति ग्राम बारी, तहसील फतेहपुर शेखावाटी, सीकर के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध माननीय न्यायालय में विधिक कार्यवाही किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, साथ ही संस्थान के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर को लिखा गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह जुलाई 2023

एफ.3(137)लोआस / 2022

परिवादी श्री बृजलाल पुत्र श्री नत्थूराम, निवासी ग्राम कणाऊ, तहसील भादरा, पुलिस थाना गोगामेड़ी, जिला हनुमानगढ़ का अभिकथन था कि पुलिस थाना गोगामेडी में दर्ज प्रथम सूचना संख्या 54 / 2022 के मुख्य अभियुक्त श्री विकास पुत्र श्री मघाराम को गिरफ्तार नहीं किये जाने के संबंध में थानाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(179)लोआस/2022

परिवादी श्रीमती वीना सोनी पत्नी स्व0 श्री रामावतार सोनी, निवासी प्लाट नम्बर 124/439, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि प्रथम सूचना संख्या 638/22, पुलिस थाना शिप्रा पथ, मानसरोवर में अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 638/2022, पुलिस थाना शिप्रा पथ दक्षिण, जयपुर में बाद अनुसंधान अभियुक्तगण करण पमनानी के विरूद्ध धारा 323, 341, 325 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर प्रकरण में नतीजा चार्जशीट नम्बर 261/2022 दिनांक 23.11.2022 में किता की जाकर दिनांक 05.01.2023 को न्यायालय, एम.एम.–08, जयपुर महानगर (प्रथम) में पेश की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(249)लोआस/2022

परिवादी श्री छोटू सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, निवासी 270, राजपूतों का बास, गांव–ईग्यार, पोस्ट कसनाउ, जिला नागौर का अभिकथन था कि प्रथम सूचना दर्ज करवाने के पश्चात भी श्री जितेन्द्र सिंह व श्री यशु सिंह को पाबंद नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह तथा श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ श्री सोनू पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह को शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा 107, 116(3) जा.फौ. के तहत इस्तगासा दिनांक 12.12.2022 को तहसीलदार मूण्डवा के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकार शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(271)लोआस / 2022

परिवादी श्री सूरजा राम पुत्र श्री मुकना राम, निवासी ग्राम गोयलरी, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि पुलिस थाना गजनेर, बीकानेर में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 81/2022 के संबंध में दूषित अनुसंधान करने वाले दोषी अनुसंधान अधिकारी श्री रूपाराम, ए.एस.आई. व थानाधिकारी श्री धमेन्द्र सिंह के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में एफ.आई.आर. संख्या 81/2022 में बाद अनुसंधान अभियुक्तगण श्री सुगनाराम पुत्र श्री मघाराम तथा श्री विशाल पुत्र श्री सुरजाराम के विरूद्ध जुर्म धारा 323, 341 भा.दं.सं. में पूर्णतया प्रमाणित पाये जाने पर जरिये चार्जशीट नम्बर 44 दिनांक 30.08.2022 के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है तथा प्रकरण में किसी विशिष्ट लोकसेवक द्वारा भ्रष्टता का आचरण, पद का दुरूपयोग अथवा अकर्मण्यता कारित होना प्रकटित नहीं होता है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(57)लोआस / 2022

परिवादी श्री ओमप्रकाश गज्जा पुत्र श्री शिवप्रसाद गज्जा, निवासी प्रथम सी रोड़, सरदारपुरा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर के आदेश में नवीन वेतन निर्धारण प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक पद पर समायोजित कार्मिकों पर नियमानुसार चयनित वेतनमान/ एसीपी अध्यापक पद के समान ग्रेड पे दिये जाने की स्वीकृति दी गई है जबकि जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार जारी वित्त विभाग के आदेशों की अवहेलना कर उसका प्रकरण लौटाये जाने का कथन करते हुए प्रकरण का जिला

शिक्षा अधिकारी, जोधपुर से पुनर्विलोकन कर वित्त विभाग के आदेश अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर समुचित आदेश जारी नहीं किये जा रहे है।

इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को देय होने की स्थिति में (अध्यापक ग्रेड–III को देय अनुसार) चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ देकर नियमानुसार किये जाने की कार्यवाही की जावें तथा अपीलार्थी से वसूल की गई राशि 93876/– रूपये उसे वापिस किये जाने के संबंध में अपीलार्थी के आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यामक आदेश प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(40)लोआस/2020

परिवादी श्री पूरण मीणा पुत्र श्री किशोर मीणा, निवासी ग्राम मीणापुर, तहसील रामगढ़, जिला अलवर का अभिकथन था जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों द्वारा ग्राम मीणापुरा में 35 कृषि कनेक्शन धारकों से सात हजार रूपये प्रति उपभोक्ता से उगाहकर 24 घण्टे की विद्युत सप्लाई देकर 6 घण्टे की सप्लाई का बिल जारी करवाकर करोड़ों रूपये की बिजली की चोरी करवाई गई। इसके अतिरिक्त श्री बबली पुत्र श्री बल्लूराम के कृषि खाता को नियम विरूद्ध श्री तुलसीराम मीणा के मकान जो सिवायचक जमीन के खसरा नम्बर 387 की बोरिंग में फर्जीवाड़ा करके चलाया जा रहा है व मीटर की रीडिंग को जलाकर बकाया राशि जमा नहीं करवाई जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, अलवर एवं जयपुर डिस्कॉम, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विवादित कनेक्शनों के दौरान दोषी अधिकारियों के नाम श्री राजीव विराणा एवं श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, सहायक अभियंता

के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी गई तथा उनकी एक–एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया गया। इस प्रकार अवैध विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध वीसीआर भरी जा चुकी है तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित भी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(152)लोआस / 2020

परिवादी श्री नरसाराम पुत्र श्री हनुमान राम, निवासी नदी वाली ढ़ाणी, जलालपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर का अभिकथन था राजस्व ग्राम जलालपुर की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 17.08 है0 तथा खसरा नम्बर 100 रकबा 17.32 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी की भूमि पर तारबंदी करके गांव के प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में तहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक, पटवार हल्का द्वारा पुलिस जाप्ता की उपस्थिति तथा परिवादी श्री नरसाराम की उपस्थिति में ग्राम जलालपुर के भूमि खसरा नम्बर 99, 100, 70, 55, 57 424, 58 किस्म गैर मुमकिन नदी में किये गये अतिक्रमण को पूर्णरूपेण हटाकर उक्त खसरा नम्बरान को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(215)लोआस / 2022

परिवादी श्री श्रवण सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी ग्राम राजवेरा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर का अभिकथन था कि ग्राम उण्डू, तहसील शिव, जिला बाड़मेर के बस स्टैण्ड में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बाड़मेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम उण्डू के चौराहों में शिव से फलसूण्ड डामर सड़क, उण्डू से बांधेवा डामर सड़क व उण्डू से रतेऊ डामर सड़क निकलती है, जो रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 921/464, 1036/555, 1058/556 तथा 362/175 गैर मुमकिन सड़क दर्ज है। दिनाक 04.08.2022 को राजस्व विभाग द्वारा सड़क पर किये गये अवैध अतिक्रमण चिह्नित कर हटा दिये गये है तथा वर्तमान में उपर्युक्त तीनों डामर सड़क चालू है तथा आवागमन में कोई बाधा नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(389)लोआस/2021

परिवादी श्री भंवरलाल जाट पुत्र श्री गोपाल जाट, निवासी ग्राम नान्दला, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर का अभिकथन था कि ग्राम नान्दला के सिवायचक खसरा संख्या 2417 व 2418 पर श्री नारायण सिंह, श्री हीरा सिंह, श्री विजय सिंह एवं श्री ओमसिंह रावत, निवासी ग्राम भवानीखेड़ा के द्वारा बिना नम्बर प्लेट की जे.सी.बी. से अवैध पत्थर लगाकर अतिक्रमण कर लिया है, प्रशासन द्वारा आपसी सांठ–गांठ की वजह से संतोषजनक कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नान्दला के खसरा नम्बर 2417 व 2418 सिवायचक भूमि दर्ज है तथा नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें बेदखली के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(242)लोआस/2018

परिवादी श्री नत्थूराम खत्री पुत्र श्री पोहूमल खत्री, निवासी ग्राम नांगल मौजिया, ग्राम पंचायत नूरनगर, तहसील किशनगढ़ बास, जिला अलवर का अभिकथन था कि श्री

सोमनाथ, सचिव, ग्राम पंचायत नूरनगर, तहसील किशनगढ़ बार, जिला अलवर द्वारा राशन कार्ड बिक्री से प्राप्त राशि 1,30,800/– में से 1,13,700/– राजकोष में जमा करवाकर 17,100/– रूपए का गबन किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री सोमनाथ, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत नूरनगर द्वारा राशि 64,800/– रूपये तथा ब्याज राशि 30,235/– रूपये राजकीय कोष में जमा करवाये जा चुके है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(251)लोआस/2020

परिवादी श्रीमती नीजूदेवी पत्नी श्री उतमाराम भील, निवासी भीलों की ढ़ाणी, राजगढ़, ग्राम पंचायत रावलगढ़, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उनके पति श्री उतमाराम भील के नाम मनरेगा योजना के अन्तर्गत टांका निर्माण, बकरी आश्रय एवं भूमि समतलीकरण कार्य वर्ष 2019–20 में स्वीकृत हुआ था। तभी परिवादिया के पति का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण परिवादिया ग्राम पंचायत में सम्पर्क नहीं कर पाई। बाद में सम्पर्क करने पर परिवादिया को पता चला कि उनके पति के नाम से स्वीकृत उक्त कार्य का ग्राम विकास अधिकारी व मेटो ने मिलीभगत कर भुगतान उठा लिया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार टांका निर्माण कार्य प्रगतिरत है और बकरी आश्रय का कार्य नहीं होना पाया गया। साथ ही कार्यकारी संस्था आजीविका से प्राप्त माप पुस्तिका में टांका निर्माण कार्य हेतु कारीगर का भुगतान टांका निर्माण से पूर्व ही कर दिया गया, जिसके लिए तकनीकी सहायक श्री रमेश कुमार, सीएलएफ राजीविका, बालेसर के विरूद्ध जिला परियोजना प्रबन्धक, राजीविका, जोधपुर के अनुसार जय भीम सीएलएफ सर्वांगीण

विकास समिति लिमिटेड, बालेसर द्वारा दण्ड के रूप में राशि रूपये 200/— वसूली की गई तथा उक्त कार्य को पूर्ण करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(9)लोआस/2020

परिवादी श्री किशनचन्द रामानी पुत्र स्व0 श्री वाधुमल रामानी, निवासी 120/11, विजय पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि मकान संख्या 120/10, विजय पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर को तुड़वाकर आवासीय मकान के स्थान पर अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण किये जाने के संबंध में उपायुक्त, नगर निगम, मानसरोवर, जयपुर व अधिकारीगण, नगर निगम, जयपुर द्वारा शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मकान संख्या 120/10, विजय पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर पर हो रहे अवैध निर्माण को बन्द कराया गया, शटर हटवाई गई, व्यावसायिक गतिविधियों को बन्द करवा दिया गया है तथा वर्तमान में किसी प्रकार की कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं होना पाया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(31)लोआस/2022

परिवादी श्री ऐश्वर्य शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा, निवासी मकान नम्बर 519, राज भवन, जयश्री कॉलोनी, बजाज ग्राम सांवली रोड़, जिला सीकर का अभिकथन था कि नगर परिषद, सीकर द्वारा जारी पट्टा संख्या 10427 विधि विरूद्ध होने के बावजूद नगर परिषद, सीकर द्वारा उक्त पट्टा निरस्त नहीं किया जा रहा है एवं रास्ते के अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा तथा दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमणकर्ता श्रीमती राजरानी पत्नी श्री भवानी शंकर ने परिषद द्वारा जारी नोटिस के विरूद्ध अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर में निगरानी अन्तर्गत धारा 327 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 श्रीमती राजरानी बनाम नगर परिषद, सीकर दायर की, जहाँ से स्थगन आदेश जारी किये गये है।

नगर परिषद, सीकर के ले–आउट प्लान में प्रश्नगत रास्ते की चौड़ाई भिन्न–भिन्न है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत रास्ते में समरूपता एवं बिल्डिंग लाइन को मद्देनजर रखते हुए ले–आउट प्लान में उक्त रास्ते की चौड़ाई का पुनः निर्धारण करने हेतु ले–आउट में संशोधन प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती सुनीता देवी व श्री चन्द्रभानसिंह द्वारा जयश्री कॉलोनी, बजाज ग्राम सांवली, सीकर द्वारा आम रास्ते में किये गये अतिक्रमण को परिषद द्वारा हटा दिया गया है तथा रास्ते को आवागमन हेतु सुचारू कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(44)लोआस / 2022

परिवादी श्रीमती शमीम पत्नी श्री मोहम्मद हनीफ, निवासी सब्जी मण्डी के पीछे, घसियार का मोहल्ला, बैरवा सदर के पास वाली गली, वार्ड नम्बर 15, जिला बून्दी का अभिकथन था कि नगरपालिका, बून्दी में कार्यरत कर्मचारी श्री रामभरोसी हरिजन तथा श्री किशनलाल हरिजन द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने, विद्युत पोल को तोड़ने तथा विद्युत चोरी करने के संबंध में उक्त कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की

गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रास्ते की भूमि पर प्रश्नगत अतिक्रमण/अवैध निर्माण बिना स्वीकृति के किये जाने के कारण उसे ध्वस्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(96)लोआस/2022

परिवादी श्री प्रहलाद राय खाण्डल पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा, निवासी वार्ड नम्बर 30, रेलवे स्टेशन रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, मालपुरा, जिला टोंक का अभिकथन था कि अध्यक्ष, ईओ, सफाई कर्मचारी श्री महेन्द्र चौधरी व संविदा कर्मचारी श्री योगेन्द्र गौतम, कनिष्ठ अभियंता द्वारा उसके द्वारा वर्ष 2019–20 में नगरपालिका के किये गये निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

इस संबंध में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उसके द्वारा किये गये निर्माण कार्य की बकाया राशि 5,42,331/– रूपये का भुगतान किया जा चुका है तथा तकनीकी सहायक श्री योगेन्द्र गौतम उर्फ श्री मोनू के विरूद्ध हुई ट्रेप कार्यवाही में अभियोग संख्या 10/22 पंजीबद्ध होने के कारण उसकी सेवाएँ दिनांक 12.01.2022 से समाप्त की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(522)लोआस/2017

परिवादी श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बाला सहाय, निवासी सी 118 बी, मंगल मार्ग, बापू नगर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि भूखण्ड संख्या सी–118 के सेट बैक में बिना अनुमति निर्माण किये जाने व श्री मनोहर प्रभाकर द्वारा दिनांक 31.05.1969 को उक्त प्लाट 1061 वर्गगज में से 422 वर्गगज को रजिस्ट्री द्वारा विक्रय करने के 02 माह पश्चात् दिनांक 24.07.1969 को विक्रय के तथ्यों को छिपाकर धोखाधड़ी की नियम से गलत शपथ–पत्र/घोषणा पत्र पेश कर सम्पूर्ण भूखण्ड 1061 वर्गगज का पट्टा

अवैधानिक रूप से अपनी पत्नी श्रीमती सुशीला प्रभाकर के नाम हस्तान्तरित करा लेने के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी गयी।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम, जयपुर एवं उपायुक्त, मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या–11, जयपुर में लम्बित प्रकरण संख्या 671/18 जो कि श्रीमती सुशीला प्रभाकर पत्नी श्री मनोहर प्रभाकर से संबंधित था, का पूर्ण रूप से निस्तारण किया जाकर उसमें दिनांक 25.03.2019 को जुर्माना राशि 24,000/– रूपये जमा करवाई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.31(75)लोआस/2017

परिवादी श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा, निवासी ग्राम सोहोड़, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि उसकी फर्म द्वारा माह अप्रेल, मई एवं जून, 2017 में पंचायत समिति नीमकाथाना के अधीन आने वाले पेयजल अभावग्रस्त ग्राम एवं ढ़ाणियों में पेयजल परिवहन कार्य किया गया था। किया गया कार्य सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति एवं आदेशानुसार किया गया है एवं किये गये कार्य के समस्त कूपन, बिल एवं वाउचर सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर गठित कमेटी द्वारा जांच एवं प्रमाणित करवाकर सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नीमकाथाना को कुल रूपये 39,27,135/– समयानुसार प्रस्तुत कर दिये थे। यह कार्य सक्षम अधिकारियों ने साख सीमा 30 लाख रूपये के विरूद्ध करवाया है उक्त राशि में से रूपये 14,41,755/– का भुगतान किया जाना शेष है। साख सीमा से अधिक कार्य हो जाने के फलस्वरूप अधिक किये गये कार्य की राशि की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नीमकाथाना के द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान किया जाना शेष है।

इस संबंध में मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जरिए वाउचर

संख्या 116 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा राशि 1,17,665/— का भुगतान कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि परिवादी ने लिखित में माह अप्रेल, मई व जून, 2017 में किये गये पेयजल परिवहन कार्य का भुगतान विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तुत किया और उक्त अवधि का फर्म का अन्य कोई भुगतान बकाया नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.32(12)लोआस/2021

परिवादी सुश्री खुशी पुत्री श्री अजय सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट बुटेरी, तहसील बानसूर, जिला अलवर का अभिकथन था वह 100 प्रतिशत विकलांग है, चलने फिरने में असमर्थ है एवं गरीब परिवार से है। उन्हें ट्राई बैटरी साइकिल नहीं दी जा रही है।

इस संबंध में सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सुश्री खुशी को ट्राई साइकिल उपलब्ध करवा दी गई है, जिससे खुशी बहुत प्रसन्न हो गई है।

इस प्रकार परिवादिया को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(41)लोआस/2021

परिवादी श्री लोकेश नागर पुत्र श्री नन्दकिशोर, निवासी वीपीओ, हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ का अभिकथन था कि हरिगढ़ एवं बोरदा गांवों में स्थित तालाबों से गत् वर्ष 2020 के फरवरी से जुलाई माह तक पंचायत समिति खानपुर के विकास अधिकारी श्री सुधीर पाठक एवं ग्राम पंचायत हरिगढ़ में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्गाशंकर नागर द्वारा 4 जेसीबी मशीनों व कई ट्रैक्टर ट्रोलियों से 40 हजार ट्रोली से भी अधिक मिट्टी सहित कंक्रीट ग्रेवल अन्य खनिज सामग्री का अनाधिकृत खनन एवं परिवहन किया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री दुर्गाशंकर नागर, सचिव से राशि रूपये 8840/— व श्री भवानीशंकर बैरवा, सरपंच से राशि रूपये 8840/— वसूल कर लिये गये है। श्री भवानीशंकर बैरवा, सरपंच से चार्ज लेन—देन समारोह की राशि रूपये 7700/— वसूल कर लिये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही एवं ग्राम सभा की कार्यवाही के निर्णयानुसार 40/— प्रति ट्रोली की दर निर्धारित की गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(111)लोआस/2022

परिवादी श्री खलीलुर्रहमान पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन, निवासी पठानों की मस्जिद के पास, भिनाय, जिला अजमेर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(38)लोआस/2022

परिवादी सुश्री प्रतिभा शर्मा पुत्री श्री रामजी लाल शर्मा केयर ऑफ श्री रामदयाल जोशी, निवासी मातेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(48)लोआस/2022

परिवादी श्री विश्वनाथ डे पुत्र श्री हरी डे, निवासी जे–1775, 11वां एवेन्यू गौड़ सिटी–02 ग्रेटर नोएड़ा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(50)लोआस/2022

परिवादी श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शिवप्रसाद शर्मा, निवासी अनूप एसटीडी के पीछे, ब्रज नगर, अछनेरा रोड़, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(54)लोआस / 2022

परिवादी श्री घेवर चन्द कुम्हार पुत्र श्री घीसूलाल कुम्हार, निवासी पुराना आकेली मार्ग, मांगीलाल जी की फैक्ट्री के पीछे, सुन्दर नगर, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह अगस्त 2023

एफ.4(20)लोआस / 2021

परिवादी श्री गौतम लाल परमार पुत्र श्री रामजी परमार, निवासी ग्राम गोकुलपुरा, जिला डूंगरपुर का अभिकथन था कि वह दी डूंगरपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, डूंगरपुर में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत था तथा दिनांक 30, नवम्बर 2018 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण हो जाने से सेवानिवृत्त हो गया था। राज्य सरकार के नियमानुसार कर्मचारी को सेवा ग्रेच्युटी देय है परन्तु पाँच माह व्यतीत हो जाने के बाद भी उसे ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त नहीं हो पाया है।

इस संबंध में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को कुल देय राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.7(21)लोआस/2018

परिवादी श्री शिवचरण अवस्थी पुत्र श्री रमेश चंद शर्मा, निवासी अवस्थी भवन संख्या 158, वार्ड नम्बर 4, सेढ़ के मढ़ के पास, बाल विद्या मन्दिर, खेरली, जिला अलवर का अभिकथन था कि श्री रामचरण मीणा, जिला रसद अधिकारी, अलवर के द्वारा राशन डीलर श्री कैलाश मीणा, ग्राम पंचायत बहरामपुर के विरूद्ध राशन सामग्री का गबन करवाने के संबंध में डीलर के विरूद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री कैलाश चन्द मीणा, उचित मूल्य दुकानदार, बहरामपुर द्वारा राशन सामग्री में की गई अनियमितताओं के कारण उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.8(14)लोआस/2019

परिवादी श्री रामलाल कुमावत पुत्र श्री मांगीलाल कुमावत, निवासी ग्राम मण्डाभीम सिंह, सांभर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि न्यूमोनोकोसिस बोर्ड के डॉ0 सुधीर शर्मा व कार्यरत स्टाफ सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर द्वारा सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला क्षय निवारण केन्द्र (प्रथम), जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी करते हुए राहत राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.8(15)लोआस/2019

परिवादी श्री रामलाल कुमावत पुत्र श्री बिरदीचंद कुमावत, निवासी ग्राम मण्डाभीम सिंह, सांभर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि न्यूमोनोकोसिस बोर्ड के डॉ0

सुधीर शर्मा व कार्यरत स्टाफ सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर द्वारा सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, टी0बी0 क्लिनिक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी करते हुए राहत राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(25)लोआस / 2019

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम, निवासी गांव खांगटा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर हाल मुकाम लक्ष्मण नगर सी, बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि राजस्व गांव खांगटा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर के आराजी खसरा नम्बर 1677, 1677/1, तथा 1677/2 किस्म गैर मुमकिन बारानी पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में स्थानीय प्रशासन को कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बरान् 1677/1 तथा 1677/2 से अतिक्रमण हटा दिया गया है। इसके समर्थन में अतिक्रमण हटाने की मौका फर्द भी पेश की गई। मौका फर्द के अनुसार अतिक्रमण जे.सी.बी. द्वारा हटाया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(96)लोआस / 2022

परिवादी श्री हरसन देवासी पुत्र श्री हेमाजी देवासी, निवासी मुकाम पोस्ट पूरण, तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालौर का अभिकथन था कि पटवार हल्का पूरण गांव के

खसरा नम्बर 1126 सरकारी गौचर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और इस संबंध में शिकायत के बावजूद जिला कलक्टर, जालौर व तहसीलदार, जसवन्तपुरा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जालौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमियों के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नायब तहसीलदार, जसवन्तपुरा ने बे–दखली के आदेश जारी किये और उक्त आदेश की पालना में राजस्व टीम का गठन कर पुलिस इमदाद से अतिक्रमण हटवाया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(218)लोआस / 2022

परिवादी श्री देवी सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी ग्राम भालु जवाहरपुरा, भालु राजवां, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर द्वारा ग्राम भालु जवाहरपुरा, तहसील सेखाला में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सार्वजनिक रास्ते पर से अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पटवार मण्डल भालु राजवां के राजस्व ग्राम भालु जवाहरपुरा के खसरा नम्बर 97/1 व 96/1 में दर्ज सार्वजनिक रास्ता तहसीलदार, सेखाला द्वारा खानुसिंह की ढ़ाणियां को जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाकर खुलवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(262)लोआस / 2019

परिवादी श्री चेलाराम पुत्र श्री मलाराम, निवासी कालाऊना, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम कालाऊना, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

के खसरा नम्बर 421 रकबा 10 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर गांव के कुछ प्रभावी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 421 किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर किये गये सम्पूर्ण अतिक्रमण को हटाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। इसके समर्थन में फर्द मौका रिपोर्ट भी पेश की गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(316)लोआस / 2018

परिवादी श्री भंवर सिंह लोढ़ा पुत्र श्री पूरण सिंह, निवासी खेरिया विल्लौच, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि उनके खेत में जाने वाले आम रास्ते खसरा नम्बर 594 पर अतिक्रमण होने के कारण रास्ता बन्द कर दिया है तथा स्थानीय प्रशासन को शिकायत किये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन द्वारा खसरा नम्बर 594 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर से पुलिस की सहायता से ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों के आधार पर अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(308)लोआस / 2022

परिवादी श्री देवराज गुर्जर पुत्र श्री रामसहाय गुर्जर, निवासी ग्राम पोस्ट सोहेला, तहसील पीपलू, जिला टोंक का अभिकथन था कि ग्राम सोहेला के उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्र जाने वाले आम रास्ते पर पक्का रास्ता नहीं होने से केन्द्र के चारो ओर कीचड़ जमा होने से आने जाने में परेशानी हो रही है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सोहेला के उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के आम रास्ते पर बरसात के दौरान पानी भरने एवं कीचड़ की समस्या का समाधान ग्रामवासियों के सहयोग एवं सुझावों के अनुसार सोहेला डिग्गी रोड़ पर बने हुए नाले से पाइप डालकर एवं चैम्बर बनाकर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करवा दी गई है, जिससे परिवादी एवं समस्त ग्रामवासी संतुष्ट है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(622)लोआस / 2015

परिवादी श्री दिनेश चन्द्र यादव पुत्र श्री हरिसिंह यादव, निवासी वाया पोस्ट गादोज, तहसील बहरोड़, जिला अलवर का अभिकथन था कि श्रीमती ललिता यादव, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत गादोज, पंचायत समिति बहरोड़ द्वारा सरकारी राशि का गबन किये जाने पर उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती ललिता यादव,तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत गादोज, पंचायत समिति बहरोड़ के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर उन्हें भविष्य में पूर्ण सतर्कता से अपने दायित्वों का निर्वहन करने एवं ऐसी त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी दी गई। अन्य लोकसेवकगण श्री गुरदयाल सिंह, सेवानिवृत तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी, श्री राजूराम, तत्कालीन विकास अधिकारी, श्रीमती नेहा चतुर्वेदी, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति बहरोड़ एवं श्री सुनील कुमार मंगल, तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी/सहायक अधिकारी को पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिये उत्तरदायी मानते हुये उनके विरूद्ध सीसीए नियम 17 की कार्यवाही की गई और श्री उमेश चन्द यादव, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति बहरोड़ के विरूद्ध सीसीए नियम 17 का नोटिस जारी करते हुए परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(31)लोआस/2020

परिवादी श्रीमती भूली देवी पत्नी श्री रामस्वरूप, निवासी मकान नम्बर 176, शिवाजी नगर, शास्त्री नगर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उनके पड़ोसी प्लॉट संख्या 171 व 172, शास्त्री नगर, जयपुर 03 फीट की कॉमन गली पर जबरन बालकनी आरसीसी छत के जरिये निकाल रहे है तथा आम रास्ते की जमीन पर अवैध निर्माण किया है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री किशन खटीक की कब्जाशुदा भूमि पर अवैध निर्मित बालकनी व दीवार को पुलिस जाप्ता एवं नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(83)लोआस/2020

परिवादी श्री विश्वदीप सिंह, श्री दिलप्रीत उर्फ प्रभजोत पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह निवासी वार्ड नम्बर 11 पुराना व वार्ड नम्बर 16 नया, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि उनके घर के मुख्य द्वार के आगे सुरेन्द्र सिंह, हरजिन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह व अमनिन्द्र सिंह द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री विश्वदीप सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 16, सादुलशहर का अतिक्रमण मौका मजिस्ट्रेट तहसीलदार, सादुलशहर एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्वक हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(95)लोआस / 2020

परिवादी श्री अमित कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल निवासी भूड़ा गेट, कस्बा डीग, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि श्री हीरालाल से क्रयशुदा एवं रजिस्ट्रीशुदा भूमि खसरा नम्बर 228 / 360 / 0.15 का 4 / 5 का 1 / 4 हिस्सा जो कि डीग में स्थित है पर श्री मुकेश, श्री कौशल, श्री गजेन्द्र निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे है एवं उक्त भूमि को कब्जाने का प्रयास कर रहे है। इस संबंध में नगरपालिका, डीग द्वारा उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः भूखण्ड की सुरक्षा तथा उसमें निर्माण, पुलिस की सुरक्षा में करवाया जावें।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारान में आपसी विवाद का निपटारा हो चुका है तथा परिवादी श्री अमित कुमार को स्वामित्व मिल चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(176)लोआस / 2021

परिवादी श्री पंकज सोनी पुत्र श्री ईश्वरचंद सोनी, निवासी वार्ड नम्बर 3, छापर, जिला चूरू का अभिकथन था कि वार्ड नम्बर 9 के बागड़ी मार्केट, कस्बा छापर में श्री अरविन्द कुमार प्रजापत व श्री लालचंद प्रजापत द्वारा दुकान के आगे आम रास्ते पर लगभग 5 फीट तक तख्ते, रैक, अलमारियां, छज्जे इत्यादि लगाकर स्थायी अतिक्रमण किये जाने से रास्ता अवरूद्ध किया हुआ है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को मौके पर से हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(206)लोआस/2017

परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव पुत्र श्री श्यामसुन्दर वैष्णव निवासी बाबाजी की डूंगरी के पास, सांवतसर, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर का अभिकथन था कि खसरा नम्बर 439/1 में स्थित सरकारी बरसाती नाले जो कि नगर परिषद किशनगढ़ के नाम भू–राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवंटित भूखण्डों के पीछे गैर मुमकिन नाला मौके पर विद्यमान है। संबंधित सभी उद्यमियों, जिनको आवंटित भूमि पर ही भूखण्ड नियोजित कर आवंटित किये गये है, को पूर्व में नोटिस जारी कर गैर मुमकिन नाले में पड़े कचरे, मलबे आदि को निकालकर खाली करवाया गया, जिसकी सूचना अतिरिक्त सचिव, जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति, जिला अजमेर को प्रेषित कर दी गई। वर्तमान में उक्त गैर मुमकिन नाले पर रीको के उद्यमियों द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(554)लोआस/2015

परिवादी श्री कृष्ण ताम्बी पुत्र श्री दामोदर लाल ताम्बी निवासी 140 कैलाशपुरी, टोंक रोड़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि टोंक रोड़ व जेएलएन मार्ग को जोड़ने वाली अतिव्यस्त सड़क पर स्थित भूखण्ड संख्या 138 व 161, कैलाशपुरी, टोंक रोड़, जयपुर पर गैरकानूनी रूप से व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है और आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को सूचित किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर प्रश्नगत अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

विभागीय रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संबंध में न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 09/2016 जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम अशोक खण्डाका में अभियुक्त डॉ0 अशोक खण्डाका को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत 50,000/— रूपये के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(12)लोआस/2022

परिवादी श्री अभिमन्यु पनव यादव पुत्र स्व0 श्री राहुल यादव, निवासी प्लाट नम्बर 8, दैनिक भास्कर गोदाम के पास, मूंगस्का, जिला अलवर का अभिकथन था कि खसरा नम्बर 441/0.59, जिसका क्षेत्रफल 7059 वर्गगज है वाके मूंगस्का अलवर में 107 वर्गगज का मकान है, जिसका पट्टा जारी करने हेतु यू.आई.टी. अलवर को वक्त अभियान दिनांक 03.11.2021 को आवेदन किया था, जिसकी समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर दी गई थी परन्तु 7 माह व्यतीत होने के पश्चात् भी आज तक पट्टा जारी नहीं किया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को नगर विकास न्यास, अलवर कार्यालय द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(29)लोआस/2022

परिवादी श्री मंगल राम महावर पुत्र श्री उद्दाराम महावर, निवासी इन्द्रगढ़, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उसकी खातेदारी भूमि

खसरा संख्या 1038, 1096, 1097 व 1106 पटवार हल्का इन्द्रगढ़, तहसील जमवारामगढ़ पर भूमाफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण को शिकायत किये जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड सी–64 पर से अवैध निर्माण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(199)लोआस / 2016

परिवादी श्री ज्योति प्रकाश कानोड़िया पुत्र स्व0 श्री किशोरीलाल कानोड़िया, निवासी के–26, इनकम टैक्स कॉलोनी, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि इनकम टैक्स कॉलोनी की 100 फीट रोड़ पर गेट नम्बर 2 से लगी 30 फीट रोड़ जो कॉलोनीवासियों के आने जाने की मुख्य सड़क है, पर प्लॉट नम्बर के–47, एल–1 एवं एल–2 के मालिकों द्वारा 7 फीट आगे तक अवैध अतिक्रमण कर रखा है।

इस संबंध में उपायुक्त, जोन–4, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दो भूस्वामियों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा लिया गया है तथा शेष अतिक्रमियों द्वारा अधिकतम 1 फीट 6 इंच एवं इससे कम अतिक्रमण को नगण्य अतिक्रमण की श्रेणी में जयपुर विकास प्राधिकरण ने रखा है। सड़क पर आवागमन निर्बाध रूप से संचालित हो रहा है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.31(3)लोआस / 2022

परिवादी श्री रामजीलाल बैरवा पुत्र श्री मूलचन्द बैरवा, मैसर्स रामजीलाल एण्ड ब्रदर्स संस्कृत कॉलेज के सामने जलदाय विभाग के पास, जिला दौसा का अभिकथन

था कि परिवादी की फर्म के निर्माण कार्य जलयोजना सुरजपुरा, जिला दौसा एवं निर्माण कार्य जलयोजना, माण्डेरा, जिला दौसा के कार्य के समयावधि केश की स्वीकृति अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड, दौसा द्वारा अनावश्यक देरी के कारण समयावधि केश का निस्तारण होकर भुगतान नहीं हो रहा है।

इस संबंध में मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कोष कार्यालय के टी.वी. वाउचर संख्या 22094, 22095, 22096 के द्वारा फर्म के खाते में भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(119)लोआस / 2018

परिवादी श्री सोहनलाल मेघवाल पुत्र श्री सुगनाराम मेघवाल, निवासी ग्राम पोस्ट बुकनसर बड़ा, वाया भानीपुरा, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू का अभिकथन था कि गांव बुकनसर बड़ा में वार्ड नम्बर 4, मेघवालों का मौहल्ला के पास बनी हरिजन हौज पर गांव के ओमप्रकाश भाट एवं गांव के कुछ प्रभावशाली तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों द्वारा हरिजन हौज पर अतिक्रमण कर सरकारी सम्पत्ति को खुर्दबुर्द कर अपने कब्जे में कर लिया गया है। ग्राम पंचायत को बार–बार निवेदन किये जाने के पश्चात भी उक्त कब्जे को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, चूरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हरिजन हौज की नाप कर अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(154)लोआस / 2022

परिवादी श्री गजेन्द्र व्यास, संपादक सांध्य दैनिक समाचार ''राष्ट्र का वाचन'' केयर ऑफ संत कंवरराम धर्मशाला के पास केनाल रोड़, गुमानपुरा, जिला कोटा का

अभिकथन था कि बिजली के पोल को भी फेंसिंग में दबाकर हाइवे की पक्की सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया है।

इस संबंध में नगर विकास न्यास, कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(2)लोआस/2023

परिवादी श्री नानग राम स्वर्णकार पुत्र स्व0 श्री मेघराम स्वर्णकार, निवासी पूर्बियान मौहल्ला, वार्ड नम्बर 26, जिला दौसा का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(40)लोआस/2022

परिवादी श्री छोगाराम पुत्र श्री नैनाराम, निवासी ग्राम पोस्ट अनोपपुरा वाया चाणौद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह सितम्बर 2023

एफ.5(9)लोआस / 2020

परिवादी श्रीमती ग्यारसी बाई पत्नी स्व0 श्री मांगीलाल मेनारिया, निवासी गांव रम्भावाली, पोस्ट अम्बावाली, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ का अभिकथन था कि उनके पति श्री मांगीलाल मेनारिया का स्वर्गवास राउमावि वरमण्डल, जिला प्रतापगढ़ में राजकीय सेवा में रहते हुये हो जाने पर शिक्षा विभाग, प्रतापगढ़ को बार–बार सम्पर्क किये जाने पर भी पेंशन प्रारम्भ नहीं हुई है।

इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रोविजनल ग्रेच्युटी भुगतान एवं पेंशन भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.8(13)लोआस / 2020

परिवादी श्रीमती अनिता देवी पत्नी स्व0 श्री सूरजमल जाट, निवासी ग्राम रेला, तहसील कठूमर, जिला अलवर का अभिकथन था कि उनके पति का स्वर्गवास हो जाने पर मृतक आश्रित को न तो पेंशन दी गई और न ही अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है।

इस संबंध में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का पदस्थापन चतुर्थ श्रेणी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कठूमर, जिला अलवर में कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(94)लोआस/2018

परिवादी श्री रहीम खान पुत्र श्री अजीज खान, निवासी ग्राम जांवध जूनी, पोस्ट धायसर, जिला जैसलमेर का अभिकथन था कि लोकसेवक मेहरा द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 231, 232, श्री अल्लादीन व मेहरा द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 226, 227, 229, 230, नसीर खान व खाने खान द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 196, 197, भागा पत्नी सुमार खान व सुमार खान द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 245, 238, 250, 252 तथा सोयब पुत्र नसीर खान द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 213 में अवैध रूप से कृषि कनेक्शन किया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जैसलमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार, जैसलमेर व विद्युत विभाग द्वारा संयुक्त जांच व कार्यवाही की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(111)लोआस/2022

परिवादी श्री लखसिंह सोढ़ा, डायरेक्टर, शिवांगी मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड, निवासी होटल मरूगढ़, चौपासनी गांव, जैसलमेर बाईपास रोड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम दामोदरा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121/564 रकबा 41 बीघा 19 बिस्वा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन किये जाने हेतु तीन वर्ष पूर्व जिला कलक्टर, जैसलमेर के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस कार्य हेतु जब जिला कलक्टर, राजस्व लिपिक तथा संबंधित हल्का पटवारी से व्यक्तिशः मिला तो हल्का पटवारी, दामोदरा द्वारा 15 लाख रूपये की मांग की गई।

इस संबंध में संभागीय आयुक्त, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा समस्त कमियों की पूर्ति कर वांछित राशि राजकोष में जमा कराने पर जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा प्रश्नगत भूमि का पर्यटन ईकाई हेतु सम्परिवर्तन आदेश जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ12(287)लोआस / 2022

परिवादी श्री सुभाष पुत्र श्री गेराराम, निवासी दरगाह की ढ़ाणी, खवासपुरा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम खवासपुरा, पंचायत समिति पीपाड़ शहर की सरपंच श्रीमति मोनिका सतनानी द्वारा ग्राम पंचायत खवासपुरा में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के निर्माण कार्य करवाये गये है। उक्त निर्माण कार्यों में नियमानुसार निर्माण कार्य नहीं करवाये गये है। निर्माण कार्यों में अनियमितताएँ बरती गई है। मौके पर कार्य, ग्रामीण कार्य निर्देशिका अनुसार नहीं करवाया गया है। भुगतान नियमानुसार नहीं किया गया है। ग्रामीण कार्य निर्देशिका व मौके पर करवाये गये निर्माण कार्य में अन्तर है। कार्य की गुणवत्ता सही नहीं है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, खवासपुरा में दिनांक 10.10.2020 से मौजूदा सरपंच श्रीमती मोनिका सतनामी के कार्यकाल में करवाये गये कुल 22 निर्माण कार्यों में जांच उपरान्त कोई अनियमितता नहीं पाई गई। उक्त कार्यों में मूल्यांकन से अधिक भुगतान की गई राशि 1645/– रूपये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी से वसूल कर पंचायत कोष में जमा करा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(298)लोआस / 2021

परिवादी श्री भोमा राम देवासी पुत्र श्री भूण्डाराम देवासी, निवासी नोखड़ों की ढ़ाणी केरू, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि केरू के खसरा नम्बर 1070 के आबादी क्षेत्र में अपने आवास का कोई पट्टा नहीं बना है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को आबादी भूमि का पट्टा प्राप्त हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(417)लोआस/2018

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी गांव खांगटा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर हाल मुकाम लक्ष्मण नगर सी, बनाड़ रोड़, नांदड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत खांगटा, पंचायत समिति पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर के विकास अधिकारी द्वारा नरेगा योजना में सैकड़ों की संख्या में फर्जी जोब कार्ड बनाकर भुगतान उठाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री रामकुमार लामरोड़ व श्री भानाराम ग्वाला द्वारा ग्रेवल सड़कों की जांच रिपोर्ट में कार्य को सही और व्यय राशि के अनुसार मौके पर कार्य होना पाया जाने की रिपोर्ट की गई।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री बरकत अली, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से कुल राशि 8,835/– रूपये वसूल किये जा चुके है। श्री महिपाल पिचकिया, तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक से कुल राशि 19,303/– रूपये में से 18,576/– रूपये वसूल किये जा चुके है और शेष राशि 727/– रूपये की कटौती दोषी कर्मचारी से माह अक्टूबर, 2022 के वेतन से की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(296)लोआस/2015

परिवादी श्री अनिल जोशी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निवासी प्लाट नम्बर 01, आर0एच0बी0 शॉपिंग काम्प्लेक्स बल्लभबाड़ी, जिला कोटा का अभिकथन था कि आवास संख्या 7–8 जवाहरनगर खसरा नम्बर 51 ग्राम बालाकुण्ड, जवाहरनगर, कोटा के राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.10.2013 की पालना में एम्पावर्ड कमेटी का गठन कर आवास नियमितीकरण करने की प्रार्थना की गई।

इस संबंध में सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 51 जवाहरनगर ग्राम बालाकुण्ड के भूखण्ड संख्या 7 व 8 का नियमन व्यावसायिक दर पर काबिज अंतिम क्रेता के पक्ष में किये जाने का निर्णय लेते हुए अंतिम क्रेता श्री निर्मल कुमार जैन व श्री चन्द्रप्रकाश जैन निवासी ए–444, तलवंडी, कोटा के पक्ष में भूखण्ड संख्या 20, खसरा नम्बर 51 जवाहरनगर ग्राम बालाकुण्ड का कुल 674.85 वर्गमीटर का पट्टा जारी कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(499)लोआस / 2018

परिवादी श्री विमलेश वर्मा पुत्र श्री नन्दलाल वर्मा, निवासी 11 / 595, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर में मकान नम्बर 11 / 597 पर भूखण्डधारी द्वारा बिना निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये आवासीय भूखण्ड के क्षेत्रफल से भी अधिक क्षेत्र पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से हॉस्टल निर्माण किया गया।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर स्थित प्रश्नगत मकान संख्या 11 / 597 पर किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित नहीं है तथा पाये गये अवैध अतिक्रमण चबूतरी को पूर्व में नगर निगम द्वारा हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.19(19)लोआस / 2017

परिवादी श्री गोपाल झंवर पुत्र श्री सत्यनारायण झंवर, निवासी 2–आर–9, आर. सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा का अभिकथन था कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूखण्ड की एवज में जमा करवाई गई 09 लाख रूपये की राशि के रिफण्ड के संदर्भ में लोकसेवकों द्वारा कार्यवाही नहीं जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा एवं संभागीय आयुक्त, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री गोपाल झंवर, निदेशक, मैसर्स आदर्श सिन्थेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, पुर, भीलवाड़ा को 09 लाख रूपये का रिफण्ड तहसील कार्यालय के द्वारा कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(10)लोआस/2022

परिवादी श्री रमेश सिंह हाडा पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी चित्तौड़, जिला बूंदी का अभिकथन था कि आयुक्त, नगर परिषद, बूंदी के विरूद्ध इन्दिरा रसोई के संचालकों के खिलाफ जांच में अनियमितता पाये जाने पर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जन कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरण समिति के द्वारा संचालित इन्दिरा रसोई संख्या 112 पर एक लाख रूपये जुर्माना लगाकर उसे ब्लैकलिस्ट कर निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार नाग नागिन सेवा समिति द्वारा संचालित इन्दिरा रसोई संख्या 155 व 185 का अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(12)लोआस/2022

परिवादी श्री आनन्द प्रकाश पंवार पुत्र श्री फूसाराम पंवार, निवासी पली फान्टा, गांव पल्ली प्रथम, पोस्ट पल्ली वाया लोहावट, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ एवं राज्य बीमा राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ एवं राज्य बीमा राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ एवं राज्य बीमा राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह अक्टूबर 2023

एफ.3(13)लोआस / 2021

परिवादी श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा, निवासी ग्राम लहन, पोस्ट वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक का अभिकथन था कि प्रथम सूचना संख्या 60 / 21 थाना मेहन्दवास जिला टोंक में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 60 / 21 में बाद अनुसंधान अभियुक्त शोकिब उर्फ साकिन उर्फ सोनू पुत्र मोहम्मद के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 363, 366ए, 354बी, 354डी, 376, 201 भारतीय दण्ड संहिता व 5, 6, 7, 8, 11(iv), 12 पोक्सो एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर प्रकरण में चार्जशीट नम्बर 192 / 21 दिनांक 30.12.2022 किता की जाकर दिनांक 11.01.2023 को पोक्सो कोर्ट, टोंक में पेश की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(45)लोआस / 2019

परिवादी श्री कानाराम जाट पुत्र श्री हीराराम जाट, निवासी मकान नम्बर बी–149, श्रीनिवास नगर, रोड़ नम्बर 6, वी.के.आई. एरिया, जिला जयपुर का अभिकथन था कि मुकदमा संख्या 511 / 18 पुलिस थाना गांधीनगर में सही कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस उपायुक्त, जिला जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 511 / 18 पुलिस थाना गांधीनगर में बाद अनुसंधान आरोपी सन्तरा देवी व रामस्वरूप के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पाया गया। अभियुक्त सन्तरा देवी दिनांक

26.04.2022 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम जमानत पर है तथा अभियुक्त रामस्वरूप जाट मफरूर है, जिसका स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट न्यायालय एसीएमएम क्रम–2, जयपुर महानगर प्रथम से प्राप्त कर लिया गया है। अभियुक्ता सन्तरा देवी के विरूद्ध चालानी आदेश एवं अभियुक्त रामस्वरूप के विरूद्ध धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता में चालानी आदेश प्राप्त कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(235)लोआस/2022

परिवादी श्री दलवीर सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 6, कल्ला का गोला, तहसील भुसावर, भरतपुर का अभिकथन था कि प्रथम सूचना संख्या 468/22, गैंगरेप जैसे मामले में पुलिस थाना, भुसावर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 468/22 पुलिस थाना भुसावर में आरोपी बाल नरेन्द्र सैनी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376 व 506 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट नम्बर 414 दिनांक 31.12.2022 कता कर दिनांक 25.01.2023 को चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है तथा आरोपीगण द्वारा उसके विरूद्ध दर्ज कराये गये प्रकरण में एफआर नम्बर 311 दिनांक 16.12.2022 किता की जा चुकी है, न्यायालय में पेश करना शेष है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ10(8)लोआस/2021

परिवादी श्री भागीरथ यादव पुत्र श्री शुभराम यादव, निवासी कारोड़ा तहसील बहरोड़, जिला अलवर का अभिकथन था कि कारोड़ा तहसील बहरोड़ के निवासी लीलाराम पुत्र रामचन्द्र व गीलूराम पुत्र रामचन्द्र द्वारा विद्युत विभाग के कार्मिकों से

साठगांठ करते हुए ग्राम कारोड़ा में खसरा नम्बर 33 में लगी 11 हजार केवी विद्युत लाइन व ट्रांसफार्मरों को अवैध रूप से करीब 200 मीटर लाइन खींच कर अवैध कनेक्शन किया गया है।

इस संबंध में जिला डिस्कॉम, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लीलाराम द्वारा अपने कनेक्शन की अवैध शिफ्टिंग की गई है। उक्त अवैध शिफ्टंग के निगम नियमानुसार जुर्माना राशि जमा करवाने हेतु नोटिस जारी करने एवं वसूली करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(23)लोआस/2023

परिवादी श्री जीवा पुत्र श्री लखमाजी, निवासी मुकाम पोस्ट पूरण, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर का अभिकथन था कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा द्वारा दिनांक 28.07.2022 को पत्थरगढी का आदेश होने के उपरांत भी आदेश की पालना हेतु तहसीलदार, जसवंतपुरा एवं उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा को बार–बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी आदेश की पालना नहीं की गई है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जालोर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त रानीवाड़ा को निर्देशित कर पुलिस जाप्ता के साथ तहसीलदार, जसवंतपुरा की राजस्व टीम को मौके पर पत्थरगढ़ी की पालना किये जाने हेतु निर्देशित करने पर दिनांक 06.06.2023 को सीमांकन/पत्थरगढ़ी हेतु टीम पुलिस जाप्ता के साथ गई। मौके पर परिवादी जीवाराम व उसके रिश्तेदारों के साथ रहकर निशानात करवाये तथा पत्थर मौके पर लगवाये गये।

यह भी कहा गया कि खसरा नम्बर 1136, 1137 व 1138 के कोने पर गड़ढ़ा खुदवाकर निशानात मौके पर करावाये गये। सीमांकन कार्य कमेटी द्वारा पूर्ण कर पत्थरगढ़ी के निशानात मौके पर करवा दिये गये। मौके पर सीमांकन फर्द कायम कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(144)लोआस/2022

परिवादी श्री श्रीनारायण शर्मा पुत्र श्री नाथूराम शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट सबड़ावली, तहसील बसवा, जिला दौसा का अभिकथन था कि ग्राम सबड़ावली में सरकारी भूमि गैरमुमकिन तलाई व गैरमुमकिन रास्ता पर पड़ोसी कृषकों द्वारा किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध तहसीलदार, बसवा द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके से अतिक्रमण हटवाया जाकर रास्ता चालू करवाया गया तथा मौके पर पड़ोसी खातेदार भी उपस्थित रहे है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(173)लोआस/2022

परिवादी श्री अब्दुल रज्जाक पुत्र श्री उमर खाँ, निवासी सिन्धी नगर कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उनका रजिस्टर्ड बेचाननामा होने के बावजूद लोकसेवक भू–निरीक्षक ढ़लाराम व कमलेश द्वारा म्यूटेशन नहीं भरा गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी ने ग्राम सिन्धी नगर के खसरा नम्बर 351/4 रकबा 0.3642 हैक्टर यानि दो बीघा पांच बिस्वा भूमि सुबान खाँ पुत्र नूर खां जाति सिन्धी से खरीदी थी जिसका पंजीयन दिनांक 17.05.2022 को तहसील बिलाड़ा में हुआ था। परिवादी द्वारा खरीदी गई भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 04.08.2022 को ऑनलाइन भरा गया था तथा निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.08.2022 को जाँच की गई। ग्राम पंचायत कापरड़ा के प्रस्ताव संख्या–3 दिनांक 05.09.2022 से उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत कर दिया गया। परिवादी द्वारा खरीदी गई भूमि वर्तमान जमाबन्दी चौसाला 2075 से 2078 के

खाता संख्या 419 में परिवादी के नाम दर्ज है। इसके समर्थन में नामान्तरकरण की सत्यापित प्रतिलिपि भी उपलब्ध करवाई गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(274)लोआस / 2015

परिवादी श्री नवल सिंह चौधरी, अध्यक्ष, नन्दाजी की बाड़ी विकास समिति, खेड़ली फाटक, जिला कोटा का अभिकथन था कि नन्दाजी की बाड़ी, वार्ड नम्बर 14 स्थित आम रास्ते को सेना द्वारा सड़क निर्माण के दौरान दिनांक 17.07.2023 को रोक दिया गया।

इस संबंध में जिला कलक्टर, कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा वर्णित रास्ता ग्राम खेड़ली पुरोहित के खसरा नम्बर 61 में स्थित है तथा जिस मार्ग के निर्माण के लिये निवेदन किया गया है, वह ग्राम खेड़ली पुरोहित के खसरा नम्बर 75 में स्थित है। खसरा नम्बर 61 राजस्व रिकार्ड में नगर विकास न्यास, कोटा के नाम तथा खसरा नम्बर 75 सेना विभाग के नाम दर्ज है। सेना विभाग द्वारा खसरा नम्बर 75, जो कि उनके खाते में दर्ज है, पर से नगर विकास न्यास द्वारा कराये जा रहे रोड़ निर्माण कार्य को बन्द करवा दिया गया था। ग्राम खेड़ली पुरोहित में कुल 25.02 है0 भूमि सेना विभाग के नाम खाते में दर्ज है तथा मौके पर सेना 19.06 है0 भूमि पर ही काबिज है। सेना की 5.76 है0 भूमि अतिक्रमित है। प्रकरण के समाधान हेतु जिला कलक्टर एवं सेना विभाग के मध्य हुई चर्चा के उपरांत खसरा नम्बर 75 को नगर विकास न्यास, कोटा को स्थानान्तरित करने एवं उसके बदले सेना विभाग को अन्य भूमि आवंटन करने पर सहमति बनी। नगर विकास न्यास, कोटा के प्रस्ताव अनुसार सेना विभाग, कोटा की भूमि पर बसी हुई आबादी भूमि के बदले भूमि आवंटन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही सेना विभाग को आवंटित भूमि को नगर विकास न्यास, कोटा को वापिस किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को पत्र लिखा जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(319)लोआस / 2021

परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी ग्राम चाट सरदारपुरा, पोस्ट राजगढ़, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर का अभिकथन था कि ग्राम सरदारपुरा निवासी शेर सिंह, नारायण, माना, प्रेमसिंह एवं उनके परिवारजनों ने मिलकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चारागाह भूमि खसरा नम्बर 864 व 865 पर अतिक्रमण कर लिया है तथा दुकानों का निर्माण कर रहे है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवाकर चारागाह भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत राजगढ़ को सम्भला दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(43)लोआस / 2022

परिवादी श्री भंवर सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 7, ग्राम जोधपुर राजपूत मोहल्ला, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत, जोधासर की सरपंच श्रीमती निरंजन कंवर, जिनके पति श्री भंवर सिंह, प्रथम ग्रेड अध्यापक लोकसेवक है, द्वारा सरपंच (पत्नी) की ओर से नाजायज कार्य कर व सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर अपने पद का दुरूपयोग किया गया है तथा लोक सेवक होते हुए भी ग्राम पंचायत, जोधासर की जनता से रूपयों की माला पहनने, ग्राम सभा की होने वाली मीटिंग नहीं होने देने एवं वार्ड पंचों से फर्जी हस्ताक्षर करवाकर मीटिंग दर्शाने तथा सरपंच महोदया द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर एवं शिक्षा विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सरपंच पति श्री भंवर सिंह तंवर को दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से

दण्डित किया जा चुका है एवं दोषी कार्मिक श्री सीताराम जाखड़, ग्राम विकास अधिकारी को शास्ति स्वरूप एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ12(78)लोआस/2022

परिवादी श्री बाबुराम सुथार पुत्र श्री गिरधारीराम सुथार, निवासी कुड़ा, पोस्ट पाचला, तहसील सांचौर, जिला जालौर का अभिकथन था कि ग्राम विकास अधिकारी श्री आसूराम ढ़ाका द्वारा ग्राम पंचायत कुड़ा में नरेगा कार्यों में गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल में एडमिट होने पर भी फर्जी उपस्थिति लगाकर भ्रष्टाचार करने, बाहरी राज्यों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के नाम से फर्जी उपस्थिति लगाने, अयोग्य लोगो के नाम से पेंशन जारी करने तथा रोजगार से वंचित लोगो को रोजगार नहीं दिये गये। साथ ही नरेगा कार्यों में ग्रेवल सड़क निर्माण, तालाब खुदाई आदि कार्यों में कार्य श्रमिकों से नहीं करवाकर ट्रेक्टर से कार्य करने एवं भूमाफियाओं द्वारा फर्जी भुगतान उठाये जा रहे हैं।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मेट श्रीमती पारू देवी से राशि 420/— एवं श्रमिक श्री मेहराराम से 540/— रूपये की वसूली कर राजकोष में जमा करायी जा चुकी है। ग्राम विकास अधिकारी के पास दो ग्राम पंचायत का चार्ज होने पर भविष्य में इस प्रकार की कार्य के प्रति कोई गलती दुबारा नहीं किये जाने की चेतावनी देते हुए कार्यवाही निष्पादित कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ12(780)लोआस/2016

परिवादी श्री शीशराम सहारण पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी जवाहरपुरा, पोस्ट टमकोर, तहसील अलसीसर, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत, जाबासर,

पंचायत समिति अलसीसर के पूर्व ग्राम सेवक जगराम देव द्वारा पूर्व सरपंच शारदा देवी के साथ मिलकर पंचायत के खाते से गबन एवं भ्रष्टाचार किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत जाबासर एवं तत्कालीन ग्राम सेवक द्वारा वित्तीय अनियमितता कर ग्राम को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई और उन्हें चिन्हिकरण कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

पूर्व सरपंच शारदा देवी से राशि 3,48,634/– में से 3,15,000/– रूपये वसूले जा चुके है तथा शेष राशि 33,634/– रूपये ग्राम पंचायत जाबासर, पंचायत समिति, अलसीसर की पुस्तक सुख्या 251, रसीद संख्या 45 दिनांक 14.02.2023 द्वारा राजहक में वसूल कर ली गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(632)लोआस/2014

परिवादी श्री बरकत खान पुत्र श्री उस्मान खान, निवासी तेलियों का नला चौबे पाड़ा, वार्ड 32, हिण्डौन सिटी, जिला करौली का अभिकथन था कि जन सहभागिता में कब्रिस्तान मुस्लिम तेली समाज हिण्डौन खरैटा रोड़, वाटर वर्क्स के पीछे वार्ड नम्बर 38 की बाउण्ड्रीवाल निर्माण के लिए नगर परिषद, हिण्डौन में जन सहभागिता की 10 प्रतिशत राशि 113343/– रूपये दिनांक 26.08.2013 को रसीद नम्बर 5159 द्वारा जमा करा दी गई। 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर कब्रिस्तान की सुरक्षा दीवार बनानी थी, किन्तु उक्त कार्य नहीं किया गया।

इस संबंध में नगर परिषद, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में 90 प्रतिशत राशि 1420573/–

रूपये की राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की गई तथा निर्माण कार्य भी पूर्ण करवा दिया गया है। बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(810)लोआस/2015

परिवादी श्री विकास बंसल पुत्र श्री सीताराम बंसल, निवासी अग्रवाल बैकरी बस स्टेण्ड, देवली, जिला टोंक का अभिकथन था कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में स्टेट ग्राण्ट एक्ट के अन्तर्गत, नगरपालिका, देवली द्वारा एक आवेदक को एक से अधिक पट्टे जारी कर राजकोष को हानि पहुँचायी जा रही है।

इस संबंध में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगरपालिका मण्डल, देवली के आदेश के अनुसार कुल 17 पट्टों को निरस्त कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(64)लोआस/2022

परिवादी श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा, निवासी ग्राम बोरीफ, पोस्ट जीनापुर, जिला सवाई माधोपुर का अभिकथन था कि नगर सुधार न्यास की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 341, 342, 351, 352, 353, 354, 370, 371, 369, 361, 360, 374 व 373 पर भूमाफियाओं द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में सचिव, नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 341, 342 की भूमि न्यास के नाम खातेदारी दर्ज होना कथन करते हुए इसकी पूर्वी सीमा पर ग्राम के कुछ लोगों द्वारा सीमेन्ट के चीरे गाड़ कर किये गये अतिक्रमण के संबंध में शिकायतकर्ता श्री राधेश्याम व अन्य की शिकायत पर समझाईश कर दोनों पक्षों व रास्ते को पूर्ण खुला रखने तथा

किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबन्द करने पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति प्रदान किया जाना बताया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(155)लोआस/2021

परिवादी श्री प्रकाशचन्द मीणा पुत्र श्री भंवरलाल मीणा, निवासी अमरपुरा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम अमरपुरा स्थित अपने पुश्तैनी मकान, जिसके उत्तर दिशा में 30 फीट का प्रचलित रास्ता है, पर पड़ौसी अतिक्रमियों के द्वारा गली में परिवादी के मकान में जाने वाले रास्ते के सामने एक चबूतरा व लकड़ियाँ डालकर रास्ता अवरूद्ध कर देने से गली मात्र 04 फीट की ही रह गई है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर अतिक्रमी श्री सोराज पुत्र श्री हजारी मीणा ने आबादी भूमि पर कांटों की बाड़, सूखी लकड़ियों व पत्थरों से अतिक्रमण कर रखा था, जिसे जेसीबी मशीन की सहायता से हटा दिया गया है तथा उसे पाबन्द किया गया है कि वह भविष्य में अतिक्रमण नहीं करें।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.42(6)लोआस/2019

परिवादी श्री कैलाश चंद शर्मा पुत्र स्व0 श्री प्रेम नारायण शर्मा, निवासी मालाखेड़ा गेट के पास, राजगढ़, जिला अलवर का अभिकथन था कि उनके पिता पूर्व पुजारी मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज मालाखेड़ा गेट के पास, तहसील राजगढ़, जिला अलवर का स्वर्गवास दिनांक 19.04.2017 को हो जाने के कारण उसके द्वारा उक्त मन्दिर का दाखिल खारिज का आवेदन निरीक्षक, देवस्थान को पेश किये जाने पर

उनके द्वारा दिनांक 14.02.2019 को सहायक आयुक्त (द्वितीय), जयपुर को प्रेषित किये जाने के 02 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा के नाम से दाखिल खारिज कर सहायता अनुदान जारी करने का आदेश दिनांक 20.07.2023 को जारी कर दिया गया है। मूल परिवाद पुजारी के दाखिल खारिज से संबंधित था। परिवादी के नाम सहायता अनुदान स्वीकृति की अनुशंषा जारी कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(44)लोआस / 2022

परिवादी श्री प्रसन्न लाल शर्मा पति स्व0 श्रीमती प्रेमलता शर्मा, निवासी बोड़ों की घाटी, फतेहपोल, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ एवं राज्य बीमा राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ एवं राज्य बीमा राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ एवं राज्य बीमा राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(46)लोआस / 2022

परिवादी श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, निवासी प्लाट नम्बर 27, विजय नगर, पांचबत्ती चौराहा, पुराना फुलेरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(55)लोआस/2022

परिवादी श्रीमती किरण कंवर पत्नी स्व0 श्री भोम सिंह, निवासी जैन मंदिर के पास, गायत्री मंदिर रोड़, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(56)लोआस/2022

परिवादी श्री गणेश राम चौधरी पुत्र श्री जोगाराम चौधरी, निवासी मुकाम पोस्ट सालवां कलां, वाया बनाड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ एवं राज्य बीमा राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ एवं राज्य बीमा राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ एवं राज्य बीमा राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(59)लोआस / 2022

परिवादी श्रीमती पोनी देवी पत्नी श्री सकाराम, निवासी रामदेव कॉलोनी, मालियों का बास, जिला जालौर का अभिकथन था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.01.2022 की पालना में पेंशन संशोधन कर अधिकृतियाँ जारी नहीं की जा रही है।

इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में संशोधित प्री–88 की अधिकृति आरपीपीओ संख्या 5122249 दिनांक 16.07.2023 जारी कर दी गई तथा प्री–2016 की अधिकृति आरपीपीओ संख्या 5122269 दिनांक 16.07.2023 को जारी कर भुगतान हेतु कोषालय, जालौर को प्रेषित कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह नवम्बर 2023

एफ.8(37)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती अनीता जाटव पत्नी श्री रामसिंघ जाटव, निवासी दानालपुर (शांतिनगर), तहसील हिण्डोन सिटी, जिला करौली का अभिकथन था कि सरकारी अस्पताल, महावीरजी में दिनांक 09.02.2017 को नसबन्दी ऑपरेशन करवाने के पश्चात् ऑपरेशन असफल होने पर दिनांक 11.08.2019 को एक पुत्री का जन्म हुआ। अतः उसके पालन–पोषण, शिक्षा, विवाह हेतु सहायता राशि दिलवायी जावे।

इस संबंध में निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को फ्लैक्सीपल मद

से बिल नम्बर 439 दिनांक 10.07.2022 द्वारा चैक संख्या 005133 दिनांक 19.10.2022 से भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(5)लोआस/2023

परिवादी श्री मीठालाल मीणा पुत्र श्री श्रवण लाल मीणा, निवासी ग्राम बाढ़, पृथ्वीसिंहपुरा, पोस्ट शिवसिंहपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा का अभिकथन था कि अधिशाषी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व लाइनमैन, जेवीवीएनएल, लालसोट, दौसा के विरूद्ध डिमाण्ड राशि कम करवाई जावें।

इस संबंध में अधिशाषी अभियंता (ग्रिवेन्स), जेवीवीएनएल, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का विद्युत कनेक्शन कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(160)लोआस/2020

परिवादी श्री चांदबाबू पुत्र श्री सोबरन, निवासी ग्राम इब्राहिमपुर, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि उनके गांव का कब्रिस्तान खसरा नम्बर 516, 517 व 534 की भूमि में है। गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उक्त कब्रिस्तान पर अतिक्रमण कर लिया गया है। कब्रिस्तान की पैमाईश करने हेतु उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को कई बार निवेदन करने के पश्चात भी सीमाज्ञान नहीं करवाया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम इब्राहिमपुर के खसरा नम्बर 516, 517 व 534 से नवीन खसरा नम्बर 651, 652 व 803 बने है। इन खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान पटवारी द्वारा

परिवादी चांदबाबू व उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष किया गया। मौके पर परिवादी को कब्रिस्तान के खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान कर सीमा चिन्हों से अवगत करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(260)लोआस / 2015

परिवादी श्री बुद्धि प्रकाश मीणा पुत्र श्री राधेश्याम मीणा, निवासी ग्राम व पोस्ट लुहावद, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा का अभिकथन था कि उसकी भूमि खसरा नम्बर 906 तथा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 905 / 1312 के मध्य स्थित पानी के धोरे की टेल अतिक्रमी बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण मीणा द्वारा समाप्त कर दिया गया। अप्रार्थी ने उसकी भूमि खसरा नम्बर 906 में नींव भर दी है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम लुहावदा के आराजी खसरा नम्बर 905 / 1312 रकबा 0.08 है0 भूमि किस्म गैर मुमकिन देवस्थान पर अतिक्रमी बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति बैरवा, छोटीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति बैरवा, महावीर पुत्र गंगाराम जाति बैरवा द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर आवासीय मकान बनाये हुए थे। उक्त अतिक्रमियों के मकानों को तुड़वाकर भूमि का खुलासा करवाया गया तथा माननीय सिविल न्यायालय, इटावा से स्थगन होने के कारण बाबूलाल मीणा पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा का मकान नहीं हटाया गया है, जिसकी आगामी दिनांक 16.08.2023 नियत है तथा बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति बैरवा का पीछे की तरफ पक्का मकान राजकीय भूमि पर राजकीय राशि से बना होने के कारण कब्जा राज लिया गया है। उक्त आवास श्रीमति संतरा देवी पत्नी बाबूलाल द्वारा झूठा शपथ–पत्र दिया जाकर बनाया गया है। इस संबंध में विकास अधिकारी, इटावा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण में बाबूलाल मीणा पुत्र लक्ष्मीनारायण मीणा जाति मीणा के मकान पर न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण कार्यवाही नहीं हुई है तथा सरकारी राशि से बनाये गये मकान को भी कब्जा राज लिया गया है तथा न्यायहित में अतिक्रमण हटाये गये है।

अतः इस सचिवालय की पहल पर राजकीय देवस्थान की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(273)लोआस/2022

परिवादी श्री सीताराम पुत्र श्री रामसिंह, निवासी ग्राम सिरोद रूदावल, तहसील रूपबास, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 888 वाके ग्राम सिरोद रेल्वे गेट नम्बर 19 से विद्युत विभाग कार्यालय तक हो रहे अतिक्रमण को हटाने हेतु तहसीलदार, रूपबास एवं नायब तहसीलदार रूदावल द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 888 रकबा 0.15 है0 गैरमुमकिन रास्ता वाके ग्राम सिरोद पर पांच अतिक्रमण चिह्नित कर उनके विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट न्यायालय नायब तहसीलदार, रूदावल में दर्ज करवायी गई। नायब तहसीलदार, रूदावल द्वारा उक्त प्रकरणों में अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर शास्ति आरोपित की गई तथा राजस्व टीम द्वारा दिनांक 07.06.2023 को पुलिस की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर मौके से अवैध अतिक्रमण को हटवाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(398)लोआस/2022

परिवादी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री लखनराम, निवासी वार्ड नम्बर 08, तहसील तारानगर, जिला चुरू का अभिकथन था कि परिवादी ने तारानगर से बालिया जाने वाले कटानी रास्ते, जिसका खसरा नम्बर 412, 835/410, जो कि प्रार्थी के खेत खसरा

नम्बर 1622/413 पर आवागमन हेतु उपयोग में लिया जाता है, पर अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर संकरा कर दिया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, चुरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, तारानगर द्वारा रोही कस्बा तारानगर में तारानगर से बालिया जाने वाली कटाणी रास्ते को खुलवाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का की टीम का गठन कर मौके पर सीमांकन कर अवरूद्ध रास्ते को कटानी रास्ते के अनुसार मौके पर खुलवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(12)लोआस/2020

परिवादी श्री जयंतीभाई एम कुम्भानी पुत्र श्री मोहनभाई कुम्भानी, निवासी 508, इस्कॉन ई0, एस0जी0 हाईवे, वेजलपुर, अहमदाबार, गुजरात का अभिकथन था कि राजफैड से अनुमोदित जैविक मैन्यूर खाद्य के क्रयादेश पर डूंगरपुर क्रय–विक्रय सहकारी समिति को दिनांक 31.01.2018 को खाद्य की आपूर्ति कर दी गई थी किन्तु दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी राजफैड द्वारा बकाया राशि 18,48,041/– रूपये का भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता एवं प्रशासन, राजफैड, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजफैड द्वारा मेसर्स सीको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह दिसम्बर 2023

एफ 5(3)लोआस/2021

परिवादी श्री जब्बर सिंह पुत्र श्री नरवीर सिंह सिसोदिया, निवासी प्लॉट नम्बर 30, करणी वाटिका, सिरसी, जिला जयपुर का अभिकथन था कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगर फोर्ट, जिला टोंक में नियम विपरीत कार्य एवं भ्रष्टाचार की

जांच के बाद भी अधिकारियों के द्वारा प्रकरण को दबाकर दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेश कुमार जैफ, कनिष्ठ सहायक की दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जोने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 10(39)लोआस/2021

परिवादी श्री देबू सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह, निवासी ग्राम कौथल, ग्राम पंचायत बुटेरी, तहसील बानसूर, जिला अलवर का अभिकथन था कि विद्युत विभाग के द्वारा चोरी का गलत आरोप लगाकर परिवादी की अनुपस्थिति में वीसीआर भर उसका घरेलू बिजली कनेक्शन विच्छेद कर दिया है एवं सहायक अभियंता (सतर्कता), बानसूर, अलवर के द्वारा नाजायज राशि का भुगतान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

इस संबंध में अधीक्षण अभियंता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की वीसीआर मानवीय भूल तथा मौके पर उपभोक्ताओं के द्वारा सही जानकारी नहीं दिये जाने एवं उस समय उपभोक्ताओं द्वारा किये गये झगड़े की वजह से सही जानकारी एकत्रित नहीं किये जाने के कारण भरी गई थी। उपभोक्ता का प्रकरण समझौता समिति में दिनांक 14.03.2023 को समिति के समक्ष व्यक्तिशः सुनकर निस्तारित कर दिया गया एवं उपभोक्ता की जुर्माना राशि शत–प्रतिशत माफ कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(94)लोआस/2023

परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार महावर पुत्र श्री कन्हैया लाल महावर, निवासी ग्राम गोरखपुर ढ़िगावड़ा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर का अभिकथन था कि ग्राम गोरखपुर में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 148 व 152 गैर मुमकिन

रास्ते पर अप्रार्थीगण द्वारा पत्थर एवं पट्टी डालकर अवैध अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्ध किया हुआ है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार, राजगढ़ द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(294)लोआस/2022

परिवादी श्री दीपचंद बैरवा पुत्र स्व0 श्री गेन्दाराम बैरवा, निवासी बामनवास पट्टीकला, जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी ई–328, शकूरपुर, जे जे कॉलोनी, नई दिल्ली का अभिकथन था कि उसकी खातेदारी भूमि पर कतिपय लोग जो कि राजकीय कर्मचारी व आपराधिक प्रकृति के है द्वारा जबरन कब्जा कर काश्त किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण के संबंध में तहसीलदार, बामनवास ने राजस्व टीम का गठन कर परिवादी को प्रश्नगत भूमि का कब्जा सम्भला दिया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(177)लोआस/2021

परिवादी श्री राम यादव पुत्र श्री रघुवीर दयाल यादव, निवासी 119, लव कुश कॉलोनी, प्रथम करतारपुरा, टोंक फाटक, जिला जयपुर का अभिकथन था कि प्लॉट नम्बर 124, लव कुश कॉलोनी, प्रथम करतारपुरा, टोंक फाटक, जयपुर के मालिक मूलचंद यादव द्वारा निगम की अनुमति के बगैर बालकोनी बनाकर उस पर निर्माण किये जाने के संबंध में शिकायत किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्मित भवन के प्रथम तल की छत पर बनी अवैध और असुरक्षित दीवार को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(202)लोआस/2022

परिवादी श्री अशोक कुमार वशिष्ठ पुत्र श्री घनश्याम वशिष्ठ, निवासी नवीन अनाज मण्डी मण्डावर रोड़ महवा, जिला दौसा का अभिकथन था कि नगरपालिका, महवा के समक्ष प्रशासन शहरों के संग अभियान में माह फरवरी, 2021 में अपनी तीन सम्पत्तियों के पट्टे चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद नगरपालिका द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा वांछित तीनों पत्रावली के पट्टे नगरपालिका द्वारा जारी कर दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 16(382)लोआस/2018

परिवादी श्री योगेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व0 श्री इन्द्रविक्रम मिश्रा, निवासी मकान नम्बर 1468, गोविन्द धाम मन्दिर के पास, सुभाष कॉलोनी, किशोरपुरा, जिला कोटा का अभिकथन था कि किशोरपुरा कोटा गोविन्दधाम मन्दिर के पास चम्बल नदी पर बने सरकारी घाटों पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में सक्षम स्तर पर शिकायत किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम, कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत (किशोरपुरा कोटा गोविन्दधाम मन्दिर के पास चम्बल नदी पर बने सरकारी घाटों पर हो रहे अतिक्रमण) का निवारण हो चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(17)लोआस/2020

परिवादी श्री रामवतार शर्मा पुत्र श्री देवी सहाय शर्मा, निवासी मुकाम पोस्ट कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर का अभिकथन था कि कानोता में खसरा नम्बर 193 रकबा 0.5943 भूमि किस्म गैर नाला एवं बारानी–2 पर से हरे पेड़ों को काटने की शिकायत सचिव एवं मुख्य प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किये जाने पर भी उनके द्वारा आधी–अधूरी कार्यवाही की गई तथा अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

इस संबंध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को पूर्णतया ध्वस्त कर हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(68)लोआस/2022

परिवादी श्री राजकुमार कौशिक पुत्र श्री किशनलाल कौशिक, निवासी प्लाट नम्बर 81, फ्लेट नम्बर एस 1, गजपति एनक्लेव, 21 साउथ कॉलोनी, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि निवारू रोड़, झोटवाड़ा पर दुकानदारों

द्वारा अवैध दुकान बनाकर रोड़ पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों को शिकायत किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत स्थल पर कोई स्थाई अतिक्रमण नहीं है तथा अस्थाई अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। दुकानों के सामने दोनों तरफ सरकार/नगर निगम द्वारा नई इन्टरलॉक टाइल्स द्वारा फुटपाथ का कार्य किया जा रहा है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 17(77)लोआस/2019

परिवादी श्री हीरालाल टांक पुत्र श्री हंसाराम टांक, निवासी बेरा निम्बड़िया, जैतारणिया दरवाजा के बाहर, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला पाली का अभिकथन था कि नगरपालिका, सोजत सिटी के द्वारा आबादी क्षेत्र पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, सोजत के सामने किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में मौके पर पाये गये अतिक्रमण यथा लोहे का गेट व अतिक्रमण संबंधित चबुतरियों को पालिका के द्वारा हटाया जाकर लोहे के गेट व पत्थर पट्टी को पालिका कार्यालय में जमा कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(28)लोआस / 2023

परिवादी श्री सौरभ माथुर पुत्र श्री गौरी शंकर माथुर, निवासी 117/16, अग्रवाल फार्म, थड़ी मार्केट, मानसरोवर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि कोष कार्यालय, जयपुर के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कई चक्कर कटवाने के उपरान्त भी वांछित कार्यवाही कर अनापत्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में परिवादी अपनी दादीजी के बैंक खाते में स्वर्गवास से पूर्व की जमा राशि संबंधित बैंक से प्राप्त नहीं कर पा रहा है।

इस संबंध में कोषाधिकारी, पेंशन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कोष कार्यालय, जयपुर द्वारा उसकी दादीजी श्रीमती सज्जन कंवर के पीपीओ नम्बर 10651 के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 35(131)लोआस / 2022

परिवादी श्री हनुमान सहाय शर्मा पुत्र श्री बुद्धा लाल शर्मा, निवासी गोला का बास, तहसील राजगढ़, जिला अलवर का अभिकथन था कि ग्राम गोला का बास की सार्वजनिक/सरकारी भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 03 हैक्टेयर में एक गैरमुमकिन धर्मशाला काफी वर्षों से निर्मित है जो तीर्थस्थल पर आने वाले यात्रियों के ठहरने के काम आती है, पर बृजमोहन, गिर्राज, रामराय व मुकेश आदि द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारियों को शिकायत किये जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार, टहला मय राजस्व टीम एवं परिवादी श्री हनुमान सहाय शर्मा की उपस्थिति में आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 0.03 हैक्टेयर गैरमुमकिन धर्मशाला पर हो रहे समस्त प्रकार के अतिक्रमण को हटाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

विविध

- लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि
- सचिव की पदस्थापन अवधि
- लोकायुक्त सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा
- परिवादीगणों द्वारा प्रेषित आभार पत्र

विविध

लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि

लोकायुक्त			
क्र स	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.08.1973	27.08.1978
2.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.08.1978	05.08.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश,	06.08.1979	07.08.1982
4.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	04.04.1984	03.01.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	04.01.1985	03.01.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.01.1990	06.03.1990

7.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.08.1990	30.09.1993
8.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.01.1994	16.02.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.07.1994	06.07.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	01.05.2007	30.04.2012
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सज्जन सिंह कोठारी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	25.03.2013	07-03-2019
13.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	09.03.2021	निरन्तर

' कार्यवाहक लोकायुक्त

उप–लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	05.06.1973	25.06.1974

सचिव की पदस्थापन अवधि

क्रम	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	श्री के.वी. शंकरन, IAS	20.09.1973	04.01.1974
2.	श्री एच.एस. रावत, IAS	21.01.1974	01.08.1977
3.	श्री टी.आर. अग्रवाल, IAS	04.12.1978	06.01.1981
4.	श्री एस.एन. मोदी, IAS	23.08.1983	31.03.1984
5.	श्री परमेश चन्द्र, IAS	31.03.1984	04.051984
6.	श्री ए.के. सिंह, RHJS	04.05.1984	24.11.1990
7.	श्री एस.एन. शाह, RHJS	24.11.1990	01.02.1992
8.	श्री हरबन्स लाल, RHJS	01.02.1992	06.05.1996
9.	श्री मनफूल राम, RHJS	06.05.1996	08.08.1999
10.	श्री प्रेमप्रताप सिंह, RHJS	06.01.2000	31.03.2002
11.	श्री भंवरु खां, RHJS	22.07.2002	06.01.2004
12.	डॉ. पदम कुमार जैन, RHJS	07.01.2004	12.01.2006
13.	श्री प्रकाश गुप्ता, RHJS	14.11.2007	22.12.2010
14.	श्री आर.के. बंसल, RHJS	19.01.2011	06.08.2012
15.	श्री पवन एन. चन्द्र, RHJS	18.04.2013	22.04.2014
16.	श्री प्रकाश चन्द जैन, RHJS(R)	14.05.2015	28.03.2017
17.	श्री उमाशंकर शर्मा, RJS (DJ)	31.03.2017	15.10.2019
18.	श्री गौरी शंकर शर्मा, RJS (DJ)	01.04.2021	निरन्तर

लोकायुक्त सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा

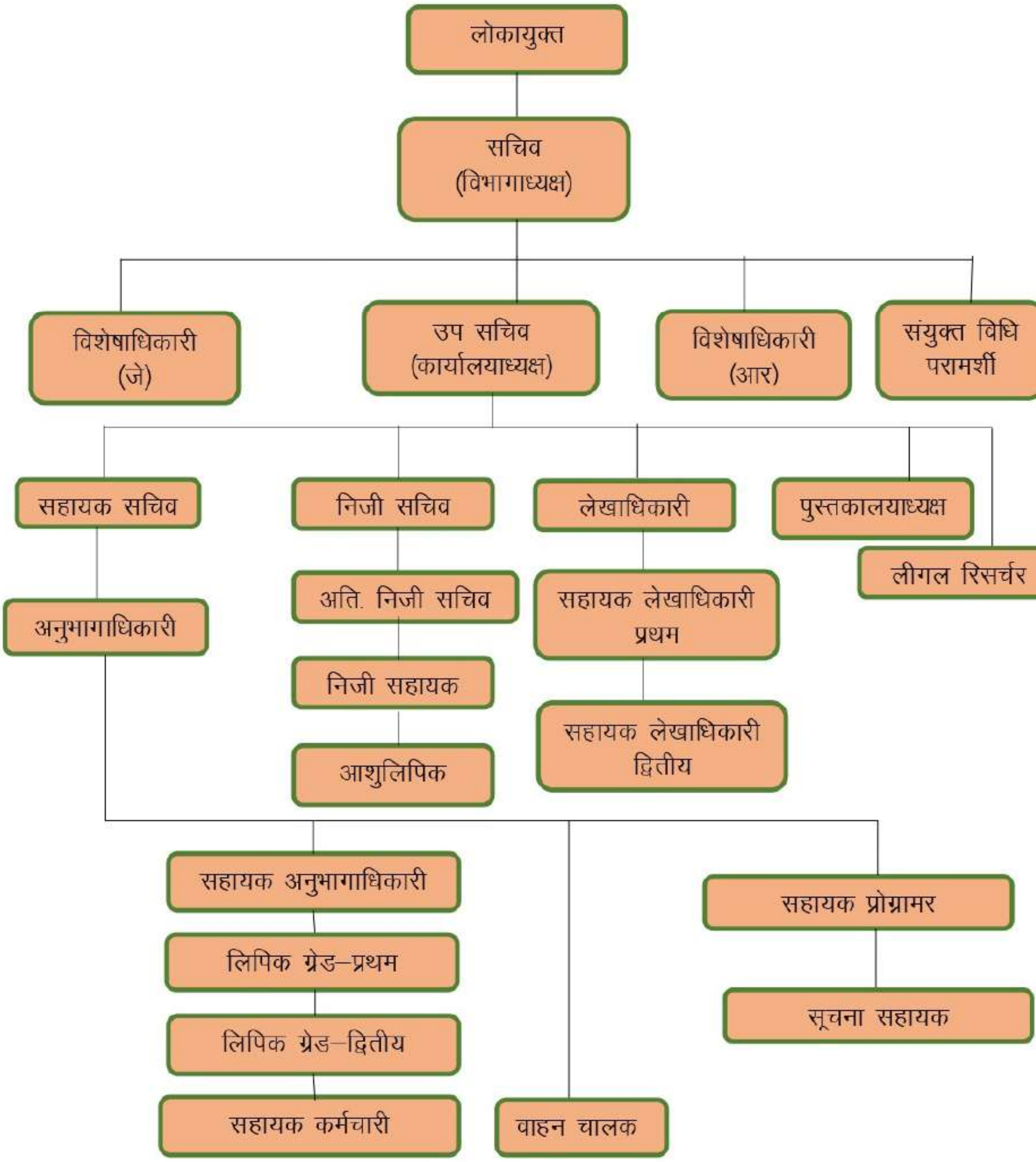

लोकायुक्त सचिवालय के द्वारा प्राप्त परिवादों में की गई कार्यवाही के परिणामस्वरुप राहत मिलने के पश्चात् परिवादियों द्वारा प्रकट किए गए आभार के नमूना–पत्र

207
7-8-2023
M.K.W
17/8/2023

सेवा मे श्रीमान लोक आयुक्त साहब
लोक आयुक्त सचिवालय जयपुर

विषय परिवाद सं F16(294) लोआस/2017 ~~206~~

मान्यवरजी, उक्त परिवाद आप के यहां 2017 को प्रस्तुत किया गया था जिस मे आप के द्वारा की गयी कार्यवाही के परिणाम स्वरुप नगर पालीका छोटी सादडी द्वारा हमारी बकाया राशि 511000 का भुगतान हो चुका है। नगर पालीका द्वारा राशि का पुरा भुगतान अभी तक नही हुआ है तथा देरी से भुगतान का ब्याज अभी तक नही मिला है.

आप के अथक प्रयासो से हमारी अटकी हुयी राशि का भुगतान करवाने के लिये आप की प्रशंसा के लिये हमारे पास को शब्द नही है हम आप के बहुत ही आभारी है; कृप्या शेष राशि का भुगतान करवाने का कष्ट करे

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
17 AUG 2023
प्राप्तांक संख्या 5804

प्रिया बाहेती
(प्रिया बाहेती)

30

सेवामें,

श्रीमान् लोकायुक्त महोदय,
शासन सचिवालय परिसर,
राजस्थान, जयपुर

विषय– परिवाद संख्या:35(28)लोआस/2023 के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ– आपका पत्रः 35(28)लोआस/2023/17098 दिनांक 4.12.2023

महोदय,

निवेदन है कि मुझ प्रार्थी द्वारा मेरी दादीजी श्रीमती सज्जन कंवर, जो कि पेंशनर थी, का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् बैंक में जमा राशि प्राप्त करने हेतु कोष कार्यालय, जयपुर को प्रार्थना पत्र पेश किए जाने के उपरान्त भी वांछित एनओसी **पीपीओ नं. 10651 आर** के तहत नहीं दी गई, तो इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा आपके सचिवालय में शिकायत करने के उपरान्त कोष कार्यालय द्वारा वांछित कार्यवाही कर दी गई।

अतः मुझ प्रार्थी को वांछित राहत आपके सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के पश्चात् मिल चुकी है जिसके लिए प्रार्थी लोकायुक्त सचिवालय को धन्यवाद व आभार प्रकट करता है और अब शिकायत बन्द किए जाने का भी अनुरोध करता है।

भवदीय

(सौरभ माथुर)
117/16, अग्रवाल फार्म, थड़ी मार्केट,
मानसरोवर, जयपुर।

Sourabh Mathur

मानानीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान को 34वॉ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए लोकायुक्त, राजस्थान

स्वतंत्रता दिवस, 2023 के अवसर पर माननीय लोकायुक्त महोदय, सचिव महोदय एवं समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण

माननीय न्यायमूर्ति श्री सी.बी. बारोवालिया, लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के साथ लोकायुक्त, राजस्थान